खण्ड-223, अंक-2
शनिवार, 2 वैशाख, शक संवत् 1883
(22 अप्रैल, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 223 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

LEGISLATURE
AUG 1966

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, २२ अप्रैल, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३१४

अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री

चन्द्रहास मिश्र, श्री
चद्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवारहलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद भित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बदलूराम, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री

LEGISLATURE LIBRARY
AUG 1960

भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन पांडेय, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राम अभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री

लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा श्री,
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री,
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडे, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिशचन्द्रसिंह, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

शनिवार, २२ अप्रैल, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

दशरथपुर में पुलिस की गोली से श्री जयनारायण तिवारी की हत्या

**१—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद), श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया) तथा श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें

यह जानकारी है कि ग्राम बड़ा दशरथपुर, थाना मेजा, जिला इलाहाबाद में पिछली २–४–६१ को पुलिस की गोली से श्री जय नारायण तिवारी नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जी हां। जयनारायण की मृत्यु सर तेजबहादुर सप्रू अस्पताल में हुई ।

****२—श्री कल्याणचन्द मोहिले, श्री गौरीशंकर राय तथा श्री ऊदल**—क्या यह सत्य है कि उक्त ग्राम के किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिये पुलिस २–४–६१ को उस गांव में गई और उस व्यक्ति के भाग जाने के बाद उसके घर सीढ़ी लगाकर घुस गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—पुलिस दिनांक १ अप्रैल, १९६१ को एक अपराध की जांच व अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में ग्राम दशरथपुर गई थी। पुलिस को देखकर गिरफ्तारी से बचने के लिये अभियुक्तों ने अपने को मकान के अन्दर बन्द कर लिया। दरवाजा न खोलने पर थानेदार ने सीढ़ी द्वारा एक झरोखे के अन्दर से कुछ सिपाहियों को प्रवेश करा कर मकान को खुलवाया और तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

****३—श्री कल्याणचन्द मोहिले, श्री गौरीशंकर राय तथा श्री ऊदल**—क्या यह सत्य है कि पुलिस ने उक्त परिवार की किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं ।

****४—श्री कल्याणचन्द मोहिले, श्री गौरीशंकर राय तथा श्री ऊदल**—क्या गृह मंत्री को यह ज्ञात है कि घायलों को देखने के लिये दूसरे दिन आये हुये उक्त ग्राम के आठ ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—पुलिस ने ८ व्यक्तियों को सिरसा अस्पताल से धारा १४७/१४८/३३२/२२४/२२५/३०७/४२७ भारतीय दंड विधान के अभियोग में गिरफ्तार किया था।

****५—श्री कल्याणचन्द मोहिले, श्री गौरीशकर राय तथा श्री ऊदल**—क्या यह सत्य है कि उक्त मामले के संबंध में गिरफ्तार कुछ व्यक्तियों को जिसमें एक महिला भी थीं पुलिस ने ३० घंटे तक पानी भी नहीं दिया ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जयनारायण के अलावा और कितने आदमी उस स्थान पर घायल हुये और जब वह घायल हुये तो क्या समय था ?

श्री रामस्वरूप यादव—एक व्यक्ति और घायल हुआ था। समय के लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गोली चलाने का कारण क्या था ?

श्री रामस्वरूप यादव—जैसा कि उत्तर में निवेदन किया है, ३ अभियुक्तों ने मकान में अपने को बन्द कर लिया। पुलिस ने उस मकान को सीढ़ी के जरिये से खुलवाकर तीनों को गिरफ्तार किया और उनको ले चली तो बहुत से लोग आ गये और मुलजिमों को छुड़ा लिया और उन लोगों ने पुलिसवालों को लाठियों से घेर लिया और थानेदार, सब-इंसपेक्टर दोयम व सिपाहियों को मारने के सिये ललकारा। थानेदार को लाठियों से मारकर गिरा दिया। जयनारायण कांता लेकर थानेदार पर झपटे और उनके चिल्लाने पर सब-इंसपेक्टर दोयमने गोली चलाई जिससे जयनारायण घायल हुये।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी को इस तरह की शिकायत मिली है जिसमें यह कहा गया है कि जिन लोगों को गिरफ्तार करने के लिये पुलिस गई वे घर में पुलिस के सीढ़ी लगाकर घुसने के बाद नहीं मिले और उस घर की स्त्रियों के साथ पुलिस ने कुछ दुर्व्यवहार किया और जब गांव के लोग इकट्ठे हुये और स्त्रियों ने दुर्व्यवहार की दुर्घटना बताई तब गांव के लोग क्रुद्ध हुये ?

श्री रामस्वरूप यादव--जहां तक इस वक्त तक की सूचना है, ऐसी शिकायत का प्राप्त होना तो नहीं मालूम पड़ सका। अल्पसूचित तारांकित प्रश्न है, बहरहाल, प्रश्न के अन्दर तो इस तरह की बात लिखी है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--क्या मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि जो पुलिस पहले मुलजिमों को पकड़ने के लिये गई थी तो वह किस धारा के अन्दर खोज तलाश थी और उनके खिलाफ किस ने रिपोर्ट दाखिल की थी ?

श्री रामस्वरूप यादव--एक मुकदमा ३७९/१४७/१४८ के अन्तर्गत थाने में दर्ज हुआ था, उसके विवेचन के संबंध में थानेदार वहां पर गये हुये थे और उसी संबंध में उन तीनों व्यक्तियों पर संदेह था, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की थी।

कुमारी कमलकुमारी गोइंदी (जिला इलाहाबाद)--क्या मंत्री जी इस सारे मामले की विभागीय जांच कराने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--विभागीय जांच तो हुई है।

कुमारी कमलकुमारी गोइंदी--मेरा मतलब मैजिस्टीरियल जांच से है।

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां, इस घटना की जांच एस०डी०एम० कर रहा है।

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि दरोगा के जो चोट आयी थी वह कितनी आयी और उसकी मेडिकल रिपोर्ट क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव--मेरे पास यह सूचना है कि थानेदार मनोहर सिंह के ९ चोटें, सब-इंसपेक्टर दोयम, श्री राम प्रसाद के २ चोटें, कांस्टेबिल राम सजीवन के १ चोट और कांस्टेबिल बृन्दाबन के चार चोटें आयीं। क्या क्या चोटें हैं इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री अवधेशप्रतापसिंह--मंत्री जी बतायेंगे कि इनमें से कोई ग्रीवियस इंजरी है या माइनर इंजरीज हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, इस समय इसकी सूचना नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--मंत्री जी उस रिपोर्ट इब्तदाई को सदन में पढ़ने की कृपा करेंगे जिसकी बिना पर यह सारी कार्यवाही पुलिस ने की है ?

श्री रामस्वरूप यादव--अगर आप कहें तो मैं पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष---आज तो और सवाल हैं नहीं, आप खास खास बातें, क्या चार्ज किया, यह बता दें।

श्री शिवप्रसाद नागर--अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जो एफ० आई० आर० होती है वह १० लाइन की होती है, तो वह पूरी पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष---अगर ८, १० लाइन की हो तो पढ़ दें, लेकिन अगर लम्बी चौड़ी हो तो मुख्य मुख्य चीजें पढ़ दें।

श्री रामस्वरूप यादव--हो सके की है।

श्री अध्यक्ष---आप सारांश बता दें।

श्री रामस्वरूप यादव--सारांश यह है कि सब-इंसपेक्टर ने थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करी जिसमें कि धारा ३७९, १४७, १४८ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत एक मामले की जांच के लिये थानेदार, सब-इंसपेक्टर दोयम, कांस्टेबिल और चौकीदार के साथ गांव बड़ा दशरथपुर में पहुंचे, जांच पड़ताल की गई.....

श्री गौरीशंकर राय---यह रिपोर्ट उनको नहीं पूछना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष---वह फर्स्ट इंफार्मेशन रिपोर्ट कह रहे हैं जिसकी बिना पर यह अधिकारी जांच करने गये, जिसका आपने जिक्र किया कि धारा ३७९ के संबंध में जांच करने गये।

श्री रामस्वरूप यादव---वह मेरे पास नहीं है, उसके लिये सूचना चाहिये।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसी थाने के दो थानेदार घूस लेने के सिलसिले में सस्पेंडेड हैं?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री शिवप्रसाद नागर---यह जो बिना जड़ का पेड़ खड़ा कर दिया गया, तो उस एफ० आई० आर० को सदन की मेज पर रखने का मंत्री जी आश्वासन देंगे?

श्री अध्यक्ष---आपको क्या यह शक है कि कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं थी?

श्री शिवप्रसाद नागर---रिपोर्ट एफ०आई०आर० में दर्ज न होती तो पुलिस ऐक्शन नहीं लेती। मेरा प्रश्न है कि गोली चली और मर्डर हुआ, उस एफ०आई०आर० के बारे में जो सवाल सदन में हुये वह एफ० आई० आर० मंत्री जी के पास नहीं है?

श्री अध्यक्ष---इतने महत्व की थी तो ५ सवालों के अन्दर आप उसे भी रख देते।

श्री शिवप्रसाद नागर---उसी पर तो यह सब बेस करता है।

श्री अध्यक्ष---आपने यह स्पष्ट लिख दिया होता कि एफ०आई० आर० की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखना है।

श्री शिवप्रसाद नागर---यही तो पूछ रहा हूं। एफ० आई० आर० जिसके बारे में पर यह कार्यवाही हुई है वह सदन की मेज पर कब तक पेश कर दी जायगी?

श्री रामस्वरूप यादव---कार्यवाही हुई एफ० आई० आर० पर। जो घटना १ अप्रैल को हुई है उसकी एफ०आई० आर० दूसरी है। माननीय अध्यक्ष की आज्ञा होगी तो उसे पेश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष---आप मंगा कर दिखला दीजिये।

श्री रामस्वरूप यादव---अच्छी बात है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---जिस सब-इंस्पेक्टर की गोली से जयनारायण तिवारी घायल हुये हैं वह सबइंसपेक्टर आज कल मुअत्तल है?

श्री रामस्वरूप यादव---इसकी सूचना नहीं है। माननीय सदस्य छठा सवाल मुअत्तली का दे देते तो हम मुअत्तली की भी खबर मंगा लेते।

श्री रामस्वरूप वर्मा---मुलजिमान को पकड़ने के बाद पुलिस ने घर में तलाशी ली या नहीं और अगर ली तो क्या माल बरामद हुआ?

श्री रामस्वरूप यादव---जब सब-इंसपेक्टर को यह पता लगा कि दशरथपुर ग्राम की ओर मुलजिमान हैं तो वहां जा कर देखा कि तीनों मुलजिमान एक मड़ैया के पास बैठे हैं और उनकी मां भी है। वे लोग मकान के अन्दर चले गये तो पुलिस ने सीढ़ी लगाकर झरोखे से कूद कर उनको गिरफ्तार किया और मकान खुलवा कर बाहर लाये लेकिन चारों तरफ से लोग आ गये जिससे झगड़ा शुरू हो गया और मकान की तलाशी की नौबत ही नहीं आ सकी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति का चौदहवां प्रतिवेदन†

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति १९६०-६१ का चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

इस संबंध में मैं यह भी स्पष्ट करना आवश्यक समझता हूं कि इस रिपोर्ट का प्रेस से देर से आने के कारण १५ वां प्रतिवेदन पहले प्रस्तुत किया जा चुका है और अब यह १४ वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। १५ वां पहले पेश हो गया और १४ वां बाद में आया तो यह उल्टी प्रक्रिया मालूम होती है।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने कहा कि छपने में देर हो गयी। दोनों तैयार थे लेकिन छपने में गड़बड़ी हो गयी।

जिला सीतापुर के खैराबाद नगर के एक मंदिर से प्राचीन मूर्तियों को पुलिस द्वारा ले जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष---नियम ५२ के अन्तर्गत श्री शिवप्रसाद नागर ने निम्नलिखित लोक महत्व के प्रश्न पर अविलम्ब सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहा है---

"घटना दिनांक १५.३.६१ को १२ बजे दिन की है, मोहल्ला सुजावलपुर, नगर खैराबाद, जिला सीतापुर के मंदिर नम्बर ४८ में स्थापित मूर्तियों को पुलिस खोद कर ले गयी।

यह मूर्तियां १६-९-६० को एक कुएं की खुदाई के समय एक नांद में रखी हुई सुरक्षित पाई गई थीं। यह मूर्तियां प्राचीन काल के किसी वैज्ञानिक कलाकार द्वारा निर्मित की गयी मालूम होती हैं क्योंकि इन मूर्तियों के मुख के सामने दूध लगाते ही मूर्तियां दूध पी लेती हैं।"

और श्री नागरजी ने मुझसे यह कहा था कि उन्होंने खुद उन मूर्तियों को देखा है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी इसका सबूत देंगे अगर आप रिपोर्ट माँगेंगे।

"·····इन मूर्तियों में एक अष्टधातु की और दो पत्थर की हैं। इनमें एक गौतम बुद्ध की और एक अहिल्या बाई की और एक अज्ञात प्रतीत होती है।

इन मूर्तियों की स्थापना के बाद से ही खैराबाद नगर में दूर-दूर से हजारों यात्रियों के आने जाने के कारण खैराबाद नगर की शोभा बढ़ी और व्यापार भी बढ़ा। जिस दिन से यह मूर्तियां हटी हैं, उस दिन से नगर के सभी हिन्दू व मुसलमानों में बड़ा असंतोष तथा रंज का वातावरण उत्पन्न हो गया है। नगर की क्षुब्ध जनता ने मूर्तियों को खोदने से जब रोकना चाहा तब पुलिस के कर्मचारियों ने बन्द कर देने व चालान कर देने की धमकी दी। अतः मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुये आशा करता हूं कि इस पर वे अपना वक्तव्य देने की कृपा करेंगे।"

यह किस से संबंधित है? मुख्य मंत्री जी, जरा इसकी जांच करके कब बतायेंगे?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---ऐसी बात का मुझे तो कोई समाचार है नहीं। इसकी जांच करवाऊंगा और पता लगाऊंगा कि ये जितनी बातें बतायी गयी हैं इनमें कोई सत्यता और सार्थकता है। मेरा खयाल है कि इसमें जल्दी तो नहीं हो सकेगी, एक हफ्ते से ज्यादा ही लग जायगा क्योंकि जो अधिकारी डील करते हैं वे भी नहीं हैं, कहीं गये हैं, इसलिये इसमें कुछ समय ज्यादा लग जायगा।

श्री अध्यक्ष---तो एक हफ्ते बाद दे दीजियेगा।

---

†प्रतिवेदन छापा नहीं गया।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, अगर यह सत्य है कि वे मूर्तियां दूध पीती हैं तो कृपया यहां के म्युजियम में रखवा दीजिये ताकि सब लोग देख सकें।

श्री अध्यक्ष---इसीलिये मैंने ध्यान आकर्षित किया कि अगर वे समझेंगे कि किसी वैज्ञानिक ने निर्मित किया है और किसी कवि की कल्पना नहीं है तो यह बात सही होगी ।

सदन के आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस दिन कहा था कि सदन कब तक चलेगा यह तीन, चार रोज में बतला देंगे। अगर वह बतला देते तो बड़ी कृपा होती क्योंकि उसी प्रकार हम लोग अपना प्रोग्राम बनाते ।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---इस महीने के आखिर तक मैं बताऊंगा ।

१९६१-६२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ४२---अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां

श्री अध्यक्ष---अब अनुदान के ऊपर विवाद शुरू होगा ।

हरिजन सहायक उपमंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)---मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४२---अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर १,८९,१८,८०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, अनुदान संख्या ४२ के अन्तर्गत १७,२०,००० रुपया पहले लेखानुदान द्वारा स्वीकृत हो चुका है और इस वक्त १,८९,१८,८०० रुपये की मांग पेश है। कुल मिलाकर २,०६,३८,८०० रुपये होते हैं। पहली दफा जब बहस हुयी थी तो लोगों का ऐसा खयाल था कि पिछली दफा २,५२,३०,१०० रुपये का अनुदान था और अबकी दफा उससे कम है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि इसके अन्दर, जैसा कि मैंने बताया, २,०६,३८,८०० रुपये तो इसी मांग के अन्तर्गत हैं और अनुदान संख्या ४९ में पिछड़ी जातियों के कल्याण हेतु १९,०१,००० रुपये पी० डब्लू० डी० के अन्तर्गत हैं, जो सब मिलाकर २,२५,००,००० होते हैं। इसके अलावा करीब ५० लाख रुपये सेंटर से जल्दी ही आने वाले हैं और मैं समझता हूं कि केंद्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त होते ही अनुपूरक मांग सदन के सामने रखी जायगी। इस तरह से सब मिलाकर २,७५,००० रुपये के करीब हो जाता है ।

श्री अध्यक्ष---आप जरा लाख और करोड़ में गड़बड़ कर रहे हैं। २,७५,००० नहीं बल्कि २,७५,००,००० कहिये।

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---जी हां। अब मैं थोड़ी सी हालत आपको बतला देना चाहता हूं। यहां हमारे प्रदेश में ऐसी ६६ जातियां हैं जो भारतीय संविधान में अनुसूचित घोषित की गई हैं। उनके संबंध में जो किताब बांटी गई है, उसमें सब कुछ दिया गया है। उनकी कुल संख्या १,३१,००,३९८ होती है और ५८ जातियां पिछड़ी जातियां कहलाती हैं। उनकी जनसंख्या २,७०,००,००० है। इसके अतिरिक्त विमुक्त जातियां हैं जो ३१ अगस्त, १९५२ को क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट के रिपील हो जाने से इस प्रदेश में थीं। इनकी संख्या १८,००,००० हैं। इस तरह से इनकी कुल जन संख्या ४,२०,००,००० होती है। १९५१ की मर्दुमशुमारी में स्टेट की आबादी ६,३२,००,००० है और इनसे ४,२०,००,००० इनकी आबादी है यानी करीब ६६.५ परसेंट यह जातियां हैं।

श्रीमन्, जन जातियों (ट्राइबल्स) का प्रश्न बहुत समय तक सरकार के विचाराधी रहा। गत वर्ष १४ जातियों को अनुसूचित जन जाति घोषित करने के लिये केन्द्रीय सरक

[डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी]

को लिखा और उनके अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है । वह जातियां यह हैं--- (१) गोंड़ (२) भील (३) चेरू (४) कोरवा (५) मुइया (६) खारवार (७) भोटिया (८) थारू (९) कोल (१०) भोक्सा (११) जौंसारी (१२) बोरा (१३) बनरावत और (१४) मुस्लिम गूजर । इनमें ६ जातियां, गोंड, कोल, चेरू, कोरवा, मुइया और खारवार अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित हैं और एक जाति भोटिया अन्य पिछड़ी जातियों की सूची में है और ७ जातियां ऐसी हैं जो अभी किसी सूची में नहीं लाई गई हैं ।

ऐसा हमारा खयाल है कि जहां पर इन जातियों की ज्यादा संख्या है वहां पर ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लाक्स बनाये जायं । जहां पर इनकी संख्या ५० परसेंट से ज्यादा होगी वहां पर यह बनेंगे । लेकिन यह उस समय बन सकेंगे जब कद्रीय सरकार से उत्तर प्रदेश के लिये अनुसूचित जन जाति की घोषणा कर दें । ऐसा करने से हमको रुपया भी मिल सकेगा और काम भी हो सकेंगे । जैसा कि मैंने बताया कि अनुदान संख्या ४२ के अन्तर्गत २,०६,००००० रुपये का प्राविधान किया जा रहा है । इनमें से ६६,५६,००० रुपये प्लान के लिये हैं और शेष १,३९,८२,१०० रुपये नान प्लान के लिये हैं । इस ६६,५६,७०० रुपये के अतिरिक्त जो १९ लाख रुपये अनुदान संख्या ४९ के अन्तर्गत रखे हुये हैं वह भी प्लान मदों के लिये हैं । इस प्रकार से ८५,५६,७०० रुपये आपके विचाराधीन हैं और लगभग ५० लाख रुपये केंद्रीय सरकार से स्वीकृत होंगे । इस प्रकार १,३५,००,००० से अधिक व्यय होगा । कुल मिलाकर २,७४,८२,००० रुपये होते हैं । अब मैं प्लान का जिक्र करना चाहता हूं । अब तक तीन प्लान हुए । पहले प्लान में ३,६३,३१,००० रुपया था ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---दूसरे प्लान में कितना रुपया खर्च नहीं हो सका ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---वह आपको पीछे बता दूंगा ।

दूसरे प्लान में कमिटेड व्यय को छोड़कर ४,२२,००,००० रुपया खर्च हुआ । तीसरे प्लान में जो रखा है वह ९,६१,००,००० है । असल में उसमें पहले रुपया ज्यादा पास हुआ था । कुछ रुपया हमारे काम नहीं आया चूंकि सेंटर से सैंक्शन नहीं आयी या जमीन वगैरह नहीं मिल सकी, इसलिये एक करोड़ के करीब रुपया बच गया । उसकी डिटेल आप चाहेंगे तो दे दूंगा । ९,६१,००,००० में उत्तराखंड का प्लान शामिल है । ३१ लाख रुपया सिर्फ उत्तराखंड के लिये है । बाकी ५१ जिलों के लिये ९,३०,००,००० रुपया है । प्लान, नान-प्लान पोस्ट मैट्रिकुलेशन छात्रवृत्ति वगैरह कुल मिला कर तृतीय पंच-वर्षीय योजना में हरिजनों और पिछड़ी जातियों के कल्याण हेतु १७ करोड़ रुपये के व्यय होने की मांग है ।

पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन जो आंकड़े मालूम हैं, मोटे-मोटे आंकड़े रखे देता हूं जो पिछले साल काम हुआ । कृषि अनुदान में १५ लाख रुपया व्यय करना तय हुआ था, २,५०१ कृषकों को लाभ पहुंचाने को था लेकिन खर्च हुआ ९ लाख रुपया और २,७१० कृषकों को फायदा हुआ । फायदा ज्यादा को हुआ और रुपया कम खर्च हुआ ।

कुटीर उद्योगों में अनुदान १७,९४,००० रुपये का रखा गया था, ५,४७७ व्यक्तियों को लाभ पहुंचने को था । उसमें १०,५३,००० रुपये खर्च हुआ और ३,४४२ व्यक्तियों को लाभ हुआ ।

गृह निर्माण में २९,५०,००० रुपया ३,१०० मकानों को निर्माण करने के लिये रखा गया था । इसके मुकाबले में १४,९२,००० रु० का व्यय हुआ और ३,७०० मकान बने । ४९४ मकानों का सुधार किया गया, २१ लाख रुपया कुंओं के निर्माण के लिये रखा गया था । ४,२०० कुओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था जिसके मुकाबले में

१४,२६,००० रु० खर्च हुये और २,९२५ नये कुवें बनाये गये और १०१ हैंड पाइप लगाये गये तथा ७६९ का सुधार किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ७ हजार कुएं बनाये गये हैं। अब की दफा १५ हजार कुएं बनाने को हैं जिसमें १० हजार कुएं तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हरिजन सहायक विभाग द्वारा सहायता दे कर बनवाये जायेंगे और ५ हजार कुयें सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत बनेंगे। यह तो पिछले साल का मैंने बताया और इस साल का जो बताया वह सिर्फ कुओं का बताया।

अब जो इस साल और काम होना है उसमें अस्पृश्यता निवारण का काम मुख्य है। उसके ऊपर हम बराबर कोशिश करते रहते हैं और उसके लिये पब्लिसिटी यूनिट्स बनाई गई हैं। मेले वगैरह में तथा एक हफ्ता गांधी जयन्ती का मनाते हैं, उसमें इसका प्रचार उनके द्वारा होता है। गांवों में इसका प्रचार करने के लिये ९०,४०० रुपया रखा गया है और जो गैर-सरकारी संस्थाएं अस्पृश्यता निवारण के काम करती हैं उनको सहायता देने के लिये २० हजार रुपया रखा गया है। अस्पृश्यता निवारण की बात यह है कि जैसा मैंने बताया, काम हो तो रहा है, अस्पृश्यता बहुत कम हो रही है, आप देखें कि शहरों में तो करीब-करीब होटलों में या नलों पर पानी वगैरह पीने में कोई झगड़ा नहीं है, कोई भी पी सकता है, कोई भी उसको खोलता है, दूकानों पर कौन बेंचता है, कौन हलवाई है, इन सब बातों का खयाल शहरों में नहीं किया जाता। लेकिन गांवों में कुछ झगड़ा रह गया है, खासकर कुओं पर कुछ झगड़ा होता है। बाज बाज जगहें ऐसी हैं जहां कुएं दूर दूर पर हैं। यह तय किया गया कि जहां ऐसी हरिजन बस्तियां हैं वहां कुएं बनवाये जायं। कुछ तो बनाये जा चुके हैं और १५ हजार का निर्माण अभी और होने वाला है जिसमें १० हजार तो इस पंचवर्षीय योजना में हरिजन सहायक विभाग के द्वारा बनेंगे और ५ हजार सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत बनेंगे। इस तरह से १५ हजार कुएं इस दफा बनाने की बात है और इसमें ८ लाख रुपये की मांग उसके लिये रखी गई है।

अब दूसरी जो बहुत जरूरी चीज है वह है शिक्षा। इस शिक्षा में मामूली शिक्षा और टेक्निकल शिक्षा (प्राविधिक शिक्षा) दोनों शामिल हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस सिलसिले में बहुत कुछ काम हुआ है। दर्जा १० तक के सभी हरिजन छात्रों की फीस माफ है। उसमें थोड़ा-सा यह हो गया है कि छठे दर्जे तक तो सबकी फीस माफ हो गई है। इसलिये छठे दर्जे तक तो जनरल हो जायगा और बाकी उसके बाद १०वें दर्जे तक उनको फीस माफ रहेगी। उसके बाद पोस्ट-मैट्रिकुलेशन में हम उनको छात्रवृत्ति भी देते हैं और टेक्निकल एजूकेशन में भी उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। अब तक तो फीस हम अलग भेजते थे प्रिंसिपल के पास, लेकिन अब हर एक कैंडीडेट को वह फीस उसको स्कालरशिप के साथ दे दी जायगी, वही अपनी फीस देगा। उसमें इसका भी कोई खयाल नहीं है कि आमदनी कितनी है कितनी नहीं है, हरएक को वह मिल जाया करेगी, जो खुद अपनी फीस दिया करेगा। इसके अन्तर्गत जो कमिटेड एक्सपेंडीचर है, वह है ७५,२८,९०० रुपये और रिइम्बर्समेंट के लिये १४ लाख और ५ लाख ५० हजार रुपया रखा गया है।

टेक्निकल शिक्षा के अब तक तीन केंद्र हैं, एक बख्शी का तालाब, लखनऊ, में दूसरा नैनीताल में और तीसरा गोरखपुर में। इसमें यह है कि पालीटेक्निक प्रशिक्षण की व्यवस्था अब हम इन तीनों केंद्रों में करने जा रहे हैं। इस वर्ष १९६१–६२ में बख्शी का तालाब प्रशिक्षण केंद्र पर एक पालीटेक्निक की स्थापना की जावेगी जिसके लिये ८.५१ लाख रुपये की मांग रखी गयी है। इसके अलावा ४ लाख रुपया बिल्डिंग पर खर्च होगा।

हरिजनों को स्टेनोग्राफी और क्रैफ्ट की शिक्षा देने का भी आयोजन किया गया है। १४० लड़कों को स्टेनोग्राफी और ७४४ को क्रैफ्ट्स की शिक्षा देने का प्रबन्ध किया गया है।

इसके अन्तर्गत १,२६,४०० रुपये की मांग रखी गई है। सभी पिछड़ी जातियों के लिये मदद देना संभव नहीं है लेकिन जो होनहार लड़के हैं उनको मेरिट के हिसाब से मदद दी जायगी। पिछले साल इसके लिये ११,५०,००० रुपया रखा गया था। इस वर्ष ९,९०,०००

[डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी]

रुपया उसके लिये रखा गाय है। इस मद में ४,८२,००० रुपया और रखा गया है जो सब मिलाकर ११,५०,००० के मुकबाले में इस साल के लिये १४,७२,००० रुपया हो जायगा जो पिछड़ी जाति के उत्थान पर खर्च किया जायगा।

आर्थिक उन्नति के बिना सामाजिक स्तर ऊंचा नहीं हो सकता है। इसलिये इसके लिये खासतौर पर खयाल रखा गया है। उसके लिये कृषि, लघु सिंचाई तथा उद्योग के संबंध में सहायता देने के लिये प्राविधान हरिजनों के लिये किया गया है। इससे हरिजन कृषकों को ऋण तथा अनुदान की सहायता अन्न उपजाओ तथा राष्ट्रीय प्रसार योजना के लिये मिल सकती है। इस अनुदान की मात्रा वही होगी जो उक्त योजनाओं के अन्तर्गत है। इसके अन्तर्गत ५१,२०० रुपया एग्रीकल्चर कालोनी के लिये, ५ लाख रुपया माइनर इर्रीगेशन के लिये और २.५ लाख रुपया इंडस्ट्री के लिये रखा गया है।

इसके अलावा १० जगह इंडस्ट्रियल इस्टेट खोलने का इरादा है सारे प्रदेश में। हलद्वानी, मुजफ्फरनगर, कोसी कलां, कालपी, फतेहपुर, रामपुर, हरदोई, फैजाबाद, वाराणसी, छितौनी घाट (देवरिया) में इंडस्ट्रियल इस्टेट खोली जायेंगी। हर इस्टेट में १४ यूनिटें होंगी यानी १४ तरह का काम होगा। हर यूनिट में ८ आदमी होंगे। इस तरह से १,१२० आदमियों को काम की शिक्षा दी जायगी। इसके लिये ३० लाख रुपया रखा गया है। २ लाख रुपये से जमीन ली जा रही है। फिर १५ लाख रुपया इस साल के लिये है और १५ लाख रुपया अगले साल के लिये है। इस तरह से ३० लाख रुपया उस पर खर्च किया जायगा।

हाउसिंग के लिये भी २ लाख रुपये का प्राविधान इस साल के लिये किया गया है लेकिन इसके अलावा भी एक प्लान १८,२०,००० रुपये हाउसिंग के लिये है जो केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिये भेजा गया है। वह अनुपूरक मांग के समय आपके समक्ष पेश किया जायगा।

हमारे मेहतरों के मकानों के लिये भी इसमें प्राविधान है। उनकी सेहत सुधारने के लिये खासतौर से शहरों के अन्दर वह रकम खर्च की जायगी। सप्लीमेंटरी ग्रान्ट के समय वह रुपया मन्जूर किया जायगा।

प्रोग्रेस व क्वार्डिनेशनल सेल रहा है। इस के लिये जो स्टाफ रखा जायगा उसके लिये जिलों में तो १,०९,७०० रुपया खर्च किया जायगा और हेड क्वार्टर के लिये २०,३०० रुपया रखा गया है। वह सर्वे का काम हो रहा है।आप जानते हैं कि हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों पर इसमें खर्च ४ परसेंट से भी कम होता है। और जगहों के लिये १० परसेंट एलाउड है, लेकिन हम उस से कम खर्च कर रहे हैं और इसलिये किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि इसमें काम अच्छा होगा।

अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता....

श्री प्रतापसिंह---भूमिहीनों के लिये भी कुछ बतला दीजिये।

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---भूमिहीनों के लिये १८,२०,०००रुपया साइट्स के लिये रखा गया है। हम जंगलात विभाग से भी बात चीत कर रहे हैं और जिन लोगों का काम छूट गया है जंगलात की हद बढ़ जाने से उन के लिये भी कोशिश कर रहे हैं कि साइट्स प्रोक्योर करके उनको काम दिलाया जाय। उनके लिये खास तौर से प्रबन्ध किया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह सब काम ऐसा है कि जो खाली गवर्नमेंट के द्वारा या रुपये के द्वारा ही नहीं हो सकता। इस के लिये जरूरी है कि उस हर एक आदमी का जो अपने को देशभक्त कहता है, सहयोग इसमें हो। गलतियां भी होती हैं और काम भी होता है लेकिन उनके लिये आपको सुझाव देने हैं और अस्पृश्यता निवारण आदि में हर सदस्य को मदद देनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मेरी प्रार्थना है कि इस अनुदान को स्वीकार किया जाय और इसमें प्रत्येक सदस्य हरिजन तथा पिछड़ी हुई जातियों के उत्थान में अत्यधिक सहयोग प्रदान करने की कृपा करें।

श्री प्रतापसिंह---कितने माननीय मंत्री ऐसे हैं जो हरिजन बस्तियों में जाते हैं ?

(व्यवधान)

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं व्यवस्था यह चाहता हूं कि माननीय उपमंत्री जी ने जो १५-२० मिनट भाषण दिया, उसमें मैं कुछ समझ नहीं पाया और मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। मैं समझता हूं कि बहुत से माननीय सदस्य भी इसी हालत में होंगे। आज की बहस का आधार माननीय मंत्री जी का भाषण ही बनेगा। तो क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो माननीय मंत्री अथवा उपमंत्री ठीक तौर से अपने विचारों को व्यक्त न कर सकें वे खाली उन ट्रेजरी बेंचों पर बैठ कर उनकी शोभा बढ़ाया करें और भाषण वह दिया करें जो कि अपने विचारों को ठीक प्रकार से व्यक्त कर सकें ?

श्री अध्यक्ष---आपने व्यवस्था जो पूछी वह यही कि आपकी समझ में कुछ आया नहीं, तो उस के लिये मंत्री जी क्या करें ? यह तो आपकी समझ की खूबी है।

श्री भीखालाल---वे क्या कह रहे थे, उनकी आवाज ही साफ नहीं आती थी। उस के लिये हम क्या करें।

श्री अध्यक्ष---इस के लिये आप को पहले ही टोक देना चाहिये था। उसी वक्त मैं उन से कहता कि आप इस तरह बोलिये कि आपकी आवाज साफ सुनाई दे, यही तरीका है। इसके अलावा अगर किसी की मेडेन स्पीच होती है तो उसे सहानुभूतिपूर्वक सुना जाता है। उनकी यह बजट की मेडेन स्पीच है और इसके लिये आपको सहानुभूति की निगाह रखनी चाहिये।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चाहते हैं कि उनकी समझ का इलाज कराने का प्रबन्ध भी मुख्य मंत्री करें। उसका प्रबन्ध करने का अधिकार सदन ने मुझे दे रखा है और अगर उसकी मांग हो तो मैं कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष---वह कहते हैं कि आगरे के इलाके को ही आपने क्यों उपयुक्त माना, एक पूर्वी इलाके में भी अस्पताल खोला जाय तो अच्छा है।

(हंसी)

श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

विभागीय नीति तथा योजनायें जनहित में नहीं हैं, यह स्पष्ट करना तथा समुचित नीति बिन्दुओं का उल्लेख करना।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण के अन्त में जैसा कहा कि यह ऐसा कार्य है कि जिसमें सब को सहयोग देना चाहिये, यह निर्विवाद बात है। माननीय मंत्री जी ने जो पुस्तिका छपी है उसके आंकड़े थोड़े से इस सदन के सामने विवरण के रूप में रखे हैं। अब जब हम लोग इस अनुदान पर विचार करने के लिये खड़े होते हैं तो हम यह अनुभव करते हैं कि यह अनुदान महत्वपूर्ण अनुदान है, जो हमारे प्रदेश के पिछड़े हुये लोग हैं उनके बारे में यह अनुदान है, इस कारण हमको इस अनुदान पर अधिक से अधिक विवाद करने की जरूरत है। हमारे समाज में और हमारे प्रदेश में हरिजन लोग सबसे पिछड़े हुये लोग हैं और सदियों से ही इन लोगों के साथ उपेक्षा का व्यवहार होता रहा है। यह अनुदान, जिस पर हम बहस करने जा रहे हैं, उन्हीं लोगों से संबंधित है। आज हम जब एक समाजवादी युग में चल रहे हैं और जब कि संविधान

[श्री विश्राम राय]

में भी यह लिखा हुआ है कि जो दुर्बल लोग हैं उनका अधिक से अधिक ध्यान रखा जाय, हमको चाहिये कि हम इन लोगों के विकास की तरफ विशेष ध्यान दें । आज जब कि हम एक सोशलिस्टिक पैटर्न की ओर जा रहे हैं तो हमें इन लोगों की तरफ विशेष ध्यान देना होगा और इन पर अधिक से अधिक रुपया खर्च करना होगा । आज हमें यह देखना होगा कि जितनी भी हमारी योजनायें चल रही हैं, पहली और दूसरी समाप्त हो चुकी है, तीसरी योजना चल रही है, उनका इम्प्लीमेन्टेशन किस तरह हो रहा है और उसका कितना फायदा पिछड़े हुये लोगों को पहुंच रहा है ।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह अनुदान पिछले साल के अनुदान से कम नहीं है । इस बजट में करीब १,९१,००,००० रुपया रखा गया है और यह आशा की जाती है कि कुछ रुपया केन्द्रीय सरकार से भी मिलेगा । यह रुपया दूसरे साल से कम है ।

हरिजन विभाग को समाज कल्याण विभाग से मिला देने की भी बात कही जाती है, जब कि बैकवर्ड कमीशन ने इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा है कि इन लोगों के लिये एक सेपरेट हरिजन मिनिस्टरी होनी चाहिये । जब इस तरह की मांग है तो उन्हीं विचारों को सामने रख कर हमें इस ओर कार्य करना चाहिये ।

अब मैं अस्पृश्यता निवारण के पहलू को लेता हूं । जब से गांधी जी की मृत्यु हुई है तब से इस ओर कम ध्यान दिया गया है । हम आज आर्थिक युग में चल रहे हैं और सामाजिक दृष्टि से हमें इस समस्या का हल करना होगा । हम इस बात को दृष्टि से ओझल नहीं कर सकते कि देहातों में आज भी छुआछूत की भावना भरी हुई है । मेरा निजी अनुभव है और मैं यह कह सकता हूं कि आज हर जगह उन लोगों को बुरी निगाह से देखा जाता है । अगर एक हरिजन पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के लिये जाता है जब वह पीटा जाता है तो उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती । वह जिस किसी विभाग में जाता है उसको नीची निगाह से देखा जाता है ।

आज चकबन्दी हो रही है । इस योजना के अन्तर्गत हरिजन बुरी तरह से पिटा है । उनके खेत निकाल लिये जाते हैं और उनको गांव से दूर खेत दे दिये जाते हैं । ऐक्ट में लिखा हुआ है कि हरिजनों को आबादी के करीब खेत मिलने चाहिये, मगर मैंने खुद देखा है कि गांव के पास तो बड़े-बड़े जमींदारों ने चक बना लिये हैं और उन (हरिजनों) को गांव से काफी दूर फेंक दिया गया है । जो रहे सहे बन्जर के खेत होते हैं वह उन्हें दे दिये जाते हैं ।

पुलिस बराबर उनके साथ अत्याचार करती है । अभी पंचायतों का इलेक्शन हुआ, उसमें जिन हरिजनों ने गुप्त तरीके से वोट दिया उनके घरों को जला दिया गया और पुलिस ने कुछ नहीं किया । तो आज यह हालत है जिसे हम देख रहे हैं ।

इसमें उपनिवेशन की एक मद है, उसमें कम खर्चा हुआ है । थोड़ा-सा अनुदान हरिजन समितियों को दिया गया है, कुछ थोड़े से जलसे इत्यादि हो जाते हैं लेकिन प्रचारात्मक कार्य बहुत कम हुआ है । गांधी जी ने इस कार्य के लिये विशेष ध्यान दिया था । बनारस में जो विश्वनाथ जी का मन्दिर है जिसमें हरिजन प्रवेश के लिये राजनारायण जी ने काफी लड़ाई लड़ी, वहां जाने तक का उनको अधिकार नहीं है, वे केवल दूर से ही दर्शन कर सकते हैं । देहातों में छुआछूत का यह हाल है कि वे हमेशा उपेक्षा की दृष्टि से देखे जाते हैं ।

सरकारी नौकरियों के लिये सरकार कहती है कि हम उनको काफी तादाद में नौकरियों में ले रहे हैं । मैं मानता हूं कि श्री जगजीवन राम जी जो रेलवे के मिनिस्टर हैं उन्होंने इधर कुछ काम किया और हरिजनों को काफी प्रतिनिधित्व दिया । इसके खिलाफ सवर्ण लोगों ने पार्लियामेंट में काफी आवाजें कसीं । उन्होंने स्पेशल आफिसर मुकर्रर किये । यह बात सराहनीय जरूर है, लेकिन यहां की हालत देखिये । यहां के साथियों ने बतलाया कि नार्मल शिक्षकों के चुनाव में १८०० आदमी लिये गये, लेकिन हरिजन २० ही लिये गये । २५० जे० टी० सी० शिक्षकों में केवल १० हरिजन रखे गये और ३ को वजीफा नहीं मिला ।

एक कमेटी बनी थी राधाकृष्ण जी की अध्यक्षता में। उन्होंने कहा है कि हरिजनों का प्रतिनिधित्व सर्विसेज में बहुत कम है। यही नहीं, जो रिक्तियां होती हैं उनका ठीक तरह से विज्ञापन नहीं होता और कोशिश यह की जाती है कि अगर हो भी तो हरिजनों को मालूम न हो, इस प्रकार से हो रहा है। जो हरिजन कल्याण अधिकारी और मशीनरी है वह विज्ञापन ठीक तरह से नहीं देती। इसलिये आपको व्यवस्था करनी चाहिये कि हरिजनों को मालूम हो सके और ठीक से चान्स मिले। इस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जबतक १८ फीसदी सुरक्षित सीटें हरिजनों को न मिल जायं तब तक २५ से ५० प्रतिशत तक सीटें हरिजनों को दी जायं। जब तक सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं होगा तब तक यह विषमता दूर नहीं होगी। अब बहुत से लोग आवाज उठाने लगे हैं कि बैकवर्ड कमीशन की जो रिपोर्ट आयी है वह कार्यान्वित होनी चाहिये। अगर पूरी नहीं तो कुछ अंशों में क्यों नहीं कार्यान्वित हो रही है, यह मेरी समझ में नहीं आता। अगर उसको कार्यान्वित नहीं करना था तो इतनी बड़ी पोथी क्यों लिखी गई? इतने बड़े वाल्यूम में सिवाय इसके कि नान-शेड्यूल्ड ट्राइब और ट्राइब शामिल करने चाहिये, यह था और वह भी नहीं किया गया। मंत्री जी ने कहा कि जब हमने शेड्यूल्ड और नान-शेड्युल्ड जातियों पर ध्यान दिया तो वह ही ऐसी हैं जो सबसे पिछड़ी हुई हैं। वह पृथ्वी पर इधर-उधर घूमते रहते हैं, उनके रहने का स्थान नहीं है, उनके लिये कोई योजना नहीं है। ऐसे ही कुछ थारू और बोक्सा लोग हैं, जिनकी ओर प्रताप सिंह जी ने ध्यान दिलाया था, उनकी ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

नौकरियों की यह हालत है और जो प्राविधिक संस्थायें हैं जिनमें ट्रेनिंग होती है उनका मुझे व्यक्तिगत अनुभव है। बख्शी तालाब, गोरखपुर, नैनीताल में ट्रेनिंग होती है। साल या दो साल में लड़के निकलते हैं, लेकिन जगह नहीं मिलती है और मारे मारे फिरते हैं। मेरे गांव के पास का एक आदमी था, उसने ढलाई का काम सीखा, जगह नहीं मिली और वह अब हरिजन स्कूल में काम कर रहा है। यह हालत वहां की है।

अब शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहता हूं कि जरूर काम हुआ है और कुछ सरकार वजीफे भी दे रही है, लेकिन अभीतक जो मैंने इस रिपोर्ट में पढ़ा, उसी में लिखा हुआ है कि सिर्फ ५ फीसदी हरिजन छात्र पढ़ पाये--यह प्रगति है। करीब डेढ़ दो करोड़ ये लोग हैं इस प्रदेश में, और पिछड़ी जातियां मिल जायं तो ४ करोड़ हो जाते हैं, उनकी शिक्षा के क्षेत्र में यह हालत है कि केवल ५ फीसदी हरिजन पढ़े हैं। शिक्षा में पौने दो करोड़ रुपया दिया गया है जो कि प्रति छात्र एक रुपया भी साल में नहीं होता---यह हिसाब है और इस तरीके से अगर शिक्षा में आप चले तो कुछ नहीं होने वाला है। फिर शिक्षा के क्षेत्र में जो वजीफे मिलते हैं वह समय पर नहीं मिलते हैं। जो वजीफे दिये जाते हैं उनमें इंसपेक्टर के आफिस वाले गड़बड़ करते हैं और कुछ स्कूल ऐसे हैं जो वजीफे खा जाते हैं और देते भी हैं तो ठीक समय पर नहीं देते, उसकी कोई इंक्वायरी भी नहीं होती। यह भी होता है कि साल के आखिर में स्कूल वाले हरिजनों को तरह तरह से तंग करके दो तीन महीने का वजीफा ले लेते हैं।

बैकवर्ड जातियों के वजीफे तो बहुत कम हैं, जब कि बैकवर्ड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट लिखी है कि उनको बढ़ाना चाहिये। हां, प्रथम श्रेणी के अन्दर, यह नहीं कि गरीबी की वजह से, वजीफे दिये जाते हैं। धनी आदमी को भी वजीफा मिलेगा अगर वह प्रथम श्रेणी का है, लेकिन गरीब आदमी कुछ कम नम्बर पाया तो उसको कुछ नहीं मिलता। इस साल तो मेरिट में जो आये उनको वजीफा नहीं मिला और बिना मेरिट वालों को मिल गया।

शिक्षा की हालत यह है कि छात्रावासों की बहुत कमी है। लड़के शहरों में मारे मारे फिर रहें हैं। अगर कहीं परिगणित जाति की ओर से कोई होस्टल है भी तो उसकी सेनेटरी कन्डीशन बहुत खराब है। छात्रावासों के लिये सरकार ने कुछ रुपया दिया है लेकिन वह बहुत कम है। मेरा सुझाव है कि हर जिले में छात्रावास होने चाहिये जिसमें हरिजनों के अलावा और वर्गों के लोग भी रहें जैसा कि बैकवर्ड कमीशन ने रिकमेन्ड किया है। आज दिन प्रति दिन

[श्री विश्रामराय]

छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। शहरों में जब हम लोगों के नाम सप्लाई अफसर के यहां से मकान एलाट नहीं होते तो बैकवर्ड लोगों को कहां से मिल जायेंगे। इसलिये मेरा अनुरोध है कि सरकार को इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये।

एक चीज यह कही जाती है कि स्टाफ में कमी की जा रही है लेकिन मैं देखता हूं कि हर साल बजट में कर्मचारियों पर खर्चा बढ़ता चला जाता है। उसको कम करने की जरूरत है।

पानी के कुओं का जहां तक सवाल है उसके लिये सरकार की ओर से अनुदान दिये जाते हैं लेकिन वह काफी नहीं है। इसको बड़े पैमाने पर बढ़ाने की जरूरत है। अधिक संख्या में कुओं के बनाने की जरूरत है। ब्लाक डेवलेपमेंट कमेटियों में ग्राम सेवक और सेक्रेटरी के यहां दौड़ने के बाद तब कहीं पानी पीने के कुएं का इन्तजाम होता है। ग्रान्ट मिलने में बड़ी परेशानी होती है, तीन-तीन चार-चार बार लोग दौड़ते हैं फिर भी पैसा नहीं मिल पाता है। आजकल ईंटों की जो कमी है उसके कारण बहुत परेशानी पैदा हो गई है। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

सीलिंग के कानून से जो जमीन निकले वह भूमिहीन लोगों को दी जानी चाहिये। इसके अलावा टेनैन्सी कानून ऐसा होना चाहिये जिससे मुकदमेबाजी न हो सके। आजकल पटवारी बहुत गड़बड़ करते हैं।

इंडस्ट्रियल लेबर की तरह से एग्रीकल्चरल लेबर की भी मिनिमम वेज लागू होनी चाहिये। आजकल देहात के मजदूर बहुत परेशान हो रहे हैं। ट्यूबवेल और नहरों के बनने से तो एग्रीकल्चर लेबर और भी बढ़ते जा रहे हैं। अब उनकी मजदूरी तय करने में सरकार को देर नहीं करनी चाहिये। पता नहीं सरकार उनकी मजदूरी क्यों नहीं तय करती है। बड़े-बड़े शहरों, जैसे कलकत्ता, बम्बई, कानपुर में यह लेबर जाता है लेकिन उसको वहां भी काम नहीं मिलता है।

हरिजनों के लिये शहरों में जो मकानों की व्यवस्था है उसी प्रकार से टाउन एरियाज में भी व्यवस्था होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त देहातों में भी हरिजनों के लिये मकानों की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये। मेहतर, आज समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग है, वह समाज की सबसे बड़ी सेवा करता है लेकिन सरकार ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। जब मेहतरों का प्रश्न आता है तो कह दिया जाता है कि वह कैजुअल लेबर हैं। उनकी तनख्वाह फौरन बढ़ाई जानी चाहिये और रूस की तरह से आदर्श पेश किया जाना चाहिये जहां पर कि उसको ऊंचा वर्ग माना जाता है। यदि माननीय मुख्य मंत्री जी उनकी तनख्वाह बढ़ाने की घोषणा करेंगे तो उसका बड़ा स्वागत होगा। हमको प्रदेश से साम्प्रदायिकता को दूर करके वर्गविहीन समाज की स्थापना करनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में जातीयता का जोर इतना बढ़ता जाता है कि सर्विसेज में हरिजन लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जहां तक संभव हो, मेरा अनुरोध है कि बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट को जल्दी कार्यान्वित करना चाहिये। जो हरिजन लोग नौकरी में जाना चाहते हैं उनके लिये गोरखपुर में या नैनीताल में टाइप का काम, जिसे टंकन कहते हैं, सिखाने के लिये रखा गया है। वहां उनके खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है, इसलिये हर जिले में उनके लिये यह प्रबन्ध होना आवश्यक है।

चिकित्सा, पानी और मकान बनाने के लिये इन लोगों को सुविधा मिलनी चाहिये।

अन्त में मैं कुटीर उद्योगों के लिये कहना चाहता हूं कि देहात में हरिजनों की संख्या बहुत ज्यादा है। सरकार से हमारा कहना है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करते हुये देहातों में वह कुटीर उद्योग कायम करे जिससे खेतिहर मजदूरों और हरिजनों को काम मिले और जमीन के ऊपर से भी ऐसा करने से बोझ कम होगा। जो थोड़ा सा रुपया ग्रान्टों में दे दिया जाता है

है वह जूतों वगैरह में या अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। बहुत से हरिजन उसे वैसे ही खर्च कर देते हैं। इसलिये मेरा कहना है कि कुटीर उद्योग बढ़ाने चाहिये देहातों में। विलेज खादी कमीशन का काम भी देहातों में बढ़ाने से बेकारी की समस्या हल होगी।

इन शब्दों के साथ में यह कटौती का प्रस्ताव आपके सामने रखता हूं।

*श्री वीरसेन (जिला मेरठ)––अध्यक्ष महोदय, आज हरिजन कल्याण के बारे में अनुदान पेश है।

श्री अध्यक्ष––आम तौर पर मैं १० मिनट दूंगा। अगर कोई असंगत नहीं होंगे तो बढ़ा दूंगा।

श्री वीरसेन––मुझे कुछ थोड़ा सा समय और देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष––अच्छा, आप शुरू में बोल रहे हैं, आपको थोड़ा सा समय और दे दिया जायगा।

श्री वीरसेन––इस अनुदान से सरकार चाहती है कि हरिजनों की समस्या सुलझ जाय। यह बात कहने की जरूरत नहीं है कि यह समस्या इतनी बड़ी है कि जितना रुपया सरकार ने रखा है या हर साल रखती है उससे यह समस्या सुलझनी सम्भव नहीं है। लेकिन फिर भी जो कार्य सरकार कर रही है, वे ऐसे हैं जिनके लिये उसकी सराहना करनी चाहिये। विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है मैं उसका अभिनन्दन करता हूं। मैं समझता हूं कि १० वीं क्लास से ऊपर की शिक्षा के लिये सरकार हर विद्यार्थी को वजीफा देती है और फ्रीशिप देती है। इससे ऊंची शिक्षा की प्रगति हो रही है। लेकिन दसवीं से नीचे की शिक्षा में छात्रवृत्तियों की संख्या बहुत कम है। इसका नतीजा यह है कि पौधे को शुरू में पानी न देकर बड़ा होने पर दिया जाता है। तो जब पौधा शुरू में पानी न पाकर बड़ा ही नहीं होगा तो ऊपर कैसे पहुंचेगा? इसलिये विद्यार्थी १० वीं तक ही बीच में अटक जाते हैं चूंकि उनके मां-बाप खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार सभी विद्यार्थियों को वजीफा दे।

कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की डिबेट के जवाब में कहा कि सर्विसेज में काफी प्रगति हो रही है। अगर मुकाबिला किया जाय तो तभी पता चल सकता है कि जो सर्विसेज में लिये जा रहे हैं वे बराबर तादाद में लिये जा रहे हैं या नहीं। एक तरफ यह देखना चाहिये कि कितने विद्यार्थी पढ़कर निकलते हैं और उनमें से कितने सर्विसेज में लिये जा रहे हैं। देखना यह है कि ११–१२ साल में कुछ महकमों में केवल ०.०१ परसेंट ही रैक्रूटमेंट हुआ है। केवल एकाध डिपार्टमेन्ट में परसेंटेज ऊपर पहुंच गई है, यानी २५ परसेंट या कुछ। लेकिन वह ऐसे ही हैं जैसे ४ में १ हो गया तो २५ परसेंट हो गया। तो इस बात की कोशिश होनी चाहिये कि ज्यादा तादाद में लिये जावें। मैं चाहता हूं कि सरकार के सामने उन कारणों पर प्रकाश डालूं कि क्यों नहीं लिये जाते हैं। कहा जाता है कि पासिटी है कैंडीडेट्स की, उम्मीदवार नहीं मिलते हैं। यह मैं स्वीकार कर सकता हूं कि टैक्नीकली क्वालीफाइड लोगों की कमी है, इंजीनियर या डाक्टर बहुत कम हैं। लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं कि क्लास ३ और ४ की सर्विसेज के लिये भी उम्मीदवारों की कमी है। बहुत से ग्रेजुएट्स बेकार हैं, जिन्हें क्लास ३ में लिया जा सकता है। जो यह कहा जाता है कि काबिल नहीं होते हैं, यह भी कोई मजबूत दलील नहीं है। जो लोग यूनिवर्सिटी की परीक्षा पास करके निकलते हैं और वे काबिल नहीं हों, यह बात ठीक नहीं है। यह बात ठीक हो सकती है कि उनकी अप-ब्रिंगिंग या पालन-पोषण में कमी हो, लेकिन इसमें उनका कोई दोष नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वीरसेन]

उद्योग की ओर भी सरकार की ओर से अधिक प्रयत्न होना चाहिये। कुछ इंडस्ट्रियल ग्रान्ट्स दे दी जाती हैं, किसी को १०० रुपये, किसी को २०० रुपये, लेकिन यह ऐसा ही है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। यह सारा का सारा रुपया बरबाद जाता है। मैं चाहता हूं कि कनज्यूमर्स गुड्स बनाने की शिक्षा दी जाय और हर १०,१५ गांवों के लिये एक केन्द्र खोला जाय, जिससे लोगों को रोजगार मिले।

लैंडलेस लेबर का रोज प्रश्न उठता है। मेरा खयाल है कि कोई भी इससे विरोध नहीं करेगा कि बहुत ज्यादा हिस्सा लेबर का सरप्लस कहा जा सकता है कि जो जमीन पर निर्भर है। तो केवल उतने ही लोगों को जमीन पर छोड़ा जाय और बाकी को उद्योग की ओर लाया जाय। इसके लिये लोन्स और अनुदान देना आवश्यक है और इस बात को न देखा जाय कि लोन लेने वाले की हैसियत क्या है। लोन में जमानत ली जाती है। मुझे एक केस मालूम है जिसमें एक आदमी ने ५०० रुपये लोन के लिये और १५०,१५० रुपये उसे जमानतियों को देने पड़े और ५० रुपये आने-जाने में खर्च हो गये। उसे केवल १५० रुपये बचे। अदायगी के मौके पर उसे जेल जाना पड़ा। तो सरकार इस ओर ध्यान दे कि इंडस्ट्रियल लोन देते समय हरिजनों से केवल पर्सनल सिक्योरिटी ले।

अब मैं ग्रान्ट्स के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हरिजन सहायक समिति हमारे यहां है। मेरा खयाल है कि करीब ३० हजार के, न जाने किस काम के लिये, यह तो मुझे मिला नहीं, रुपया स्वीकार किया गया है। लेकिन जो हरिजन समिति जिलों में काम करती हैं वे सिर्फ मीटिंग करती हैं। तो यह ३० हजार रुपये की ग्रान्ट किस मद में दी गई है, यह मैं जानना चाहता हूं। ग्रान्ट्स के बारे में एक बात और, ईश्वर शरण आश्रम इलाहाबाद को २७ हजार रुपये की ग्रान्ट पहले दी जाती थी और अब मौजूदा ग्रान्ट १,४०,००० रुपये की रखी गयी है। अध्यक्ष महोदय, यह संस्था बहुत दिनों से कार्य कर रही है। इस संस्था का कार्य देखा जाना चाहिये कि वाकई यह संस्था कैसा कार्य कर रही है। मैंने इसको स्वयं देखा है। एक हास्पिटल में हरिजनों के बच्चों को रखा जाता है। बहुत बुरी हालत में रखा जाता है। फटी हुई दरियां हैं, खाने का ठीक इंतजाम नहीं, कपड़ों का ठीक इंतजाम नहीं, बर्तनों का ठीक इंतजाम नहीं, बड़े गंदे तरीके से रखा जाता है। जितना रुपया इस आश्रम को दिया जाता है उसका सही तरीके से उपयोग नहीं किया जाता है। इतनी बड़ी रकम एक ही आश्रम को दिये जाने से कोई लाभ नहीं है।

एक हरिजन सेवक संघ दिल्ली में है। मैं नहीं समझता यू० पी० के कितने लोग दिल्ली जाते हैं और उससे लाभ उठाते हैं। लेकिन इस हरिजन सेवक संघ को यू० पी० से १२ हजार रुपया दिया जाता है।

लैन्ड स्कूल को भी इस विभाग से ग्रान्ट दी जाती है। मैं नहीं समझता कि कितने हरिजन लड़के इस लैन्ड स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिये। अगर उनको सहायता देनी ही है तो शिक्षा की मद से क्यों नहीं दी जाती है ?

अध्यक्ष महोदय, इस बारे में चर्चा की गयी कि इस डिपार्टमेन्ट को खत्म किया जाय और सोशल वेलफेयर अथवा एजूकेशन में इसको मिला दिया जाय। मैं समझता हूं कि अगर इस विभाग को ठीक तरह से चलाया जाय तो ठीक है, वरना इसको खत्म कर दिया जाय। हरिजन वेलफेयर आफीसर को कोई ताकत नहीं है। दूसरे जो आफिसर्स हैं उनको डिसबर्सिंग पावर्स हैं। लेकिन इसका नाम तो बहुत लंबा होता है डिस्ट्रिक्ट हरिजन वेलफेयर आफिसर, लेकिन वह नाम का आफिसर है। वह केवल पोस्ट आफिस की तरह से चिट्ठियों को इधर से उधर पहुंचाया करता है। उसे अधिकार दिये जायं वरना इस डिपार्टमेन्ट को समाप्त कर दिया जाय। आपको उसकी ताकत में इजाफा करना चाहिये नहीं तो इसको एजूकेशन में मिलाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष---अगर आप अपनी स्पीच को छपवाना चाहते हैं तो थोड़ा ठहर ठहर कर बोलें ।

श्री वीरसेन---श्रीमन्, समय की कैद लगी हुई है ।

श्री अध्यक्ष---मैंने आपको १५ मिनट दे दिये हैं ।

श्री वीरसेन---अब मैं सर्विसेज के बारे में दो चार शब्द कह देना चाहता हूं । सर्विसेज में पासिटी हरिजन कैंडीडेट्स की कमी की वजह से बतायी जाती है । मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं । मुझे तो जो चुनने वाले हैं उनका पक्षपातपूर्ण व्यवहार मालूम पड़ता है । पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ऐसा देखा जाता है कि हरिजनों के ऐसे बच्चे आते हैं जो क्वालीफाइंग टेस्ट में तो क्वालीफाई करते हैं लेकिन इन्टरव्यू में उनको बहुत कम मार्क्स मिलते हैं, इस वजह से रह जाते हैं । मैं समझता हूं कि वहां पर भी कुछ न कुछ कास्ट प्रिजुडिस काम करता है । इसके अलावा पर्सनेल्टी टेस्ट का जो तरीका है उसको बदल दिया जाना चाहिये । आजकल जो सब्जैक्टिव टेस्ट लिया जाता है उसको रिप्लेस करके साइकोलोजिकल टैस्ट लिया जाना चाहिये । एजूकेशन साइंस इस दिशा में बहुत तरक्की कर गयी है और साइकोलोजिकल टेस्ट आसानी से लिया जा सकता है और मेरा खयाल है इस प्रकार का टेस्ट लेने से जो आज पक्षपात आदि की शिकायत की जाती है, वह खत्म हो सकती है ।

इसके बाद अन्त में मैं कुछ वर्ण व्यवस्था के बारे में भी २-४ शब्द कहना चाहूंगा । मैंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर बोलते हुये भी इस बारे में कुछ कहा था । मैं समझता हूं यह समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है और यह एक ऐसा रोग है, जिसका इलाज होना चाहिये । २-४ शब्द इसके बारे में कल कहे थे । इसका इलाज तभी हो सकता है जब दुधारी तलवार से इस पर प्रहार किया जाय---एक तो मनोवैज्ञानिक रूप में और दूसरे कार्य रूप में आप उनको अधिक शिक्षा देकर आगे बढ़ा सकते हैं । दूसरे हम उनको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ाना है । जमीनों पर जो मजदूर काम कर सकते हैं उनके अलावा अधिक मजदूरों को जमीन की गुलामी से छुड़ाना है । उसको कोई ऐसा रोजगार दिला दें जिससे रोटी के लिये, खाने के लिये वह दूसरे पर मुनहसिर न रहे तो बहुत कुछ समस्या का हल हो जाय ।

जो दूसरा पक्ष है वह यह है कि हमें कुछ निगेटिव काम भी करने चाहियें और यह कानून के जरिये से हो सकता है । कानून ने यह आस्था दी है कि हरिजन नीचा है । मैं समझता हूं कि कानून के जरिये हरिजनों को सबके बराबर माना जाय । कानून ऐसा होना चाहिये जिसमें वर्णों को तोड़ने के लिये हुक्म हो और वर्णों को तोड़ देना चाहिये। जो ऊंच-नीच का भेद कायम रखना चाहते हैं या जो जाति का नाम रखकर उसमें गौरव महसूस करते हैं उनको उचित दंड मिलना चाहिये । हैं तो निरक्षर भट्टाचार्य लेकिन अपने को पंडित कहने और कहलवाने में आदर और गर्व महसूस करते हैं । ऐसे विचारों को कानून के जरिये से बन्द करना चाहिये और उन लोगों को उचित दंड मिलना चाहिये जो इस तरह की भावना का प्रसार करते हैं और बरतते हैं।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि इंटरकास्ट मैरिजेज को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । मैं यह नहीं कहता कि हरिजनों और सवर्णों की मैरिजेज हों, लेकिन एक दूसरे के अन्दर अगर मैरिजेज लोग करें तो उसके लिये सरकार से एनकरेजमेंट मिलना चाहिये और वह तरीका यही हो सकता है जैसा कि मैं पढ़ रहा था कि हालैण्ड में जब तादाद बढ़ाने के लिये कोशिश की गयी तो जो लोग अर्ली मैरेजेज करते थे उनको स्टेट सब्सिडी देती थी । इसी तरह से यहां पर भी जो लोग इंटरकास्ट मैरिजेज करें उनको सरकार की तरफ से प्रिफरेंस सर्विसेज में मिलना चाहिये । इसी तरह से एक डेटरीमेंटल-सा प्राविजन भी होना चाहिये कि जो लोग विदिन कास्ट मैरेजेज करें तो उनके लिये यह कानून होना चाहिये कि उनके इनहेरीटेंस में कुछ कमी पड़े । तो

[श्री वीरसेन]

इस तरह से लोकल प्राविजन्स को करके ही सरकार इस मसले को हल कर सकती है। जब दोनों तरफ से सरकार कुछ करेगी तभी इस समस्या का जल्द से जल्द हल हो सकता है।

मैं समझता हूं कि एक ब्राडर आउटलुक हम रखें और अगर इस ब्राडर आउटलुक द्वारा इस समस्या को हल न किया गया तो यह समस्या इस देश के लिये घातक होगी। आज हम देखते हैं कि यह समस्या आगे बढ़ती चली जा रही है। वह अत्याचार अब भी गांवों में होते चले जा रहे हैं। अब भी वह उतार-चढ़ाव होता आ रहा है। अगर कोई मजदूर हरिजन गांव में नौकरी करता है तो उसको रास्ते से निकलते वक्त झुककर चलना चाहिये। अब भी अगर हरिजन गांवों में कुएं पर चढ़ जायं तो कत्ल हो जाते हैं। अभी पता चला है कि बनारस के पास एक हरिजन का बच्चा मारा गया क्योंकि उसने कुएं पर पानी पी लिया था। तो मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले को कम्प्लेंसेंसी से न देखे और यह न समझे कि यह मामला अपने आप हल हो जायगा। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर कोई कदम उठावे और सिर्फ कदम ही न उठावे बल्कि लैंडलेस लेबरर को लैंड मिले। बल्कि मैं तो यह समझता हूं कि अब यह नारा सरकार की तरफ से दिया जाय कि अब तक यह था कि लैन्ड टु दि टिलर लेकिन अब यह नारा लगे कि लैंड टु दि लेबरर यानी जो जोते-बोवे उसकी जमीन होगी। यह न हो कि लैंड ले लिया है और उसको नौकरों से जुतवा-बोवा लिया, जमीन उसकी होनी चाहिये जो खून और पसीना एक करके खेती करता है और खेत जोतता है। मैं यह भी चाहता हूं कि सीलिंग के कानून में ऐसा प्राविजन होना चाहिये कि जहां कहीं भी एक्सप्लायटेशन सम्भव हो वह खत्म होना चाहिये और साढ़े १२ एकड़ को मिनिमम सीलिंग तय करनी चाहिये ताकि यह सारी समस्या ठीक तरह से हल हो सके। मैं चाहता हूं कि सरकार इन सब बातों पर ध्यान दे और इस प्रकार के तरीके अमल में लावे जिससे यह एक्सप्लायटेशन खत्म हो और इस हरिजन समस्या का ठीक तरह से हल हो सके।

श्री मूलचन्द (जिला सीतापुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो अनुदान हरिजन कल्याण के सम्बन्ध में पेश हुआ है मैं उसका विरोध करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है उसका समर्थन करता हूं। मुझे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये क्यों बाध्य होना पड़ा इसका एक कारण है। उसके लिये मैं मजबूर हूं। मैं आपके द्वारा सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूं और चाहता हूं कि आपके द्वारा ही यदि कोई ऐसा प्राविजन हो जिससे इस प्रदेश के रहने वाले हरिजनों को आप मेरा यह संदेश भिजवाने की कृपा करें। आप देखें, एक तरफ साढ़े ३ लाख की आबादी के पहाड़ी इलाके पर आज सरकार करीब २७ करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है और दूसरी तरफ प्रदेश के करोड़ों हरिजनों के लिये सिर्फ पौने २ करोड़ रुपये के लगभग ही खर्च किया जा रहा है। तो इस तरह से सौतेली मां की तरह से जो पक्षपात सरकार करने जा रही है इससे मैं समझता हूं कि हरिजन जो कि सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा है और परेशानियों से जिसकी कमर टूट चुकी है, वह ऊपर नहीं उठ सकेगा।

आज सरकार कहती है कि गांधी जयन्ती के शुभ अवसर पर हरिजनों से अस्पृश्यता निवारण के लिये कार्य कराये जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाय तो मालूम होगा कि उस दिन शायद स्कूलों और दीगर कचहरियों में इस कार्य को कराया जाता है और उन स्थानों में अगर अस्पृश्यता सप्ताह मनाया जाता है तो वहां से महरों से पानी भरवाया जाता है, या चाय बनवाई जाती है और उनके द्वारा बिकवाई जाती है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह से कोई उसका असर नहीं होता है।

देहातों में चाहे पानी की समस्या लीजिये, चाहे होटलों को लीजिये और चाहे अन्य सार्वजनिक स्थानों को लीजिये, सब जगह हरिजनों के साथ वही व्यवहार होता है जैसा कि पहले होता था। मैं देखता हूं कि आज सरकार स्वयं पक्षपातपूर्ण कार्य कर रही है और अगर नौकरियों की बात को ही लिया जाय तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सीतापुर जिले में पी०डब्लू०डी० में कुछ क्लर्कों का चुनाव हुआ था। उस चुनाव में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा यह कहा गया, अगर चमार उनके सामने गया तो, कहा गया कि तुम तो चमार हो, जूते का काम क्यों नहीं

करते, क्यों बेकार ८५ रुपये की नौकरी करते हो और अगर पासी गया तो उससे कहा जाता है कि तुम २०० रुपये की सुअरी क्यों नहीं ले लेते हो, उसको चराया करो। तो उन लोगों से, जिनके मां-बाप ने बड़ी मुसीबत से उनको पढ़ाया, इस तरह का व्यवहार करके उनके उत्साह को भंग किया जाता है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि छुआछूत का रोग जो समाज के अन्दर घर कर चुका है और सदियों से हरिजनों को गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुये है, वह इस तरह से खत्म होने वाला नहीं है। जब तक सरकार की तरफ से सही कदम उसको खत्म करने के लिये नहीं उठाया जाता तब तक यह रोग पहले की ही तरह से बना रहेगा।

हरिजनों की नौकरियों के सम्बन्ध में एक बात मैं लखनऊ की ही आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे मालूम हुआ कि हरिजन कल्याण संचालक के कार्यालय में एक निरंजनलाल कुरील उपसंचालक थे, उन्हें सहायक जिला हरिजन कल्याण अधिकारी बनाया जा रहा है। मालूम नहीं उनकी क्या खता है .....

श्री अध्यक्ष––मैं समझता हूं कि वैयक्तिक विषय न लीजिये।

श्री मूलचन्द––अच्छी बात है जो मैंने नाम लिया है, उसे श्रीमन् की आज्ञा से वापस लेता हूं, लेकिन .....

श्री अध्यक्ष––वापस लेने की जरूरत नहीं है। आगे न कहिये वरना उससे नुकसान ही होगा।

श्री मूलचन्द––जब इस प्रकार की बातें राजधानी में होती हैं तो बड़ा दुख होता है।

ट्रेनिंग सेंटर के बारे में मंत्री जी ने बताया कि काफी हरिजन लड़कों को ट्रेनिंग दे कर टेक्नीकल कार्यों में लगाया गया। लेकिन मैं देखता हूं कि जब लड़के ट्रेनिंग पाकर निकलते हैं तो उन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि १९५७ से आज तक कितने लड़कों को ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दी गई और कितनों को नौकरी दी गई, इसकी सूचना मंत्री जी देने की कृपा करें।

अब मैं अपने जिले की बात कहना चाहता हूं। हमारे यहां जिले में हरिजन कल्याण समिति बनी हुई है और ५७ से ५९ तक वह सदस्य जो आम चुनाव में बहुत बुरी तरह जनता द्वारा ठुकराये गये उनको उस समिति का सभापति बना दिया गया। यही १९६० में हुआ और प्रदेशीय सरकार की रिकमन्डेशन पर वहां पहुंचे। मुझे ताज्जुब होता है जो आदमी जितनी बार जनता द्वारा ठुकराया जाता है वह उतने ऊंचे पद पर बैठाया जाता है। जब हरिजन सहायक समिति का चुनाव होता है तो उसमें पार्टीबन्दी होती है। हरिजन कल्याण की समस्या राजनीति से अलग होनी चाहिये अन्यथा गुलामी हरिजनों के सर पर से नहीं उतर सकती है। इसलिये इस प्रकार के चुनाव सरकार को नहीं करने चाहियें।

प्राइमरी स्कूलों में सरकार की तरफ से वजीफे और फीस दी जाती है। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं कि सीतापुर जिले में कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां स्कालरशिप भेजा गया लड़कों को जिला बोर्ड की तरफ से। मगर लड़कों को न मिल करके अध्यापक वर्ग ने किसी प्रकार से हड़प कर लिया। पिछले साल मिसरिख में एक मास्टर जो स्थानीय थे उन्होंने कुछ लड़कों के वजीफे हड़प लिये। जब वहां के सुपरवाइजर ने पकड़ा तो वह मामला जिला विद्यालय निरीक्षक तक पहुंचा मगर पता नहीं उसमें क्या हुआ।

पिछली बाढ़ में हमारे यहां हरिजनों का काफी नुकसान हुआ है, लेकिन उनको उतनी सहायता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिये थी। एक तो वैसे ही वह गरीब होते हैं और ऊपर से बाढ़ से बरबाद हुए, नतीजा यह हुआ कि सरकार की तरफ से जो अनुदान वितरण हुआ तहसील के द्वारा वह पक्षपातपूर्ण रहा। हालांकि हरिजन कल्याण विभाग की तरफ से थोड़ी बहुत सहायता

[श्री मूलचन्द]

२०,१५ रुपये को हो या १० रुपये की हो जरूर मिली है, लेकिन यह १०,२० रुपये की सहायता बिलकुल बेकार-सी है। इस दिशा में मैं चाहता हूं कि इन सैलाबी इलाकों में जहां पर कि बाढ़ से हरिजन तबाह हुये हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा सहायता देने की कृपा की जाय।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, आज का यह जो अनुदान हरिजन और बैकवर्ड क्लास के मुताल्लिक पेश किया गया है मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। दुनिया के किसी मुल्क में भी यह मिसाल और नजीर नहीं मिलती जहां मजहब के नाम पर, जात के नाम पर, नस्ल के नाम पर इन्सानियत को मिटाया जाय और उस पर जुल्म किया जाय। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में ऐसा होता है जहां नस्ल के एतबार पर इम्तियाज है। हम यहां इंसान को उसकी काबलियत की बिना पर नहीं बरतते, नस्ल और मजहब की बिना पर बरतते हैं। यह हमारी बदकिस्मती नहीं तो और क्या हो सकती है। गैर मुल्कों की तारीख उठा कर देखें, इंग्लैन्ड में मजहब के नाम पर, कैथालिक और प्रोटेस्टेंट के नाम पर तो जुल्म हुये हैं लेकिन इस बिना पर जुल्म नहीं हुये कि कोई बैकवर्ड है, हरिजन है या फलां जाति का है और फलां जाति का नहीं है।

आज हम कानून के जरिये मुल्क के उस तबके का सुधार कर रहे हैं जो मुल्क की आबादी का ७९,८० फीसदी हिस्सा है। जहां तक मर्दुमशुमारी का ताल्लुक है हरिजनों की तादाद २५ फीसदी है और ५० फीसदी बैकवर्ड्स की आबादी है। इस तरह से सब मिला कर अमूमन ७९ फीसदी आबादी इस प्रदेश में उन लोगों की है जो पिछड़े हुए तथा हरिजन के नाम से पुकारे जाते हैं। तो जाहिर है कि अगर इस ७९,८० फीसदी का सुधार हो सके, उन्नति हो सके तो सारे प्रदेश की तरक्की हो सकती है। हमने कुछ मजहब के नाम पर उनकी इसलाह करनी चाही। फिर मुल्क की जंगे आजादी के दौरान गांधी जी ने जो कुछ किया उस अहसान को हम नहीं उतार सकते। उन्होंने इंसान को इंसानियत के दरजे पर लाने की कोशिश की और उस के लिये हर मुमकिन तरीके अपनाये। हमने सियासी तौर पर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की। आजादी के बाद जो गांधी जी के फालोअर थे उन्हीं के हाथ में ताकत आई और उन्होंने कानूनी तौर पर इन लोगों की हालत सुधारने की कोशिश की। लेकिन कानूनी तौर पर ही उनका सुधार नहीं हो सकता यह लोगों ने महसूस किया। लोगों ने यह महसूस किया कि हरिजन और बैकवर्ड लोगों की हालत में सुधार नहीं हुआ तो मुल्क कमजोर रहेगा और कमजोरी बाकी रहेगी तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क की तरक्की करने में जितना हिस्सा बैकवर्ड क्लास, हरिजन लोगों का है उतना किसी का नहीं। खानों में, खेतों में, मिलों में, कारखानों में जहां भी आप देखेंगे वहां यह हरिजन तथा बैकवर्ड क्लास के आदमी ही मिलेंगे।

एक क्लास और ऐसा है जो काबिल मुबारकबाद है। जमींदारी टूटने पर एक तबके को खेत मिले, लेकिन एक दूसरा तबका ऐसा भी रहा जो मेहनत करता है, मुल्क की दौलत बढ़ाता है, मुल्क को नीचे से ऊपर उठाता है, मुल्क की दौलत बढ़ाना आज उसके हाथ में है, लेकिन जो दौलत वह पैदा करता है वह दौलत उसे नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर ३०,४० फीसदी हिस्सा बजट का सरकारी मुलाजिमों पर खर्च होता है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि कोपोस्ट्स पर कितने बैकवर्ड और हरिजन हैं? जिन लोगों के हाथ में मुलाजिम रखने की शक्ति है वह वे आदमी नहीं हैं जिनको गुरबत का या उस माहौल में रहने का तजुरबा हो जिसका तजुरबा हरिजन और बैकवर्ड क्लास के लोगों को होता है। यकीनन किसी हरिजन या बैकवर्ड का माहौल वैसा नहीं हो सकता जैसा कि उन लोगों का होता है जो सदियों से तरक्की किये हुये हैं। तो जब हरिजनों को वैसा मौका और माहौल नहीं मिलता है तो जहां हम उनको और रियायतें देते हैं वहां यह भी करें कि अगर १५, २० न भी सही तो भी १९, २० का जहां मामला हो वहां हरिजन और बैकवर्ड को प्रिफरेंस देना ही चाहिये।

इसके अलावा बहुत-सी चीजें ऐसी भी हैं जो बगैर पैसे के भी की जा सकती हैं। यह मैं सरकारी मुलाजिमों के लिये ही नहीं कह रहा हूं बल्कि जो विधायक लोग हैं या जो सियासत

में काम करने वाले लोग हैं उन्हें भी अपने फर्ज का एहसास होना चाहिये कि वे इस दिशा में कुछ अपने फरायज को अंजाम दें। इस लिहाज से सबसे जरूरी और बेहतर काम यह है कि हम लोग गांवों में जा कर हरिजनों और पिछड़ी हुई जातियों के लोगों को बतायें साफ रहना, अच्छे कपड़े पहनना, अपने बच्चों को तालीम दिलाना, कैसे लोगों से बातचीत की जाय, वगैरह वगैरह। यह सब महज एक ट्रेनिंग है जो बगैर हमारी हमदर्दी के नहीं हो सकती। इसी तरीके से आज कानूनी तौर पर कोशिश की जाती है कि उनके लिये सड़कें, कुयें और मकानात बनवायें जायं, लेकिन आज भी ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां हरिजनों के पीने के लिये पानी नहीं है। या तो वहां पर हमारे सरकारी कर्मचारी नहीं जा सके या वहां की आबादी में इतनी जानकारी नहीं है जो अपनी जरूरतों को किसी के सामने रख सकें। इसलिये जहां पर उनके पीने के लिये पानी नहीं है अगर वहां पर कुओं का इन्तजाम किया जा सके तो बहुत बेहतर हो, क्योंकि इंसान की जिन्दगी के लिये सब से जरूरी चीज आग, रोशनी, हवा और पानी है और जो कुदरत की तरफ से सब को फ्री मिलती हैं। इसलिये कम से कम उनके पीने के लिये पानी का इन्तजाम तो हो ही जाना चाहिये।

दूसरे जहां तक पब्लिक सर्विस कमीशन का ताल्लुक है, इससे पहले भी कुछ लोगों ने उसके मेम्बरान का जिक्र किया। जब इतनी बड़ी आबादी हरिजनों और पिछड़ी जातियों की हमारे यहां है तो कम से कम अगर तीन नहीं तो दो मेम्बर तो हरिजन और बैकवर्ड क्लास के पब्लिक सर्विस कमीशन में होने ही चाहियें ताकि वे उस कमी को भी महसूस कर सकें जो आज हरिजनों और बैकवर्ड लोगों में है और जो दूसरी जाति के लोग महसूस नहीं कर सकते क्योंकि "जिसके पैर न गई बेंवाई, वह क्या जाने पीर पराई"। जो उस माहौल में नहीं रहा है वह हरिजनों की दिक्कत और उनकी कमजोरी को कैसे समझ सकता है। इसलिये यह निहायत जरूरी है कि कम से कम दो नुमाइन्दे इन लोगों के भी पब्लिक सर्विस कमीशन में रहें। अगर इन तमाम चीजों पर नजर रखी जाय तो यकीनन इस प्रदेश में इस पिछड़े हुये तबके की तरक्की और उन्नति हो सकती है।

इसके अलावा आज जहां तक वजाइफ का सवाल है आमतौर से जो होशियार आदमी होते हैं ज्यादातर वे ही उससे फायदा उठाते हैं और गरीब आदमी यों ही रह जाते हैं। आज वजाइफ उन लोगों को मिलते हैं जिनके ५५ फी सदी नम्बर आते हैं और ऐसे लोग वही होते हैं जिनका माहौल अच्छा होता है, जिनके पास पैसा होता है। इसलिये मेरी गुजारिश है कि वजाइफ उनको न दिये जायं जो पैसे वाले लोग हैं चाहे वे बैकवर्ड क्लास के हों या किसी और क्लास के बल्कि उन आदमियों को दिये जायं जो वाकई अपनी गुरबत की बिना पर, अपनी नाकारी की बिना पर अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते।

श्री अध्यक्ष—समय समाप्त।

श्री अहमद बख्श—इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—श्रीमन्, आज जो अनुदान हरिजन कल्याण का है मैं यह समझता हूं कि यह इस समाज के लिये कुछ भी नहीं है क्योंकि हमेशा जब कोई समाज पिछड़ा हुआ होता है उसकी जिम्मेवारी सरकार की नहीं बल्कि समाज की होती है। आज जो यह समाज पिछड़ा हुआ है उसके लिये मैं समझता हूं कि इतने धन की आवश्यकता नहीं है। समाज तो यह चाहता है कि उसका आदर हो और जिसका आदर होता है, मैं समझता हूं कि वह संसार में ऊंचा समाज माना जाता है। आज हमें सरकार धन देकर या सहायता देकर उठाने की कोशिश करती है लेकिन समाज में वह चीज नहीं है जो कि होनी चाहिये। ऐसा पिछड़ा हुआ समाज जो सारे समाज की सेवा कर सकता है उसका आज आदर नहीं किया जाता है यह बड़े दुख की बात है। आज समाज चाहता है कि सबको समानता का हक हो, समानता मिले, रहन-सहन के साधन हों, पढ़ने-लिखने के साधन हों, गृह-उद्योग बढ़ें, लेकिन अनुदान

[श्री रामप्रसाद देशमुख]

देखकर मैं समझता हूं कि इस मुहकमें में जितना रुपया खर्च किया जाता है उसको मैं समाज के लिये एक कलंक समझता हूं क्योंकि आज जो रुपया खर्च किया जाता है वह नाम मात्र के लिये हरिजनों पर पड़ता है । जितनी हरिजनों की आबादी है अगर उसका अनुपात लिया जाय तो मुश्किल से एक नया पैसा प्रति व्यक्ति पड़ेगा। आज हमारे विभागों की मनोवृत्ति यह हो गई है कि अगर किसी हरिजन को रिजरवेशन से कोई जगह मिलती है तो अन्य लोग उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, उसकी त्रुटियां निकालते हैं और चाहते हैं कि यह किसी तरह से न आये।

हमारे जिले में पी०डब्ल्यू डी० में एक केस चल रहा है। पानी पीने के प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया गया है। लोगों की शिकायतें भी आई हैं लेकिन कुछ गौर नहीं किया जाता है। आज लोग हरिजनों के लिये यह चाहते हैं कि इनको दुत्कारा जाय, इनको छोटा कहा जाय। लेकिन हमारी सरकार ने जरूर कुछ किया है और हमारी सरकार इनको आगे बढ़ाना चाहती है लेकिन अन्य लोग नहीं चाहते हैं। इसलिये हमारी सरकार का कर्त्तव्य है कि वह ऐसे आदेश दे कि जो नौकर रखे जायं वह ऐसे लोग हों जो छुआछूत न मानते हों। अगर मानते हों तो उनको निकाला जाय। जहां तक चपरासियों का सवाल है तो इन लोगों को ही चपरासी रखा जाय और यही लोग पानी वगैरा पिलावें। आज यही झगड़ा है कि लोग इनके हाथ का पानी नहीं पीते हैं। इसलिये इस भेद को मिटाने के लिये सरकार ऐसे आदमी नौकर रखे जो इन चीजों को न मानते हों। हमारी सरकार का ध्येय है कि वह समानता लाये। अगर समानता नहीं ला पाती है तो उसके लिये यह एक कलंक हो जाता है ।

जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है, सरकार १५०–२०० रुपये देती है । इतने रुपये तो आने जाने में ही खर्च हो जाते हैं। सरकार चाहे थोड़े आदमियों को दे लेकिन इस तरह से इंतजाम किया जाय जिससे खाने पीने के साधन उनके बन सकें। ऐसे टैक्नीकल आदमी जो दस्तकारी करते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन बढ़ा नहीं पाते क्योंकि उनके पास धन नहीं है, उनकी सहायता होनी चाहिये। उन्हीं के काम की बड़ी-बड़ी फर्म चल रही हैं जो वह करते थे और यह लोग वहीं के वहीं हैं और अपनी दस्तकारी आगे नहीं बढ़ा सके। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि इनको उठाने की कोशिश करना चाहिये और सरकार उनको रुपया दे जिससे वह अपनी दस्तकारी आगे बढ़ा सकें।

शिक्षा के संबंध में हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है । लेकिन शिक्षा देने से मैं समझता हूं कि यह चीज हो गई है कि पढ़ने-लिखने से पहले तो वह लोग मजदूरी कर लेते थे मगर आज शिक्षा प्राप्त करने के बाद यह मजदूरी करते नहीं हैं और नौकरी मिलती नहीं है इसलिये बेकार हो गये हैं। इसलिये सरकार का धर्म है कि इन लोगों में जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी दे अन्यथा उनके धंधों को बढ़ावा दे जिससे जो लोग पढ़ने के लिये जायं वह यह रुचि न रखें कि पढ़ने के बाद हमें नौकरी करना है। बहुत से निर्धन माता-पिता इसलिये अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि पढ़ लेने के बाद उनके बच्चों को नौकरी देने में सरकार मदद करेगी और नौकरी दे देगी।

हमारे यहां वैसे १८ परसेंट रिजरवेशन है लेकिन बहुत से ऐसे विभाग हैं जहां एक भी हरिजन नहीं है। कहने से क्या हो सकता है ? हमारी सरकार इधर ध्यान नहीं देती है । आज से सरकार इस बात को तय कर ले कि जब तक १८ परसेंट कोटा पूरा नहीं करते तब तक वे जगहें न भरी जायं।

दूसरी बात यह कही जाती है कि सूटेबिल कैंडीडेट्स नहीं मिलते । मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं यह तो केवल एक बहाना है। एक बार नहीं मिलते, दो बार नहीं मिलते, तीन बार नहीं मिलते, कब तक नहीं मिलेंगे ? जब तक वह न मिलें, उनकी जगहें न भरी जायं।

पुलिस का इंटरव्यू होता है। इस साल भी हुआ और चीजों में अच्छे नम्बर लाये लेकिन इंटरव्यू में कह दिया गया कि यह अनफिट हैं। जब रिटेन में पास, मेडिकल में पास तो इंटरव्यू में क्यों फेल कर दिया गया? अगर उन लड़कों को सरकार के सामने खड़ा किया जाय तो सरकार कहेगी कि कितने अच्छे लड़के हैं। मैं कहता हूं कि वह लड़के उनसे कहीं अच्छे हैं जो पक्षपात से आये हैं। इसलिये अगर उनको अनसूटेबिल कह कर निकाला जाय तो यह सरकार की भूल है।

दूसरे, सरकार यह कहती है कि हमें अच्छे लोगों की जरूरत है। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन में उनका आदमी हो तो उसको कहने का अधिकार होगा कि उनका कैंडीडेट अच्छा नहीं है। जब पब्लिक सर्विस कमीशन में उनका कोई आदमी नहीं है, तो कैसे कहा जा सकता है कि हरिजन कैंडीडेट्स ठीक नहीं मिलते। इसलिये पब्लिक सर्विस कमीशन में उनका आदमी रखने की कोशिश कीजिये। सरकार इस बात पर ध्यान दे। उनके आदमियों को कम से कम रखा तो जाय और तब पूछा जाय कि कैंडीडेट अच्छा है या नहीं।

जहांतक हरिजन अधिकारियों की बात है हरिजन अधिकारियों को गजेटेड अफसर बना तो दिया गया है लेकिन वह एक क्लर्क का काम करता है। जो अनुदान दिया जाता है, उसकी फाइल कभी डी०पी०ओ० के पास जाती है, कभी वहां से लौट कर फिर क्लर्क के पास जाती है और फिर डी० एम० के पास जाती है। इस तरह से वह फाइल इधर से उधर घूमा करती है। तो उस अफसर को रखने का फायदा क्या है? जिस गजेटेड आफिसर को यह भी अधिकार न हो कि वह अनुदान पास कर दे और लोगों को दे दे और यह मालूम हो जाय कि वास्तव में लोगों को मिल गया तो ऐसे अधिकारी को रखने से क्या फायदा? ऐसे हरिजन डिपार्टमेंट को कतई तोड़ देना चाहिये क्योंकि इसके द्वारा दूसरे लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, टट्टी की आड़ में शिकार खेलते हैं। हरिजनों के नाम पर डिपार्टमेंट है लेकिन हरिजनों का इससे कोई कल्याण नहीं होता। अगर इस डिपार्टमेंट को चलाना है तो ईमानदारी से इस तरह से चलाइये जिससे हरिजनों का कल्याण हो सके।

अब मैं स्कालरशिप के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। यहां से कहा जाता है कि पावर्टी पर वजीफा दिया जाय, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि मैरिट पर दिया जायगा। हरिजन लड़का मेरिट पर तभी कम्पीट कर सकता है जब उसको अच्छा खाने और पहनने को हो। इंस्पेक्टर मेरिट के आधार पर लिस्ट बनाता है। मैंने बार-बार जा कर कहा कि डिपार्टमेंट से पूछो लेकिन डिपार्टमेंट कहता है कि इंस्पेक्टर ने ठीक किया। नतीजा क्या होता है कि वह लड़के जो गरीब हैं, उनको वजीफा नहीं मिल पाता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि मेरिट का वजीफा अलग रखें और पावरटी का वजीफा अलग रखें ताकि कम से कम गरीबों को वजीफा तो मिल जाय। इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स से उस लिस्ट को बनवाया जाता है वह कहता है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हरिजन विभाग की जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। मैं एक बेगार कर रहा हूं। इसको हरिजन डिपार्टमेंट क्यों नहीं करता? तो इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स की यह जिम्मेदारी कम से कम खत्म कर दें, या अगर उससे वह काम करवाया जाता है तो उसको इसके लिये जिम्मेदार बनाया जाय।

श्री खयालीराम (जिला लखनऊ)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विश्राम राय ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अपने प्रदेश में जो हरिजनों की समस्यायें है, यह केवल हरिजनों की समस्यायें नहीं हैं बल्कि राष्ट्र की समस्यायें हैं। आज १४ साल के शासन के बाद भी कांग्रेस सरकार ने जो नीतियां हरिजनों या पिछड़ी जातियों के साथ बरतीं, कोई भी हरिजनों से सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति यह कहने में संकोच नहीं करेगा कि उनमें हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों की उपेक्षा की गई है। मान्यवर, भारत के संविधान में अंकित १८ प्रतिशत हरिजनों के संरक्षण के नारे सदैव

[श्री खयालीराम]

पब्लिक मीटिंगों में, आम सभाओं में चुनाव के दरमियान लगाये जाते हैं कि हमारी सरकार के द्वारा हरिजनों को सातवें आसमान पर उठाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उस १८ प्रतिशत संरक्षण के विषय में म यह कहने में संकोच नहीं करूंगा कि जहाँ पर योग्यता का कोई सवाल नहीं उठता है, चपरासियों में भी वह १८ प्रतिशत संरक्षण पूरा नहीं हो पाता है और यही नहीं जो हरिजन सर्विसेज में पहले के थे भी उन्हें निकालने में भी इस सरकार के अधिकारी जरा भी शरमिन्दा नहीं होते। मैं यहीं लखनऊ के शारदा कैनाल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का उदाहरण देना चाहता हूं। मैंने उसके लिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न भी रखा और मैंने माननीय अध्यक्ष को नियम ५२ के अन्तर्गत भी बहस करने के लिये समय देने हेतु प्रार्थना की थी कि आधे घंटे का समय दे दें तो हम सही दृष्टिकोण सदन के सामने रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आये, जिनके द्वारा तीन महीने में ६ आदमी निकाले गये। उसमें से ३ हरिजन थे, दो बैकवर्ड क्लास के थे और १ सवर्ण कास्ट का था जिसे इसलिये निकाल दिया गया कि उसने अंडे खाये हुये बर्तन नहीं साफ किये। तो इस तरह से खास तौर से मैं यह कहूंगा कि जो हरिजन पहले थे या पिछड़े हुए लोग पहले सर्विस में थे भी उनको निकालने में भी सरकार के अधिकारी शरमिन्दा नहीं होते। माननीय मंत्री जी ने उस हरिजन को जिसे कि चमार, नीच कहकर, अपमानित करके निकाला गया कहा था कि वह गुन्डा है। मैं माननीय मंत्री जी के पास निवेदन आपके द्वारा पहुंचाना चाहता हूं कि वह उस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बारे में जानकारी प्राप्त करें जो कि कानपुर अक्सर जुआ खेलने जाया करता है। उसके आचरण के संबंध में तो उन्होंने कोई चर्चा नहीं की और वह हरिजन जो कि एक अच्छे आचरण का व्यक्ति था उसे उन्होंने गुन्डा कहने में संकोच नहीं किया।

आज हरिजनों की आबादी इस प्रदेश में ५१ की जनगणना के ही आंकड़ों के मुताबिक २०.७२ प्रतिशत है और इसमें वह जाति जुड़ी हुई नहीं है जिसे कि अनुसूचित आदिम जाति कहते हैं। अगर उनको भी जोड़ा जाय तो यह आबादी चौथाई हो जाती है। सर्विसेज में जो स्थान उनके लिये सुरक्षित हैं वह १८ प्रतिशत हैं। उनकी भी पूर्ति नहीं हो पाती और मैं यह भी कहने में संकोच नहीं करूंगा कि पिछले १४ सालों के शासन में मुझे यह अनुभव हुआ है कि अगर हरिजनों का कल्याण कोई करेगा तो हरिजन अधिकारी ही हरिजन कल्याण विभाग में रखे जाने चाहिये, वही उनका कल्याण कर सकते हैं। बाकी यह सवर्ण जो हैं यह हरिजनों का कल्याण अगर करते तो उनकी दशा ही ऐसी न होती कि कल्याण करने की चर्चा करनी पड़ती। हरिजन कल्याण विभाग में सचिव, उप-सचिव, सहायक सचिव कितने ही हैं लेकिन हरिजन एक भी उनमें नहीं है। एक थे भी लेकिन उनके बारे में आपने आदेश नहीं दिया कहने का कि वह पब्लिक सर्विस कमीशन की बात यहां कही जाय, लेकिन यह मैं बता दूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन का केवल एक आदमी था जो इसी जिले में जिलाधीश रह चुका है, लेकिन सचिव और उप-सचिव आदि ने मिलकर उस हरिजन को निकाला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जरा इन बुराइयों पर वह गौर करें, वरना अगर हरिजनों की गिरावट हुई तो यह केवल हरिजनों की गिरावट नहीं होगी बल्कि पूरे राष्ट्र की गिरावट होगी। यह हरिजन वर्ग इतना अधिक श्रमिक वर्ग है कि इसकी अगर उपेक्षा की गई तो यह उपेक्षा राष्ट्र की उपेक्षा होगी और राष्ट्र की प्रगति की उपेक्षा होगी।

मान्यवर, हरिजन छात्रों के बारे में आज क्या बताऊं? हरिजनों की परिस्थिति यह सरकार जानती है कि अच्छी नहीं है, उनकी आर्थिक दशा खराब होती है। लेकिन जो उन्हें सहूलियतें दी जाती हैं वह ऐसे रूप में दी जाती हैं कि वह उन्हें प्राप्त न हो सकें। छात्रवृत्ति किनको दी जाती है? जिन्हें अच्छे नम्बर प्राप्त होते हैं और अच्छे नम्बर श्रीमन्, उन्हीं को प्राप्त हो सकते हैं जिनकी आर्थिक दशा अच्छी होगी। जो गरीब लड़के हैं, जिन्हें खाना भी शाम तक नहीं मिलता है, ठंडे दिनों में उन्हें गरम या ठंडे कपड़े भी नहीं मिलते हैं कि जिससे वह ठंडक से बच सकें। तो उनकी पढ़ाई कैसे अच्छी हो सकती है और उनको कैसे अच्छे नम्बर प्राप्त

हो सकते हैं ? इस मामले में सरकार को विशेष ध्यान देकर इन बातों को सोचना चाहिये । अगर सचमुच सरकार हरिजनों को उठाना चाहती है और हरिजनों को समानता के स्तर पर लाना चाहती है तो इन बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये ।

आज हरिजन छात्रों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है वह तब दी जाती है जब उनकी पूरी पढ़ाई समाप्त हो जाती है । मैं समझता हूं जुलाई के महीने में जब नामिनेशन पेपर दाखिल होते हैं तो उस समय दो महीने की फीस ली जाती है । छात्र के अभिभावक उस फीस का इन्तजाम करने के लिये ५० घर दौड़ते हैं तब भी उनको कर्जा मिलने में कठिनाई रहती है । पुस्तकों के लिये भी यही हालत है । बहुत समय तक लड़के पुस्तकों का इन्तजार करते रहते हैं । उनको समय से पुस्तकें नहीं मिल पाती हैं । अगर उनको समय से पुस्तकें मिल जांय तो उनकी पढ़ाई में काफी प्रगति हो सकती है किन्तु इन सब कारणों से वे लड़के ठीक तरह से पढ़ नहीं पाते हैं ।

एक बात और है । जो छात्र फेल हो जाते हैं उनको फीस की माफी देना खत्म हो जाता है और उनको छात्रवृत्ति भी नहीं दी जाती है । जिन छात्रों के लिये फीस की माफी की प्राथमिकता होती है अगर वे फेल हो जांय तो उनके लिये प्राथमिकता खत्म कर दी जाती है । मेरे पास ऐसे बहुत से छात्र आये जिन्होंने बतलाया कि उनको जानबूझ कर इसलिये फेल कर दिया जाता है कि उनके लिये जो शिक्षा शुल्क की प्राथमिकता है वह बन्द हो जाय और वह आगे अपनी पढ़ाई जारी न रख सकें । इसलिये सरकार से मेरी प्रार्थना है कि इस शिक्षा शुल्क के बंधन से उनको मुक्त रखना चाहिये और उनके फेल होने पर वह माफी उनके लिये रहनी चाहिये । जब तक मैं १९५७-५८ तक जिला हरिजन कल्याण विभाग की समिति में रहा तो इस प्रकार के सुझाव बराबर देता रहा लेकिन जिले के अधिकारियों ने और प्रान्त के अधिकारियों ने इस वजह से मुझे बाध्य किया कि मैं उससे अलग हो जाऊं । सितम्बर, ५८ से अभी तक जिला कल्याण समिति में मैं नहीं रहा और मैंने अपना इस्तीफा भी दे दिया ।

कूप निर्माण के बारे में मेरा निवेदन यह है कि सरकार का जो कार्यक्रम रहता है वह पूरा नहीं हो पाता है । मैं दौरों में जाता हूं देखता हू और अक्सर लोग मेरे पास आते हैं तो बतलाते हैं कि आधे आधे कुओं को सरकारी ग्रान्ट मिल नहीं पाती है । महाजन से रुपया लेकर उन कुओं क कार्य शुरू किया जाता है । जिन कुओं पर कुछ काम हो चुकता है तो वर्षा आने पर उनको बीच में ही धनाभाव के कारण छोड़ दिया जाता है । तो जो काम उन पर हुआ रहता है वह भी बरबाद हो जाता है । मैं इन सब बातों को जानता हूं और जिला अन्तरिम परिषद् का सदस्य होने के नाते बहुत से लोग मेरे पास आते रहते हैं और बतलाते हैं कि इस तरह की दशा है । अगर सरकार हरिजनों को स्वच्छ नीर पिलाना चाहती है तो उनको अनुदान स्वीकार हो जाने के बाद एक तिहाई ग्रान्ट जरूर मिलनी चाहिये जिससे कम से कम वे उसकी शुरुआत कर सकें । उसके बाद पूरा ग्रान्ट उनको बाद में दी जाय लेकिन शुरुआत करने के लिये कुछ रुपया पहले मिलना चाहिये । अन्तरिम जिला परिषद् में मेरे इस प्रकार के सुझाव के स्वीकार होने के बाद भी उसको कार्यन्वित नहीं किया गया ।

नदी के सैलाब से बहुत से हरिजन भाई बेघरबार हो गये लेकिन उनके लिये भी कोई उचित सहायता का प्रबन्ध नहीं है । उनके पास खेती का साधन नहीं है । घर बनाने के लिये कोई दूसरा साधन पैसा मिलने का नहीं है । सर्विस भी उनके पास नहीं है । उनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं है । वे बेचारे गरीब मजदूर हैं जो १ रुपया १२ आना मजदूरी से अपना पेट भरते हैं । मैंने अन्तरिम जिला परिषद् में कई बार इस बात को कहा है कि कम से कम जो हरिजन सैलाबी एरिया के रहने वाले हैं उनको सहायता में प्राथमिकता दी जाय जिससे वह अपना मकान बना सकें । सरकार से मेरा सुझाव है कि अगर दूसरी जगह के हरिजनों के लिये आप प्राथमिकता न दें तो कम से कम जितने हरिजन सैलाबी एरिया के रहने वाले हैं उनको जरूर प्राथमिकता मिलनी चाहिये, जिससे अपने रहने का इन्तजाम तो कर सकें ।

श्री रामप्रसाद (जिला रायबरेली)----माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अनुसूचित और पिछड़ी हुई जमात के अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, मुल्क के आजाद होने के बाद इस देश का संविधान बनाया गया और देश के नेताओं ने इस बात को ध्यान में रख कर कि इस देश के अन्दर एक बड़ा तबका ऐसा है कि जो सामाजिक तौर पर पिछड़ा हुआ है, जिसे अस्पृश्यता की दृष्टि से देखा जाता है, शिक्षा में भी जो पीछे हैं, संविधान में यह व्यवस्था की कि इन जातियों को समाज के दूसरे अंगों के स्तर पर लाने के लिये कोशिश होनी चाहिये और इस के लिये १० साल का समय रखा गया। यह निश्चय किया गया कि दस सालों में इन जातियों को समाज के साथ ला कर खड़ा कर दिया जायगा। इसमें कोई शक नहीं कि जब से मुल्क आजाद हुआ है और कांग्रेस सरकार इस देश और प्रदेश में आयी है उसने इस तबके को उठाने की कोशिश की है।

अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो इस से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि पहले हरिजनों के बहुत थोड़े बच्चे स्कूलों में जाया करते थे। आज वे काफी तादाद में प्राइमरी स्कूलों में, हाई स्कूल, इंटर और यूनिवर्सिटी तक में दिखाई दे रहे हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

(इस समय १ बजकर २ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री लक्ष्मीनारायण बंसल, पीठासीन हुये।)

यह कहना कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने उन्नति नहीं की है, वास्तविकता से आंख मूंद लेना है। शिक्षा द्वारा ही समाज ऊपर उठ सकता है। आज इस सरकार ने इस जाति के लोगों में कमियों को दूर करने के लिये प्रयत्न किया है, लेकिन हम इस बात को नहीं भूल सकते कि १० साल पूरे हो गये और इन कोशिशों के बावजूद भी हमारा हरिजन समाज अपने को समाज के उस स्तर तक नहीं ला सका। किस प्रकार हरिजन समाज समाज के स्तर तक लाया जाय, और ऐसा करने में क्या-क्या बाधायें हैं, यह प्रश्न हमारे सामने हैं। इसमें सब से बड़ी बाधा तो यह है कि हमारे देश में ऊंच-नीच की भावना इतनी बढ़ गई है और उसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि इसका उन्मूलन समाज से असंभव-सा हो गया है। इसके लिये इसकी तह में हमें जाना पड़ेगा। देश के बहुत से नेता कहते हैं कि अफ्रीका में जो जाति भेद, वर्ण भेद के आधार पर कानून बन रहे हैं वे मानवता के लिये कलंक हैं, उनसे मानवता की हत्या हो रही है। यहां संविधान में तो हमें बराबरी के हक मिल गये हैं, लेकिन हमारे पुराने धर्म और रीति या रिवाजों के अनुसार जो समाज में चलन चल गया था वह समाज को उठने नहीं दे रहा है।

जातीयता और वर्गभेद की नीति आज जोरों पर चल रही है। हमारे देश के अन्दर पहले ४ वर्ग थे-ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और शूद्र। उसके बाद सैकड़ों जातियां इस देश के अन्दर पैदा हो गयीं। उन जातियों के बन जाने के बाद आज हजारों उपजातियां बन गयी हैं। आज हर एक के नाम के आगे आपको उपजाति लिखी हुई मिलेगी। अगर कोई ब्राह्मण है तो उसके नाम के आगे चतुर्वेदी, त्रिवेदी, पांडेय, द्विवेदी आदि कई उपजातियां देखने को मिलेंगी। अगर कोई ठाकुर है तो उसके नाम के आगे राठौर, चौहान और विसेन आदि कई नाम मिलेंगे। तो जब तक नामों के आगे उपजातियों का लिखा जाना बन्द नहीं किया जायेगा, तब तक हम मुल्क में समान समाज की रचना नहीं कर सकते। इस मुल्क के अन्दर से जातिवाद खत्म नहीं हो सकता, हम छुआछूत की भावना को कभी मिटा नहीं सकते। हमारे देश के बड़े विद्वान विचारक श्री मन्नारायण अग्रवाल ने अपने नाम के सामने से अग्रवाल शब्द हटाया और देश के सामने एक आदर्श रखा। परन्तु देश के नेता वर्ग ने उसका अनुकरण नहीं किया। आप देश के अन्दर से जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले नाम के आगे जो उप-जातियां लिखी जाती हैं, इनको समाप्त कीजिये। उसका बड़ा दुरुपयोग होता है। अध्यक्ष महोदय, इस चीज की ओर अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो अस्पृश्यता या ऊंच नीच की भावना कभी मिट नहीं सकती। प्राइमरी स्कूलों के रजिस्टर दाखिल खारिज से जाति का खाना समाप्त कर देने से अथवा वोटर लिस्ट से जाति का खाना निकाल देने से जातिवाद समाप्त नहीं हो सकता। आज जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। जब हमारे नेता उसे सुनते हैं तो उन्हें धक्का लगता है, किन्तु जब चुनकर आ जाते हैं तो वे असेम्बली और पार्लियामेन्ट में पहुंचते ही भूल जाते हैं। चुनाव के वक्त महसूस करते हैं, फिर भूल जाते हैं। जब तक आप इस चीज को खत्म नहीं करेंगे तब तक देश में जाति भेद की भावना बनी रहेगी और देश तरक्की नहीं कर पायेगा।

इसको आप शीघ्र से शीघ्र समाप्त कीजिये । किसी भी नाम के आगे उपजाति न लिखी जाय । आज सभी को यह शिकायत है कि अमुक स्थान पर फलां जाति का अधिकारी है और वह जाति-वाद के आधार पर लोगों को नौकरी देता है । जब भी अधिकारियों के सामने लिस्ट जाती है और जब वे नामों के आगे उन टाइटिलों को देखते हैं तो उसका उन पर साइकोलाजीकल असर पड़ता है और वे सोचने लग जाते हैं कि उनको किस तरफ जाना चाहिये । वह सब से पहले अपनी जाति के लोगों को लेता है और बाद को दूसरे लोगों को ।

श्री अधिष्ठाता--आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री शिवराम (जिला बिजनौर)----आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । वास्तव में यदि देखा जाय तो अपने देश के लिये अस्पृश्यता और हरिजन तथा पिछड़ी जातियां एक समस्या हैं । जब तक यह हल नहीं होता अपने देश का उत्थान होना बड़ा कठिन प्रतीत होता है । सरकार की तरफ से दो अनुदान देकर प्रयास किया जा रहा है और कुछ सामाजिक संस्थाओं ने जैसे कि आर्य समाज है, और कांग्रेस के द्वारा भी इस समस्या को सुलझाने का बहुत कुछ प्रयास किया गया, लेकिन मैं कह देना उचित समझता हूं कि अभी तक जितना काम होना चाहिये था वह नहीं हो पाया और सरकार ने तो यह समझ कर कि हमने कुछ हरिजनों को रुपया दे दिया है उससे समस्या का हल हो जाना, उनका शिक्षा पा जाना, सामाजिक और आर्थिक दशा सुधर जाना संभव हो जाय, लेकिन देखने में आता है कि सामाजिक स्तर नहीं बढ़ा ।

देहातों में जाकर आप देखें तो हरिजन आज भी एक कुएं से पानी नहीं भर सकते और वहां पर वही छुआ-छत है । जहां तक नगरों की बात आप करते हैं, वहां कम से कम प्रत्येक विभाग में यह समझा जाता है कि जिस चपरासी और चौकीदार से एक गिलास पानी का भी आराम न हो उससे क्या लाभ है ? जहां सरकारी विभागों की यह भावना हो और हरिजन कल्याण अधिकारी भेजे गये हैं उनमें यह भावना हो तो अस्पृश्यता निवारण कैसे हो सकती है ? कानून भले ही बना दिया गया हो, लेकिन उसके दौरान में कितने मुकदमें चालान किये गये और कितनों को सजा दी गई ? मैं समझता हूं भले ही एक दो मुकदमें गिनाये जा सकते हों, लेकिन जो वस्तु स्थिति है उससे जान पड़ता है कि यह सरकार इस बात के लिये समर्थ नहीं है । २९ नवम्बर का उदाहरण हमारे सामने है, जब कि कांग्रेस दल की तरफ से यह निश्चित किया जाता है कि एक हरिजन मुख्य मंत्री बनाया जायगा । उससे प्रदेश में एक लहर फैल जाती है कि आज महात्मा गांधी जी का स्वप्न पूरा होने जा रहा है कि देश आजाद होगा तो हरिजन या महिला को राष्ट्रपति बनाया जायगा । खैर, राष्ट्रपति न सही, कम से कम एक हरिजन मुख्य मंत्री तो बनेगा, लेकिन बाद में यह कह कर टाल दिया जाता है कि क्या चमार को मुख्य मंत्री बनाया जायगा । यह लज्जा की बात हो जाती है । जब एक मैजारिटी से निश्चय कर लेते हैं कि हरिजन को मुख्य मंत्री बनाया जाय तो फिर टाल देना इस बात का साक्षी है कि किस प्रकार भेद-भाव दिखलाया जाता है । अगर अपनी भावना को कार्य रूप में परिणत करते तो हमें मालूम होता कि बात ठीक मालूम पड़ती है । चौधरी गिरधारी लाल के परिवार के इतिहास के बारे में क्या मालूम नहीं कि वे कितने योग्य व्यक्ति हैं ? इनके परिवार की योग्यता का आधार एक बड़ा भारी इतिहास है । श्री रासबिहारी बोस के ऊपर जब बम केस चला उनके साथ चौधरी गिरधारी लाल के पिता बाबू बिहारी लाल जी ने भी साथ में काम किया और उनका वह बड़ा आदर करते थे । चंदा लाल जी पर भी मुकदमा चला, इनकी सालाना वृद्धि रोकी गई । चौधरी बिहारी लाल के बड़े भाई पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी भी थे । तो यह परिवार बहुत पहले से राजनीतिक क्षेत्र में अग्रसर रहा और जब ऐसे परिवार के व्यक्ति के बारे में यह कहा जा सकता है कि वह इस योग्य नहीं है तो ऐसे ही नौकरियों के बारे में तो जरूर कहा जा सकता है कि योग्य व्यक्ति नहीं मिल पाते लेकिन यह धारणा गलत है कि वह मुख्य मंत्री होने के योग्य नहीं थे । पूछा जाय सरकार से कि आपने १८ प्रतिशत वाला लक्ष्य पूरा किया है ? सवा दो फीसदी

[श्री शिवराम]

अभी तक कुल पद १४ वर्ष के शासन में दिये हैं। इसका क्या कारण है ? कल भी मुख्य मंत्री जी ने बात को स्पष्ट नहीं किया। हम यह अनुभव करते हैं कि उन्होंने जो थर्ड डिवीजन वाली बात रखी है, हम शेड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति उसमें नहीं आ सकते, इस तरह से दूसरे वर्गों का हित सुरक्षित रखा गया है।

इन बातों को बुनियादी तरीके से विचार करने की जरूरत है। अस्पृश्यता को दूर करने के लिये हम क्या कदम उठा रहे हैं, इसको इस प्रकार से देखा जाय। गंदी बस्तियों की बात है, इस संबंध में आपने कितना सुधार किया है ? यहां पर लखनऊ में जो पानी पिलाने की प्याऊ है वहां आज भी नलो और नलका लगा हुआ है। क्या वह चीजें हट गई ? लोगों के दिमाग से छुआछूत की बात नहीं हटी है। स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई तो सरकार ने समझ लिया कि सारे काम समाप्त हो गये, अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सूबे की तीन चौथाई आबादी जिसमें कि पिछड़े वर्ग व अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके बारे में आपको जरूर विचार करना पड़ेगा। अंग्रेज ने शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास बताये और हमने भी माना कि देश पिछड़ा हुआ है, तीन चौथाई क्षेत्र पिछड़ा हुआ है उसको हम टाल नहीं सकते। इस ओर हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे।

आज १८ फीसदी रिजर्वेशन का अधिकार तो दिया गया है हरिजनों को लेकिन किसी भी जगह उसको पूरा नहीं किया गया है। श्री जगजीवन राम ने अपनी मिनिस्ट्री में १८ फीसदी की पूर्ति करने का प्रयास किया तो जवाब तलब किया गया। उन्होंने संवैधानिक तरीके से इस कार्य को किया और अगर वह ऐसा न करते तो वह संविधान की अवहेलना होती। लेकिन आज प्रदेश में उसकी पूर्ति न करके संविधान की अवहेलना की जा रही है। आप इसको टाल नहीं सकते, आपको ध्यान देना ही पड़ेगा।

आज इंडस्ट्रियल स्टेट्स की बात कही जाती है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपने हरिजनों के उत्थान के लिये क्या किया, कितने लोगों को आपने लाइसेन्स दिये और कितने लोगों को राशन की दुकानें दी गईं। ये सारे अवसर उन्हीं लोगों को प्राप्त होते हैं जिनका आपसे सम्पर्क है और जो आपकी हां में हां मिलाते रहते हैं इस सूबे में दलित वर्ग संघ कायम किया गया इस धारणा के साथ कि वह सरकार से कंधा से कंधा मिलाकर काम करेगा लेकिन वह चीज भी धीमी दिखलाई पड़ती है। कुछ हरिजनों ने तो यह समझ रखा है कि हम एम०एल०ए० बन गये इसलिये हमारा कार्य पूरा हो गया। आज हरिजनों की अनेकों समस्यायें हैं जिनका कोई हल नहीं दिखलाई पड़ रहा है। माननीय मुख्य मंत्री और माननीय मंत्रियों के पास प्रार्थना-पत्र आते हैं लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ग्राम पंचायतों में आपने हरिजनों को कितने अधिकार दिये ? और रिजर्वेशन की बात तो मेरी समझ में ही नहीं आती।

हरिजनों के लिये कुछ सीटें अलग कर दी गईं जहां से वह चुने जा सकते हैं। कुछ लोगों ने यह कहा कि यह सीटें अलग क्यों की गईं। सरकार ने स्पष्टीकरण यह दिया कि हरिजनों की यह मांग थी कि उनकी सीटें अलग की जांय। यह बात भी हरिजनों के ऊपर मढ़ दी गई। जब सरकार ने हरिजनों की सीट अलग कर दी तो उससे हरिजनों के सामने अनेक आर्थिक समस्यायें उपस्थित हो गईं। उनके पास पैसा कहां से आवें ? वैसे तो वह एक दूसरे से मिलकर सीट जीत भी लिया करते थे लेकिन इससे आपस में वैमनस्य पैदा हो गया। तो इस प्रकार जो चीजें हैं वह हरिजनों के लिये बहुत ही खतरनाक हैं। जबतक देश और प्रदेश से छुआछूत खत्म नहीं होती तब तक कुछ होने का नहीं। इस प्रकार से भेदभाव का रहना बहुत गलत चीज है। हमको पहले अपने आपके परस्पर भेद भाव को दूर करना चाहिये और रोटी-बेटी का संबंध स्थापित करना चाहिये।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब एक वक्ता बोल रहा है तो उसके बोलते रहने पर ही उस पार्टी की तरफ से ६–६ आदमी खड़े रहते हैं, क्या यह परम्परा के विरुद्ध नहीं है?

श्री अधिष्ठाता—वह बैठ गये हैं।

श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)—अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं और माननीय विश्रामराय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका मैं विरोध करती हूं। मान्यवर, हमारी केन्द्रीय और हमारी प्रदेशीय सरकार ने अनुसूचित, विमुक्त एवं अन्य पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिये प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित किया परन्तु आर्थिक कठिनाइयों के कारण सरकार को वांछित सफलता प्राप्त न हो सकी तथा इसी ओर अभी कार्य करना शेष है।

मान्यवर, अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों को मकान बनवाने के लिये जो अनुदान दिया जाता है वह तीन किस्तों में दिया जाता है। उनके चैक भेजे जाते हैं। उनके तुड़ाने के लिये उन बेचारों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसके लिये उनको प्रतिष्ठित आदमियों की जमानत की आवश्यकता होती है। जब कभी कोई प्रतिष्ठित आदमी जमानत के लिये नहीं मिल पाता तो उनको वकीलों की शरण लेनी पड़ती है। वकीलों द्वारा २०–२२ रुपया एक-एक चेक के तस्दीक कराने में ले लिया जाता है। इस प्रकार से तीन चेकों के तस्दीक कराने में काफी रुपया देना पड़ता है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि ऐसा आदेश होना चाहिये कि उन गरीब हरिजनों के पास चैक न भेजकर रुपया भेजा जाना चाहिये जिससे उनको आने जाने की परेशानी कम हो जाय और अनुदान का जो बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है, वह भी बच सके।

मान्यवर, ६ से लेकर १०वीं कक्षा तक के छात्रों के लिये जिलों में जो धनराशि छात्रवृत्ति के लिये भेजी जाती है, वह अपर्याप्त होती है। जब धनराशि कम होती है तो छात्रों को मैरिट के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती है जिससे इने-गिने छात्रों को ही छात्रवृत्ति मिल पाती है और बहुत से गरीब घरों के लड़कों को छात्रवृत्ति से वंचित रह जाना पड़ता है। इस तरह से आर्थिक कठिनाइयों के कारण उनकी शिक्षा में बाधा पड़ती है और गरीब छात्रों के मां बाप उनको घर बैठा लेते हैं। मैं मंत्री जी से नम्र निवेदन करूंगी कि जिस प्रकार से इन्टर, बी० ए०, एम० ए० के छात्रों को आप अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति देते हैं इसी प्रकार से छठी से १० वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को भी अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति दें।

मान्यवर, छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थी जब फेल हो जाते हैं तो न तो उनकी फीस माफ की जाती है और न उनको छात्रवृत्ति ही दी जाती है। ऐसा न होने से मां बाप के ऊपर फीस देने का भार पड़ता है और उसके अलावा पुस्तकों और खाने-पीने तथा कपड़े का भार पड़ता है, जिसको वह बरदाश्त नहीं कर सकता। इसका नतीजा यह होता है कि वह अपने बच्चों को छठी, ८ वीं व ९ वीं कक्षा से अधिक पढ़ा नहीं पाते हैं और घर बैठा लिया करते हैं। मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि जो लड़के फेल हो जाते हैं उनको कम से कम एक साल तक उनकी फीस और माफ की जाया करे और छात्रवृत्ति भी दी जाया करे।

मान्यवर, नौकरियों में हरिजनों के लिये १८ प्रतिशत की व्यवस्था की गई है। हमारे प्रदेश के चार विभाग—स्वायत्त शासन, वन, पुलिस और सिंचाई विभाग, ऐसे हैं जिनमें हरिजन कर्मचारियों की संख्या 'न' के बराबर है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि इन विभागों में भी १८ प्रतिशत की जो व्यवस्था की गई है वह पूरी की जाय।

मान्यवर, हरिजन और पिछड़ी हुई जातियों की महिलाओं के लिये प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये और उनको कुटीर उद्योगों की शिक्षा दी जानी चाहिये—जैसे चटाई बुनना, दरियां बनाना आदि। इससे वे जीविकोपार्जन भी कर सकेंगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हुई माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का पुनः समर्थन करती हूं।

श्री भूपकिशोर (जिला एटा)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जो आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने के लिये मौका दिया है उसके लिये आपका मैं बहुत अहसानमन्द हूं। श्रीमन्, सरकार ने जो यह अनुदान अछूतों के लिये रखा है वह पिछले साल से भी कम है और उसको देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार हमेशा अछूतों को उपेक्षा से देखती है।

श्री अधिष्ठाता---सदन में शांति रहनी चाहिये।

श्री भूप किशोर---अब तक तो अछूत और बैकवर्ड दो जातियां थीं अब सरकार ने उन में से एक तीसरी और विमुक्त जाति बना दी है। यह पुस्तिका जो हमें मिली है "उत्तर प्रदेश में अनुसूचित, पिछड़ी तथा विमुक्त जातियों का कल्याण" उसमें यह साफ बताया गया है कि एक विमुक्त जाति बन गई है और यह विमुक्त जाति अछूतों और बैकवर्ड के अन्दर ही बनाई गई है, सवर्णों के अन्दर नहीं बनाई गई है, सवर्ण लोग चाहे कितनी ही बदमाशियां करें, चाहे कितनी ही डकैतियां डालें और चाहे कितने ही बुरे फेल करें उनको विमुक्त जातियों की सूची में नहीं लिखा गया है। इस पुस्तक में शिड्यूल ३ में जिन विमुक्त जातियों की सूची गिनाई गई है उनमें अहेरिया, बंजारा, बरवार, बावरिया, बेड़िया, बोरिया, भांट, भर, चमार, दलेरा, डोम वगैरह ३० जातियां गिनाई गई हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सवर्ण जाति जरायम पेशा नहीं रखी गई है। चाहे डाका डालें, बदमाशियां करें सवर्ण ही सबसे ज्यादा जुर्म करते हैं। जैसे मानसिंह, तहसीलदारसिंह, भगवानसिंह डाकू हुये और नाथूराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी के सीने पर गोली मार कर देश का सत्यानाश कर दिया, और अगर किसी बैकवर्ड या अछूत ने गोली मारी होती तो उसको समूल नष्ट कर दिया गया होता और इस देश से इस बैकवर्ड अछूत जाति को निकाल दिया गया होता। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि विमुक्त जातियों में से उनको काटा जाय और जो लांछन इन पर जरायम पेशा का लगाया गया है वह हटाया जाय और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जितने जरायम पेशा सवर्ण हैं उनकी सब जातियों को जरायम पेशा लिस्ट में शामिल किया जाय। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार जो चुंगा डालकर अछूतों को जाल में फंसाती है वह न डाला करें। इस तरह तो वह लोगों को धोखे में डालती है, बरायनाम को चुंगा डाल देती है और कहती है कि हमने तो यह कर दिया और वह कर दिया।

१८ फीसदी की बात कहती है लेकिन जब सरकारी नौकरियों में लेने की बात आती है तो सरकार कहती है कि यह योग्य नहीं हैं अयोग्य हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि अछूत आज बड़ा योग्य है वह अयोग्य नहीं है। आप हमें वेद नहीं पढ़ने देते थे। आज मैंने ऋगवेद पढ़ा है इसमें लिखा है कि यह मुल्क हमारा है, आर्य लोग तो बाहर से आये। अनार्यों के सौ राजा इस मुल्क के अन्दर थे। यह आर्य लोग हिन्दुस्तान के अन्दर आये और यही नहीं अनार्यों को मारने के लिये, उन अनार्य राजाओं का कत्ल करने के लिये विदेशी आर्य इस मुल्क के अन्दर आये। ऋगवेद में यह भी लिखा है कि आर्यों ! अपना राज्य कायम करो और इन दुश्मन अनार्यों को कत्ल करो। वह भावना अब छोड़ दीजिये। अब वह वक्त नहीं रह गया है। अन्तराष्ट्रीय परिस्थितियां बदल गई हैं। आपको इन अछूतों को और इन बैकवर्ड लोगों को समानता पर लाना पड़ेगा। हमें कमजोर मत समझिये, हम काफी मजबूत हैं। हमने पुरानी तवारीख पढ़ी है, उस वेद को आप हमें जिसे छूने नहीं देते थे। हमें यह मालूम है कि जो रावण था वह भी बैकवर्ड था और इन्द्र आर्यों का राजा था। उसने आर्यों को ताकत पहुंचाने के लिये अनार्यों का आर्यों द्वारा कत्ल करवाया। इसका बदला लेने के लिये और अनार्यों का स्वाभिमान रखने के लिये रावण ने इन्द्र को पराजित कर लिया और उसको कैद में रखा और उससे छिड़काव का काम करवाया। इसी तरह से पवन एक आर्य राजा था उसने भी अनार्यों पर अत्याचार किये थे। रावण ने उसको भी कैद कर लिया और जेलखाने में उससे झाड़ू लगवाई। तो मेरा निवेदन यह है कि आप इस जातीयता को खत्म करिये, सवर्णवाद को खत्म करिये, नहीं तो हम लोगों में वह जोश है कि हम कोई दकीका अपने को समानता पर लाने के लिये बाकी नहीं रखेंगे।

श्रीमन्, यह सरकार कहती है कि धर्म निरपेक्ष सरकार है, समाजवादी सरकार है लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि आदरणीय राष्ट्रपति दिनांक २० नवम्बर, सन् १९५२ को बनारस पधारे, वहां पर ब्राह्मणों को सोने की कुर्सियों पर बिठा कर प्राचीन ब्राह्मणी परम्परा के अनुसार उनके पैर धाये और ११-११ रुपया दक्षिणा दी। यह है धर्म निरपेक्ष राज्य। यही नहीं, माननीय प्रधान मन्त्री नेहरू रामलीला मैदान में पधार कर उन लड़कों से जो राम का स्वरूप बना कर राम का उपहास ही करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो धर्म निरपेक्ष राज्य में हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री यह कार्य कर रहे हैं। इसी तरह यह धर्म निरपेक्ष सरकार अछूत बैकवर्ड्स को जिन किताबों में नीच लिखा है उन किताबों के लेखकों को तरजीह देने के लिये ५-६ लाख रुपया तुलसी मन्दिर बनवाने के लिये दे रही है। चित्रकूट में---आज हमारे सोशलिस्ट पार्टी के नेता नहीं हैं, मैं उनसे पूछता कि राम मनोहर लोहिया और पार्टी के जो नेता हैं वह क्या कर रहे हैं, इधर बैकवर्ड को धोखा देते हैं और हरिजनों को भी, उधर ब्राह्मणों को खुश करने के लिये चित्रकूट में रामायण का मेला लगवा रहे हैं।

श्रीमन्, ६० परसेन्ट बैकवर्ड हैं और २२ परसेंट अछूत हैं, कुल मिलाकर ८२ परसेंट हैं। हम सब लोग मिलकर अगर तय कर लें और विभीषण बनकर जो लोग उधर बैठे हैं वह भी विभीषणवाद को छोड़ दें तो हमारी सरकार बन सकती है तब हम खुद अपना हित कर लेते और गैर मुल्क के जो लोग हमारे मुल्क के अन्दर घुस आये हैं वह हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाते।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बैकवर्ड और अछूत लोगों का कैसे उद्धार हो सकता है। कोरी बातों से नहीं हो सकता है। सरकार बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट को लागू करे और जब बैकवर्ड कमीशन नियुक्त किया गया था तो यही कहा गया था कि बैकवर्ड लोगों की तकलीफों को सरकार दूर करेगी। बैकवर्ड और अछूतों की शिक्षा ऊंचे दर्जे तक निःशुल्क की जानी चाहिये और उनको वजीफे दिये जाने चाहिये। खाने-पीने की जगहों में तथा जो होसटल्स हैं उन में ब्राह्मणों को और बैकवर्ड तथा अछूतों को साथ रखना चाहिये। लेकिन अछूत तथा सवर्णों के लिये अलग-अलग होस्टल रखे जाते हैं।

सरकारी नौकरियों में भी उन्हें आबादी के हिसाब से स्थान दीजिये। आज मुख्य मन्त्री जी यहां नहीं हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कल उन्होंने बैकवर्ड क्लास के लिये सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में कोई बात क्यों नहीं कही। ६० परसेन्ट की आबादी वाले बैकवर्ड क्लास के लिये क्या किया गया? मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा था कि हम उन्हें डिप्टी कलेक्टर और जज बना देंगे। वह बतावें कि कितने जज बना दिये और कितनों को एस० पी० व कलेक्टर बना दिया है। चपरासियों तक की जगह तो पूरी नहीं की।

देश से जातिवाद खत्म किया जाय और सब निवासियों को हिन्दुस्तानी बनाया जाय। इसके लिये सरकार को यह चाहिये कि वह जो अभी तक ब्राह्मण थे, पैदा होने से मरने तक कर लगाये हुये हैं उसे खत्म कराये और सरकार पढ़ाने लिखाने की सब जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। अब शूद्रों में भी पढ़ लिख गये हैं तो इनको भी मौका दिया जाय और उन्हें भी विवाह पढ़ाने और संस्कार आदि करने दिया जाय, पूजा-यात्रा का काम भी दिया जाय ताकि यह बात खत्म हो कि ये बैकवर्ड और अछूत हैं।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस अनुदान पर मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय हरिजन कल्याण मंत्री जी ने जो अनुदान रखा है उस पर मैं भी अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। श्रीमन्, हरिजनों की समस्यायें जहां आर्थिक और शैक्षिक हैं वहां सामाजिक क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रश्न छुआछूत का है और यह सारे प्रदेश में समस्या भयंकर रूप अख्तियार करती जा रही है। जहां तक

[श्री कन्हैयालाल वालमीकि]

मन अनुमान लगाया है छुआछूत उन्मूलन तभी हो सकता है जब प्रत्येक सरकार के उच्च अधिकारी डो० एम० और आई० सी० एस० अपने घर में एक वाल्मीकि को, वह नहीं जो उनके यहां झाड़ू लगाता है, बल्कि किसी और को जो थोड़ा पढ़ा-लिखा हो अपने घर में बाजार से सामान लाने के लिये और बरतन मांजने के लिये और खाना पकाने के लिये रखें और ऐडवरटाइजमेंट द्वारा वाल्मीकियों को प्राथमिकता दी जाय।

वैसे यहां जितने होटल हैं मेफेयर से ले कर कपूर होटल आदि में अधिकांश खाना पकाने वाले और पानी पिलाने वाले बेयर्स में से ९० फीसदी भंगी होते हैं जो ईसाई और मुसलमान बन कर काम करते हैं। कितनी शर्म की बात है कि १४ साल हुए आजाद हुये आज भी एक भंगी बेचारा अपने मुल्क में अपनी जाति छिपा कर काम करता है। मैंने कई बार कहा, सेक्रेटेरियट में भी ऐसे भंगी हैं जिनके नाम कुछ और हैं और वे अपनी वेशभूषा बदल कर काम करते हैं चपरासी का, क्योंकि वैसे तो पान नहीं ला सकते साहब के लिये, चाय नहीं ला सकते। अगर चपरासी दफ्तर में काम करता है तो सेन साहब के लिये घर पर सामान नहीं लेने जा सकता है। दफ्तर में जो काम करते हैं, जिनका नाम कल्लू, लल्लन और घसीटे हैं तो प्रेम नाथ, राम आसरे, जैसवार और राजपूत बन कर काम करते हैं। तो मैं सुझाव देना चाहता हूं मंत्री जी को कि बड़े-बड़े अफसरों को अविलम्ब इस तरह के आदेश दें कि एक वाल्मीकि को अपने घर में खाना पकाने के लिये अवश्य नौकर रखें। चपरासियों से घर का काम कराना गलत प्रथा है।

इसके अलावा एक सुझाव यह है कि मेहतरों का महंगाई भत्ता छोड़ कर उनकी बेसिक तनख्वाह १०० रुपये कर दी जाय। मैंने कुछ महीने पहले पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में ८०,९० रुपया अलाउन्स दिया जायगा जो मेहतर का काम करेगा। यह बात ठीक नहीं है क्योंकि उससे मेहतरों में बेकारी बढ़ेगी। अगर छुआछूत दूर करनी है तो प्रत्येक मेहतर का वेतन १०० रुपये कर दिया जाय। मैंने मेडिकल कालेज में देखा है कि डाक्टर लोग अपने हाथ से मल-मूत्र छूते हैं, जब कि मेहतर तो झाड़ू और पंजे से उठाता है, लेकिन उनके पास साधन इतने हैं जिसकी वजह से उनसे कोई छुआछूत नहीं मानता। एक वाल्मीकि का सारा परिवार कमाता है तब वह कहीं अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर पाता है। इसलिये हर एक मेहतर की तनख्वाह १०० रुपया कर दी जाय, महंगाई भत्ता छोड़ कर, फिर कोई चुंगी की नौकरी में नहीं जायेगा। पढ़-लिख कर ऊंची ऊंची नौकरी करेंगे और जब ऐसा हो जायगा तो दूसरी जाति के लोग भी इन कामों में आयेंगे। पहले जमाने में कहा जाता था कि ब्राह्मण वह है जो वेद पढ़े और पढ़ाये, लेकिन आज पानी पिलाने वाला, खाना पकाने वाला भी ब्राह्मण कहलाता है। इसलिये अगर मेहतरों के काम का वेतन बढ़ जायगा तो ऊंची जाति वाले लोग भी इस काम में आयेंगे और मेहतरों के लड़के आमदनी बढ़ जाने से पढ़-लिख कर ऊंची-ऊंची जगह पहुंच जायेंगे और इस प्रकार जहां यह समस्या हल होने वाली है ५० साल में वहां यह १० साल के बाद हल हो जायगी।

श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस समय हरिजन बजट पर बहस हो रही है लेकिन नान-हरिजन मंत्री कोई भी नहीं हैं। हरिजन जो अपनी बात कहना चाहते हैं वह तो नान-हरिजन से ही ज्यादा कहना चाहते हैं और जब नान-हरिजन मंत्री हैं नहीं तो यह कहां तक उचित है?

श्री अधिष्ठाता—यह व्यवस्था का प्रश्न बिलकुल सही नहीं है। कैबिनेट की ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी होती है। आपके जो विचार हैं वे उन तक पहुंच जायेंगे।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—मेरे सामने यह अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों की एक रिपोर्ट है। इसमें यह सुझाव दिये गये हैं कि म्युनिसिपैलिटी में काम करने वाले मेहतरों को पूरे समय का कर्मचारी माना जाय और उन्हें मकान की तात्कालिक सुविधा दी जाय। लेकिन मैं सदन से निवेदन करूं कि अभी पिछली बार माननीय राज्यपाल जी ने ५ रुपये ५० नये पैसे

का महंगाई भत्ता बढ़ाया लेकिन म्युनिसिपैलिटी में काम करने वालों को अधिक स्थानों पर यह इसलिये नहीं मिला कि वे पूरे समय के लिये काम करने वाले नहीं माने जाते हैं।

इसी तरह से मेहतरों के मकानों की समस्या भी जटिल है। म्युनिसिपैलिटी एक तो उनके लिये मकान बनाता नहीं है लेकिन अगर बनाती भी है तो फिर उनसे किराया लिया जाता है। इस पुस्तिका को देखने से पता चला है कि ऐसी सहायता दी जाती है म्युनिसिपैलिटीज को मेहतरों के मकान बनाने के लिये तो मेरा सुझाव है कि नगरपालिका के मेहतर कर्मचारियों की कोआपरेटिव सोसाइटी बना करके वह सहायता दी जाय और कुछ रुपया कोआपरेटिव सोसाइटी से लिया जाय ताकि जो मकान बनें उनके वे मालिक हों और ऐसा न हो कि म्युनिसिपैलिटी का काम छोड़ने पर वे निकाल दिये जायं।

स्वास्थ्य और रहन-सहन की योजनायें भी इस पुस्तिका में दी हुई हैं। मेहतर अधिकांश ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां मैला सड़ता है। मेरा सुझाव है कि उनके मोहल्ले से टट्टी या गंदगी हटा दी जाय और उनकी बस्तियों में कुटीर उद्योग स्थापित किये जायं, रात्रि पाठशालायें खोली जायं और उनको कम्पलसरी एजूकेशन की सुविधा दी जाय और अनिवार्य छात्रवृत्ति भी दी जाय।

जो सहायता रूरल एरियाज में हरिजन वर्ग को मिली है वह शहरी क्षेत्र में भी दी जाय क्यों कि गांव के रहने वाले हरिजनों को जो सहायता मिलती है उससे यह मेहतर वर्ग नितान्त वंचित रह जाता है। शहरों में उनकी आबादी ज्यादा है और वे सुविधायें उनको न मिलने से मेहतरों की आर्थिक उन्नति बिलकुल नहीं होती, उनकी अवनति होती जा रही है। म्युनिसिपैलिटियों में, शहरों तथा कस्बों में मेहतर बेचारे सुअर पाल कर अपनी गुजर बसर करते हैं, उनके पास अनाज अधिक नहीं होता जो उसी से वे अपनी उदर पूर्ति भी करते हैं। लेकिन सुअर पालने पर टैक्स लग जाता है। सूबे के मेहतर पहले प्राइवेट घरों का मैला काश्तकार के हाथ कम्पोस्ट बना कर बेच लेते थे और उनको इससे कुछ फायदा हो जाता था लेकिन सरकार ने म्युनिसिपैलिटियों को वह अधिकार दे कर उनको उससे भी वंचित कर दिया है। इस तरह से मेहतर वर्ग दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है।

एक बात और अर्ज कर दूं कि इस वर्ग से जितनी छुआछूत की जाती है उतनी और किसी से नहीं। मेरठ में अभी २२ जनवरी को एक वाल्मीकि चाय की एक दूकान पर चाय पीने गया तो उसने वाल्मीकि को गाली दी और सीतापुर में नाइयों ने उनके बाल काटने से इंकार कर दिया। इसके लिये मुनादी करायी जाय कि जो इस तरह से सोशल डिसेबिलिटीज ऐक्ट के खिलाफ करेगा उसे सजा दी जायगी। आज शाहजहांपुर का वाल्मीकि हरदोई में बाल कटवाने के लिये जाता है और हरदोई का वाल्मीकि लखनऊ, शाहजहांपुर या उन्नाव जाता है बाल कटवाने के लिये।

इसके अलावा श्रीमन्, यह एक ताज्जुब की बात है कि एक वाल्मीकि मेहतर का काम करने के लिये अगर वह एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में जाता है तो उससे कहा जाता है कि वह इस बात का सर्टिफिकेट दे कि वह मेहतर है। अगर ८वां, १०वां दर्जा कोई मेहतर पास है तो उसे सैनिटरी इंस्पेक्टरी क्या जमादारी में भी अकसर नहीं लिया जाता और बनिया, ब्राह्मण और ठाकुर लोग ले लिये जाते हैं।

*श्री भजनलाल--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी-अभी हमारे एक वक्ता महोदय ने चित्रकूट में जो रामायण मेला होने जा रहा है उसकी ओर इशारा करके सोशलिस्ट पार्टी के ऊपर एक ऐसी तोहमत लगाई है, जिससे यह कहा जा सकता है कि सोशलिस्ट पार्टी पिछड़े वर्ग के उत्थान में अहित कर रही है। मैं बतला देना चाहता हूं कि चित्रकूट में जो रामायण मेला सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से हो रहा है, उसमें सारे देश के विद्वानों को बुलाया गया है और वे विद्वान वहां पर इकट्ठा होकर आज के वैज्ञानिक युग की चाल को पहचान कर विचारों का एक

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री भजनलाल]

समन्वय करेंगे जिसके आधार पर देश को आज के युग में उत्थान के मार्ग पर पहुंचाया जाय। उस रामायण मेले का मुख्य मकसद यह है ।

अब मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जो बैकवर्ड कमीशन के मुख्य व्यक्ति हैं, काका साहब कालेलकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह बतलाया है कि हिन्दुस्तान के अन्दर ३२ करोड़ ऐसे व्यक्ति हैं जोकि अनुसूचित, विमुक्त और पिछड़े वर्ग के लोग हैं । ये लोग तीन हजार जातियों में बटे हुये हैं । आखिर ये लोग कहां से आये? कहीं आसमान से तो टपक कर आये नहीं । ये भी यहीं पैदा हुये, यहीं पले और यहीं की जलवायु में रहे हैं । लेकिन इस बहुसंख्यक समाज पर कुछ अल्पसंख्यक चतुर लोगों ने आधिपत्य करके उसका शोषण करने का एक तरीका निकाल रखा है और उसको एक नीचे के तबके में डाल रखा है ताकि उनके अपने अल्पसंख्यक समाज के हितों की सुरक्षा हो सके । इसी उद्देश्य को लेकर मनु महाराज ने तो यहां तक कह दिया कि अगर शूद्र वेद की वाणी को सुने तो उसके कान में गरम सीसा डाल देना चाहिये । क्या यह युक्ति इसी लिये नहीं थी कि हिन्दुस्तान के करोड़ों व्यक्तियों को गंवार और अनपढ़ बनाया जाय और यह उसी नीति का नतीजा है कि आज सारा देश पिछड़ा हुआ है । इस ब्राह्मणवादी विचार धारा में परिवर्तन लाने के लिये सब से पहले हमारे देश में महात्मा बुद्ध ने काम किया और उन्होंने काफी हद तक सफलता प्राप्त की । इसके अलावा महावीर, कबीर, गुरु नानक और महाऋषि दयानन्द ने भी इस विचारधारा का खंडन किया । इस अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने धार्मिक ग्रंथों का प्रतिपादन करके, कर्म, धर्म और पुनर्जन्म धर्म का ढोंग रच कर के हमारे बहुसंख्यक समाज का शोषण किया यह हमारे लिये एक दुर्भाग्य की बात है । जिस समय हिन्दुस्तान आजाद हुआ था, पिछड़े वर्गों का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के हाथ में था । और उनके मरने के बाद डाक्टर अम्बेडकर ने उसको संभाला । लेकिन हमारे दुर्भाग्य से वह इस देश से चले गये । इसके बाद इनकी सुनने वाला कोई नहीं रहा । अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें सारे हिन्दुस्तान का नक्शा लेकर जो अनुपात अनुसूचित, पिछड़ी तथा विमुक्त जातियों को नौकरियों के सम्बन्ध में दिया है वह इस प्रकार है कि प्रथम प्रकार की नौकरियों में २५ प्रतिशत, द्वितीय प्रकार की नौकरियों में ३३ प्रतिशत और तीसरी तथा चौथी प्रकार की नौकरियों में ४० प्रतिशत होना चाहिये । उन्होंने यहां तक लिखा है कि हिन्दुस्तान के पिछड़े वर्ग, अनुसूचित तथा विमुक्त जातियों का उद्धार तभी हो सकता है जबकि इस देश की सरकार इनके लिये दो अरब रुपया प्रति वर्ष कम से कम ५ साल तक खर्च करे । अगर हिन्दुस्तान की सरकार ४० करोड़ रुपया ही खर्च करे तो मुझे उम्मीद है कि पिछड़ा वर्ग उन्नति के रास्ते पर पहुंच सकता है और बहुत सी समस्यायें हल हो सकती हैं ।

विद्यार्थियों की शिक्षा के लिये यह है कि अगर ५ करोड़ ४० लाख रुपया ६० हजार विद्यार्थियों पर उनकी फीस तथा वजीफे पर हर साल खर्च किया जाय तो सम्भावना है कि हमारे मुल्क से काफी मात्रा में उनकी मुश्किलात दूर हो सकती हैं और आज जो पिछड़ा हुआ समाज का यह अंग है वह ऊंचा उठकर लायक बन सकत है । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की गई ? उसमें साफ लिखा हुआ है कि हिन्दुस्तान तभी उन्नति कर सकता है जब इसके बहुत बड़े अंश यानी पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाया जायगा ।

अधिष्ठाता महोदय, आज मैं देख रहा हूं कि जो अनुदान यहां पर प्रस्तुत किये जाते हैं और पास किये जाते हैं---उसकी पुस्तिका मैंने पढ़ी और बजट भी पढ़ा है---पिछले साल के मुकाबिले में इस साल रकम घटा दी गई है । यह रकम कहां चली जाती है? क्या यह टी० ए० वगैरह में खर्च की जाती है इसमें एक खाता खुल हुआ है आकस्मिक व्यय का, वह कहां खर्च होता है, इसका कुछ पता नहीं चलता । एक बार जब हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब वित्त मंत्री थे तो मैंने उनसे भी यही प्रश्न किया था कि यह रकम जो करोड़ों की तादाद में होती है क्या इससे

राकेट बनाया जाता है चन्द्रलोक की यात्रा करने के लिये। इस खाते की जरूरत नहीं है। मंत्री जी इस पर ध्यान दें।

हरिजन विद्यार्थियों की फीस तथा वजीफे का प्रश्न तो दूर रहा आज उनको शुद्ध जल भी पीने को नहीं मिल रहा है। इसलिये हमारी मांग है कि इनके लिये शुद्ध जल पीने के लिये कुएं बनाये जायं। इसके अलावा ३६ लाख भूमिहीन तथा खेतिहर मजदूर हैं और वह इन्हीं वर्ग में से हैं। कई लाख एकड़ जमीन ऊसर पड़ी हुई है उसको काश्त योग्य बनाकर इनको दी जाय। सर्विसेज में अनुपात के लिये कहा यह जाता है कि योग्य विद्यार्थी नहीं मिलते हैं जब विद्यार्थी इंटरव्यू में बुलाये जाते हैं या पब्लिक सर्विस कमीशन में जाते हैं तो मैं क्या दशा बताऊं मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी हूं। उस बातको मैं बिना कहे रह भी नहीं सकता हूं।पिछले दिसम्बर में रोडवेज के ए० टी० आई० का कानपुर में चुनाव हुआ था। उसमें एक विद्यार्थी राजाराम जो कि पिछड़े वर्ग का है जो इटावा जिले का निवासी है और जो एम० ए० अर्थ शास्त्र में पास है, गया लेकिन उसका कहीं ठिकाना नहीं हुआ। अभी पिछले महीने में लखनऊ में ए० डी० ओ० के चुनाव में १०० विद्यार्थी लिये गये। उसको बुलाया गया। जब राजाराम जी सामने गये तो उनसे पूछा गया कहां रहते हो, गांव पूछा, नाम पूछा, जाति पूछी मगर परीक्षा के नाम पर एक शब्द भी नहीं पूछा गया और अर्थ शास्त्र का एम० ए० पास है। यह हमारे सरकार की नीति है और कहती है कि पढ़े-लिखे नहीं मिलते। सरकार ने यह सिर्फ एक टालने की नीति अख्तियार कर ली है। जो चतुर समाज है उन स्थानों पर पहुंचाने के लिये वह पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के लोगों को उनसे वंचित करना चाहत है। मैं आपके द्वारा चाहूंगा कि नौकरियों में उनको रखा जाय, अ र उनके वजीफे में, फीस में ज्यादा से ज्यादा रुपया अनुदान में दिया जाय ताकि पिछड़े वर्ग के लोगों की दशा को कुछ सुधारा जा सके।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)––माननीय अधिष्ठाता महोदय, पहले मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बात का ख्याल किया कि जो लोग साल भर नहीं बोल पाये हैं, उनको भी मौका दिया जाय। सदन में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बिलकुल मौका नहीं मिला है।

आज माननीय मंत्री जी द्वारा जो अनुसूचित और पिछड़ी जातियों का अनुदान हमारे सामने पेश है उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं और कटौती का प्रस्ताव पेश करने वाले महानुभाव से निवेदन करूंगा कि वह ऐसे आवश्यक अनुदान पर अपनी कटौती वापस कर लें।

अनुसूचित और पिछड़ी जाति का यह कलंक हमारे देश पर बहुत पुराना लगा चला आ रहा है। इसी के कारण हमारा देश दूसरे देशों के सामने सर नहीं उठा सकता। बराबर प्रयत्न इसके लिये हुये कि किसी तरह से यह कलंक हमारे देश से धुले। इसके लिये हमारे महात्माओं और संतों ने बड़ी कोशिश की जिसमें आदरणीय स्वामी दयानन्द जी हैं। उसके बाद प्रातः स्मरणीय महात्मा गांधी जी हैं। ये पुण्यात्मायें ऐसी थीं जिन्होंने हृदय से कोशिश की कि हमारे देश से छुआछूत का कलंक दूर हो जाय। अब सरकार ने इस कार्य को अपने हाथ में ले रखा है। वैसे तो समय समय पर सुधारक पैदा होते रहे और इस समाज को ऊंचा उठाते रहे लेकिन इस रूप में आज राजनीतिक दृष्टि कोण से इसे पार्टियों ने जितना अपने ऊपर ले लिया है उतना ही इसके उद्धार में रोड़ा आ गया है। अगर हम इस समस्या को राजनीतिक दृष्टिकोण से न सोच कर सामाजिक उत्थान के नाते सोचें, और देश का कलंक दूर करने के नाते से सोचें तो यह कलंक मिट सकता है। चाहिये यह कि बापू जी के बताये हुये रास्ते पर चल कर इस कलंक को अपने देश से दूर करें। हरिजन समस्या आज एक जटिल समस्या है और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, पिछड़ी जाति और अनुसूचित जातियों की संख्या सवा चार करोड़ के करीब है। उनमें बहुत ज्यादा संख्या देहात में रहती है। आज देहात की दशा हम देखें। वैसे तो हमारा देश सारा ही गरीब है लेकिन इन गरीबों म भी कितने गरीब ऐसे हैं कि जिनके पास रहने के लिये स्थान नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, पहनने के लिये कपड़ा नहीं है। सदन के प्रत्येक सदस्य ने इस बात को दुहराया है और मैं तो सन् ५२

[श्री रामदास आर्य]

से देख रहा हूं कि बराबर वही पुरानी बातें दुहरायी जा रही ह लेकिन माननीय मंत्री जी उन पुरानी बातों को भी जो कि बार-बार दुहरायी जाती हैं, आज तक पूरा नहीं कर पाये। वह बतलायें कि कितनी बातें उन्होंने पूरी कर दी हैं ? और कितना हरिजनों को वह आगे बढ़ाने में सफल हुये हैं ? मैं यह मानकर चलता हूं कि जहां हमारा समाज कुछ ऊंचा उठा है, देश कुछ ऊंचा उठा है वहां उसके साथ साथ थोड़ी उनकी भी उन्नति हुई है, लेकिन इसके लिये तो भरसक प्रयत्न की जरूरत है कि यह दलित पिछड़ा वर्ग आगे बढ़े। जब तक हमारे समाज की एक भी कड़ी कमजोर रहती है उस वक्त तक हम समूचे समाज को भी ऊंचा उठा हुआ नहीं मान सकते हैं क्योंकि वही एक कमजोर कड़ी समूचे समाज को नीचे गिरा सकती है। इसलिये मैं समझता हूं कि उनकी उन्नति के लिये विशेष रूप से प्रयास होने चाहिये ।

हम लोग जिस समस्या पर विचार यहां व्यक्त करते हैं उसके विचार के लिये एक स्टेट हरिजन बोर्ड बना हुआ है जहां पर कि हरिजनों की इन समस्याओं पर विचार होता है। लेकिन आज दो साल से उसकी बैठक करने का और उसमें इन समस्याओं पर विचार करने का मौका नहीं आया है। जब विचार करने का ही मौका नहीं है तो उसको क्रियात्मक रूप देना तो और भी दूर रहा। जब सुझावों पर विचार करने की ही उनको फुर्सत नहीं मिलती तो काम करने की फुर्सत किसको रहेगी? आज हम सदन में वही पुराने विचार रखते हैं और उसमें भी देखते हैं कि कोई विशेष प्रगति नहीं हुई तो हमें अफसोस होता है कि आखिर वह कौन सा समय आयेगा जब हम देखेंगे कि हमारा यह समाज का दलित, पिछड़ा हुआ अंग आगे बढ़कर देश की उन्नति में अग्रसर होगा ?

मैं तो इसका एक हल समझता हूं और वह यह कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले। हर एक के लिये रोजगार की व्यवस्था हो जाय। आज इस वर्ग के पास रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके कारण न तो उसकी शिक्षा का इंतजाम हो पाता है, न उसका मकान बन पाता है और न वह ठीक से अपना जीवनयापन कर सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आप हरिजनों के लिये और इन गरीबों के लिये रोजगार की व्यवस्था कर दें और शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दें। हमें जरूरत नहीं है आपकी किसी और चीज की। हरिजन वर्ग अपने आप अपनी और सारी कमियों को दूर कर लेगा। वह शिक्षा की समस्या भी हल कर लेगा, मकान की समस्या भी हल कर लेगा, हर तरह की समस्या वह हल कर लेगा। लेकिन जब कोई रोजगार ही नहीं है हमारे लिये जिससे कि हम स्वावलम्बी बन सकें तो फिर कौन-सा वह साधन है कि जिससे हम समाज में दूसरे लोगों के समान आकर खड़े हो सकें ।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, जो हरिजन कल्याण विभाग यहां पर खुला हुआ है उससे कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है। इसका ज्यादातर धन अधिकारियों की तनख्वाहों में जा रहा है और उन बेचारों को कोई भी अधिकार न सूबे में, न जिले में प्राप्त है जिससे कि वह कुछ काम कर सकें। मैं तो समझता हूं कि इस विभाग को समाप्त कर दीजिये, और शिक्षा विभाग में इसको मिला दीजिये, इसका सारा रुपया शिक्षा विभाग में दे दीजिये, वही इस काम को कर लेंगे। दूसरी बात, कोई भी कमेटी आपकी हो, पब्लिक सर्विस कमीशन हो या कोई भी दूसरी चुनाव कमेटी हो, उसमें इनका (हरिजनों) प्रतिनिधित्व होना चाहिये क्योंकि जब तक इनका उसमें प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक इनको संरक्षण प्राप्त नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि इसके लिये ठोस कदम उठाने की जरूरत है, केवल कागजों पर प्लान बनाते रहेंगे तो उनकी समस्या कभी हल होने वाली नहीं है।

माननीय मुख्य मंत्री जी मैं समझता हूं कि इस समस्या पर काफी विचार कर रहे हैं और मुझे यह भी मालूम हुआ है कि वह हरिजनों को आगे बढ़ाने की कोशिश सिर्फ इस अनुदान में ही नहीं, अपितु अपनी भावनाओं और कार्यों के द्वारा भी करने की कोशिश करते हैं। मैं इसके लिये उनकी सराहना करता हूं, लेकिन उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह हरिजनों को उठाने की पूरी कोशिश करेंगे और उनको समाज में समान स्थान दिलाने की कोशिश करेंगे।

जहां तक १८ प्रतिशत रिजर्वेशन का सवाल है मैं समझता हूं कि रोजगार के सामने वह कोई चीज नहीं है, अगर रोजगार उनको मिल जाय तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रोजगार जब नहीं मिलता है तो वह भी एक जरूरी चीज है। आज चपरासियों में भी उनको पूर्ण स्थान नहीं मिलता है, क्या वहां भी योग्यता की जरूरत है? आज कहीं तो एक-एक आदमी के पास कई रोजगार हैं और कहीं किसी के पास एक भी नहीं है। तो यह क्या असमानता को मिटाने का तरीका है? पददलित समाज इस प्रकार रोजगार तथा शिक्षा प्राप्त करने से ही आगे बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्तुत अनुदान का पुनः समर्थन करता हूं। आज कोई भी स्कीम उनके लिये नहीं है जो पुरानी बातों से उनको हटा सकें। आज भंगियों के लिये कोई इस तरह की योजना नहीं है जो उनके सिर से पाखाने की टोकरी को हटा सके। फिर यह समानता कैसे आयेगी? समाज के अन्दर बराबरी कहां हुई? समाज के अन्दर बराबरी तभी होगी जब कोई भी समाज का आदमी किसी काम के करने में हिचके नहीं, समाज का हर एक आदमी हर एक काम को कर सके और उस काम के करने में उसको किसी प्रकार से लज्जा का अनुभव न हो। समाज के अन्दर किसी आदमी को ऐसा मौका न हो कि कोई एक काम किसी खास वर्ग के लिये मखसूस रह जाय।

आज हरिजनों के पास रहने के लिये मकान भी नहीं हैं। हरिजनों को यहां से जो अनुदान दिया जाता है वह बस्ती के लिये दिया जाता है। हरिजनों के पंचायत घर पड़े रह जाते हैं, वह बन नहीं पाते हैं। अगर कुछ रुपया उन पंचायतघरों के बनाने के लिये दे दिया जाय तो उससे कुछ पंचायत घर बन सकते हैं जिनमें कुछ लोग बैठकर आराम कर सकते हैं। बजाय इसके कि अलग-अलग झोपड़ी बनाने के लिये रुपया अलग-अलग दिया जाय पंचायतघर के लिये कुछ पैसा मिल जाय तो उसमें काफी लोग बैठकर आराम कर सकते हैं।

आज छात्रवृत्तियां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड की तरफ से वितरण होती हैं किन्तु वे समय पर छात्रों को मिल नहीं पाती हैं जिससे वे बच्चे उनसे लाभ उठा नहीं पाते हैं। इसमें सरकारी वर्ग का दोष है। उस सरकारी वर्ग को अपने इस काम में एफिशियेन्सी लानी चाहिये ताकि वह काम आगे बढ़ सकें। दसवीं कक्षा के हर छात्र को वह छात्रवृत्ति समय से मिल जाय तो वह उससे लाभ उठा सकता है। तभी वह अपनी कक्षा में अध्ययन भी कर सकता है और आगे भी बढ़ सकता है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उसने दसवीं कक्षा से ऊपर सारे बच्चों के लिये छात्रवृत्ति का प्रबन्ध किया है। दसवीं कक्षा तक भी सब हरिजन छात्र को छात्र-वृत्ति का प्रबन्ध किया गया। इससे उनको सहारा मिलेगा और उनकी बहुत सी समस्यायें हल हो सकेंगी।

*श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूं कि इतनी कसरत करने के बाद आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। माननीय विश्रामराय जी ने, जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आज एक महत्व का अनुदान हमारे सामने पेश है लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि चाहे इधर के बैठने वाले हों और चाहे उधर के बैठने वाले हों, खासतौर से जो हरिजन सदस्य हैं, वही यहां पर बैठे हुये हैं। इससे यह मालूम होता है कि और माननीय सदस्यों को इस अनुदान से कोई दिलचस्पी नहीं है।

अभी जब माननीय मंत्री जी इस अनुदान को पेश करते हुये अपने विचार प्रकट कर रहे थे तो उन्होंने यह कहा कि यू० पी० के अन्दर पिछड़ी हुई जातियां और अनुसूचित जातियां करीब ४ करोड़ २० लाख के हैं। यदि पूरी यू० पी० की मर्दुमशुमारी को देखा जाय तो १९५१ में यहां की मर्दुमशुमारी ६ करोड़ ३२ लाख थी। यू० पी० में हरिजन और पिछड़ी जातियां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रघुवीरराम]

४ करोड़ २० लाख के लगभग हैं। अब जो नई जनगणना हुई है उसके सरकारी आंकड़े तो नहीं हैं लेकिन अब ७ करोड़ जनसंख्या यहां की है । ६५ फीसदी जहां पर अनुसूचित और पिछड़ी जातियां बसती हों और सारे समाज का भार उनके कंधों पर हो तो क्या यह लज्जा की बात नहीं है कि उनके ही कंधों पर सारे समाज की सेवा का भार है ? मैं कहता हूं कि समाज की यह जीवित तस्वीर नहीं है बल्कि मरी हुई तस्वीर है कि इनके ही कंधों पर यह सारा भार है।

(इस समय २ बजकर ९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुए।)

१४ वर्ष के शासन काल में गुप्ता जी उस नीति का पालन नहीं कर पाये और हरिजनों की समस्या हल नहीं करा पाये और पिछड़े लोगों की समस्या हल नहीं कर पाये । आज बहुत डींग मारी जाती है कि हरिजनों के लिये १८ फीसदी रिजर्वेशन कर दिया । लेकिन उनको केवल २ और २। फीसदी से अधिक जगह नहीं दे पाये हैं आप इन १४ वर्ष के शासन काल में । जब कोई सदस्य यहां पर प्रश्न करता है कि क्यों हरिजनों को स्थान नहीं मिले तो कहा जाता है कि अयोग्य हैं। इनके अन्दर योग्यता नहीं है । मैं निवेदन करूं कि १० वीं क्लास के पास लड़के हजारों की संख्या में मारे-मारे फिरते हैं और खुदकशी कर रहे हैं। इस तरह से कब तक टाला जायगा, कब तक इसको नजर अन्दाज किया जायगा ? कल गुप्ता जी की स्पीच सुनी। उन्होंने हरिजनों के बारे में कुछ विचार व्यक्त किये और कहा कि उनके लिये बहुत कुछ कर रहे हैं। उनकी स्पीच मालूम पड़ती थी कि चुनाव की स्पीच हो रही है या सन् ४२ की स्पीच हो रही हो । अगर हमारे मुख्य मंत्री के मुखारविन्द से ऐसी बातें निकलती हैं, तो यह हमारे प्रदेश के लिये कलंक की बात है । आप हरिजनों को बंधु कहते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इन पिछले १४ सालों में आपने उनको क्या दिया है । महज एक हरिजन शब्द की ही आजादी दी है ।

मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान खास तौर से पूर्वी इलाके की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। (व्यवधान) वहां एक हरिजन प्रतिनिधि सिवाय पानी के और पी ही क्या सकता है । श्रीमन्, मैंने वहां खुद देखा है, मैं भुक्तभोगी हूं और मेरी रग-रग में यह बातें छिपी हैं कि वे लोग अखाद्य खाकर अपना जीवन बिता रहे हैं। तालाब में एक घास होती है उसे खाकर, महुए के फूल और पत्ती खा कर, आम की गुठली खाकर और पशुओं के पाखाने का अन्न खाकर लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वहां हरिजनों को अगर समाप्त कर दिया जाय तो भी कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत से हमारे हरिजन भाई चौधरी कह दिये जाने पर मोटे हो जाते हैं जैसे पानी का एक कीड़ा खून पी कर मोटा हो जाता है और वे इस तरह की बातों से नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन जब किसी देश का गरीब आगे बढ़ता है तो उस मुल्क के चन्द पूंजीपति उसे चन्द रोटी के टुकड़े देकर गुमराह कर देते हैं और इस तरह से हम लोगों को १४ साल गुमराह किया गया है । अगर हमारे भाई इसी तरह भूले रहे तो पता नहीं कब तक हमें इसी तरह भटकना पड़ेगा। हमें अपने पैरों पर अब खड़े होना चाहिये ।

मैं अब शिक्षा की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज उत्तर प्रदेश में ४ करोड़ २० लाख अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के लोग बसते हैं और आप अपने १४ साल के शासन काल में कुल ५ फीसदी हरिजनों को तालीम दे पाये हैं। क्या यह शर्म की बात नहीं है ? उनके लिये कौन-सा उद्योग-धंधा कायम किया गया है ? कितने भूमिहीन खेतिहर मजदूर हरिजन ऐसे हैं जिनको आपने नैनीताल, किच्छा या रुद्रपुर में साढ़े पांच एकड़ के हिसाब से जमीन दी है?

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---हजारों बसाये गये हैं।

श्री रघुवीरराम--मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि इसके अलावा आप कर ही क्या सकते हैं। मैं शिक्षा के संबंध में सुझाव देना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश और हर जिले में

सर्वे कराया जाय और जहां डेढ़ सौ हरिजन परिवारों की बस्ती है उनके लिये एक पाठशाला का प्रबन्ध किया जाय। यह बहुत जरूरी है और मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां हरिजन छात्रों का खाना, नाश्ता, तथा पढ़ाई की सामग्री का प्रबन्ध अगर सरकार कर देती है तो हो सकता है कि हरिजन कुछ तालीम हासिल कर सकें और आगे बढ़ सकें और उनकी तालीम आप महज इसी तरह से कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप १० वें क्लास को तो छात्रवृत्ति देते हैं लेकिन ९ वें क्लास में, ८ व ७ वें क्लास के लड़कों को आप छात्रवृत्ति नहीं देते जो दरजे तालीम की दृष्टि से उसकी नींव हैं। अगर आप उन छात्रों को स्कालरशिप नहीं देते हैं तो एक बहुत बड़ी भूल करते हैं।

अब मैं एक बात पेयजल कुओं के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान में बताया था कि सरकार ने हरिजनों के लिये ४ हजार पानी पीने के कुओं का निर्माण कराया। श्रीमन्, इनमें बहुत से ऐसे कुयें भी होंगे जिनकी केवल मरम्मत ही की गयी होगी। जो सरकार की रिपोर्ट है, उससे यह मालूम होता है कि केवल १५ हजार हरिजन बस्तियों में कुओं की व्यवस्था नहीं है। मैं इसको सही नहीं मानता। अगर देखा जाय तो पच्चीसों हजार ऐसी हरिजन बस्तियां होंगी, जहां पर पानी पीने के कुयें नहीं होंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इतना तो अपने राज्य में अवश्य कर दीजिये कि उनको कम से कम पीने के लिये पानी तो मिल जाय। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वे कुयें नहीं बनवा सकते। जो कुयें मंजूर किये जायं उनके लिये मेरा निवेदन है कि कम से कम आधा रुपया उनको पेशगी दे दिया जाये ताकि वे उसके लिये अपना कुछ सामान खरीद सकें। बाकी रुपया आप उनको बाद में दे सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तभी आपको कुछ सफलता मिलेगी वरना नहीं।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त हुआ।

***श्री हरीसिंह**---उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरिजन कल्याण विभाग के मंत्री जी को जिन्होंने इस अनुदान को पेश किया है, बधाई देता हूं। मैं आज देख रहा हूं कि हरिजनों का उद्धार तो सभी माननीय सदस्य चाहते हैं, मगर आज एक पार्टी के तो बिल्कुल ही सदस्य यहां सदन में नहीं बैठे हैं। जनसंघ के केवल एक ही हरिजन सदस्य दिखाई दे रहे हैं, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के भी जो हमारे शुभचिन्तक हैं उनको छोड़ कर और कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। दो चार सदस्य उनकी पार्टी के बैठे हैं। इसके अलावा जो हम लोगों के सब से ज्यादा शुभचिन्तक बनते हैं, माननीय राजनारायण जी, जिनसे हम कुछ आशा रखते थे, वे भी आज सदन में नहीं हैं।

श्रीमन्, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने हरिजनों के लिये बहुत कार्य किये हैं और किसी भी शासन काल में उनके लिये इतने कार्य नहीं हुये। एक माननीय सदस्य ने ब्राह्मण की बात कही, मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि हमारे यहां जो वेद व्यास जी हुये हैं जिन्होंने बड़े-बड़े लेख लिखे हैं, वे भी पिछड़े हुये वर्ग के थे। गीता जैसे ग्रंथ को जिसने लिखा वे भी हमारे ही वर्ग के थे, वे अहीर थे, और भी कई ग्रंथ हम लोगों ने लिखे हैं। आज जो हमारा संविधान बना हुआ है वह भी डाक्टर अम्बेडकर ने लिखा है। जबकि आपको प्राथमिक कार्यों के बारे में कुछ मालूम नहीं है तो किसी से जानकारी हासिल करनी चाहिये। जो विद्वान और पढ़े लिखे होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं उनकी आने वाली संतति ऐसे ही हमेशा तकलीफ और दुख उठाया करती है। उसी तरीके से जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने एक समाज की स्थापना की। जहां तक इस समाज और ब्राह्मणों की बात कही गयी है, मैं बता देना चाहता हूं कि ब्राह्मणों ने इस वर्ग को गिराया और उठाया और ब्राह्मण ऐसा वर्ग है जो हरिजनों को गिराता और उठाता रहता है और वही सर्वत्र रहता है और वही विद्या के धनी रहे हैं। लेकिन आप यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीसिंह]

कटुता फैला करके उनसे काम नहीं ले सकते हैं। आप उनके सहयोग और प्रेम द्वारा और बुद्धि से और उनके बल से सबल बन सकते हैं। उनसे विद्रोह या झगड़ा करके नहीं। लेकिन यह खेद की बात है कि जिस सरकार और पार्टी ने हरिजन जैसे वर्ग को इतना उठाया है और जहां गुप्ता जी ने जिनको मैं १९३० से जानता हूं जब से मैं कांग्रेस में आया उन्होंने हरिजन कल्याण का कितना काम किया, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के लोग वह हैं जिन्होंने कभी हरिजनों का नाम तक नहीं लिया। वह तो सबको समान समझते हैं और हरिजनों के साथ भी वही व्यवहार है जैसा कि और किसी के साथ। ये जो सोशलिस्ट हैं, प्रजा सोशलिस्ट हैं ये कोई काम नहीं करते जितना कि कांग्रेस ने किया है।

लेकिन जब मैं हरिजन विभाग को देखता हूं, तो मुझे वहां अजीब बात मिलती है। हरिजन विभाग के रुपये का जो अनुदान होता है वह हरिजनों के नाम से आता है और जगह-जगह पार्टियों में बांट दिया जाता है। मालूम नहीं क्यों इस तरह से रुपये का अपव्यय किया जाता है। अगर रुपया देना है तो बजट में स्पष्ट रखें कि कहां कहां जायेगा और फलां पार्टी को अनुदान दिया, यह भी होना चाहिये। १९२९ में सर्वेंट्स आफ पीपुल सोसाइटी के जरिये एक कुमाराश्रम मेरठ में खोला गया, जिसके संचालक अलगू राय शास्त्री थे। जिसके ४६ लड़के जेल गये जिनके चित्र और रिपोर्ट मौजूद हैं और आज उस आश्रम के लड़के यहां के सदस्य मौजूद हैं। लेकिन आज तक उसके लिये एक पाई नहीं दी गयी। आज जिनको अनुदान मिलता है वह ऐसे आश्रम हैं जहां जाते हुये लड़के घबड़ाते हैं और ७५--७५ हजार माहवार उनको मिलता है और वहां बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बन रही हैं, लेकिन वह हरिजनों के बच्चों के लिये नहीं हैं। तो कुमाराश्रम जैसी संस्था जहां अच्छी-अच्छी शिक्षा दी जाती है, जिसके निकले हुए लोग जज तक हैं और बड़े-बड़े अधिकारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और दसियों तो इंजीनियर हैं और एस० एस० पी० हैं और दरोगाओं की तो कोई गिनती नहीं है, उसके मुंसिफ और रजिस्ट्रार तक मौजूद हैं उसे कोई पैसा नहीं दिया गया। उसकी रिपोर्ट भी नहीं होगी कि वह आश्रम क्या करता है। यह आपका हरिजन विभाग है। ये पार्टियां कब से बन गयीं, यह पता नहीं चला। पार्टी हमारी है "दलित वर्ग संघ"। कुछ लोगों में गलतफहमियां रहती हैं। तो आपस में वार्तालाप करके दूर हो जाती हैं। लेकिन इन दो तीन सभाओं का पता नहीं चला, जैसे "हरिजन सेवक संघ"। सेंट्रल गवर्नमेंट उसे लाखों रुपया देती है। एक तो पूरब जोन है, एक पश्चिमी जोन वगैरह, तो हम किस जोन में चले गये। इसमें लिखा कि प्रचार कार्य के लिये यह दिया गया। आपने जो यह जोन बांट रखे हैं यह किस आधार पर बांटे गये हैं? इतना रुपया दिया जा रहा है, कौन संस्था है और कहां रुपया जा रहा है? तो इस तरह से रुपया बांटा गया। श्रीमन्, मैं कमेटी का मेम्बर हूं। लेकिन मुझे पता नहीं चला, मुझसे पूछा नहीं गया। तो मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि विभाग में जो फिजूलखर्ची हो रही है उसको बन्द किया जाय। या तो हरिजनों के कलंक को दूर किया जाय और विभाग में फिजूलखर्ची न होकर हरिजनों को सीधे रुपया मिले या फिर इसको आप खत्म कर दीजिये। इस विभाग में कोई भी ऊंचा अधिकारी हरिजन नहीं है। जो कुछ लोग हैं भी उनको मुस्तकिल नहीं किया गया है। इन बातों को कोई देखने वाला नहीं है। वहां पर क्लर्क बैठा रखे हैं जो एक दूसरे के खिलाफ ५०--५० दरख्वास्तें देते हैं। इस विभाग का काम अब एक दूसरे की बुराई करना ही रह गया है और जो शिकायतें आयें उनकी इंक्वायरी वगैरह के झगड़े में ही यह पड़ा रहता है। जहां तक और काम करने की बात है या जो रुपया इस विभाग को दिया जाता है, उसमें से बहुत कम रुपया हरिजनों के पास पहुंच पाता है।

श्रीमन्, जहां इस विभाग में इतनी कमियां हैं वहां इस हरिजन विभाग द्वारा प्रदेश में कार्य भी बहुत हुए हैं। शिक्षा का बहुत कार्य हुआ है जो किसी भी दूसरे राज्य में नहीं हुआ। हमारे नेताओं का यह प्रताप है कि आज हमारे बच्चे शिक्षा पाकर इतने योग्य बन सकें। लेकिन

श्रीमन्, मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि इंडस्ट्रियल व्यापार में हरिजनों के लड़कों को लगाना चाहिये ताकि आज जो विषमता है वह दूर हो सके। हरिजनों के लड़कों को ज्यादा से ज्यादा वजीफा मिलना चाहिये। अगर आज यह वर्ग शिक्षित हो जाय तो इसका उद्धार अपने आप हो जायगा। फिर आपको कोई सहायता देने की जरूरत नहीं रह जायगी। यह वर्ग अपना उत्थान अपने आप कर लेगा। हमने रामायण, गीता, उपनिषद् और शास्त्र लिखे, लेकिन अब दूसरे ठेकेदार बन गये। कारण यह कि हमारी आर्थिक दशा खराब होती गई जिसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब हम आशा करते हैं कि हमारे शुभचिन्तक नेता कल्याण-कारी राज्य की तरफ विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसलिये इस तरफ विशेष ध्यान दिया जायगा। सरकार हरिजनों को उद्योग धंधों में लगाये। मेरा सरकार से सुझाव है कि तीन कामों के लिये बजट में रुपया रखा जाय जैसे उद्योग धंधे, शिक्षा और मकान और सात-आठ लाख पया प्रचार कार्य के लिये संस्थाओं के लिये रखा गया है उसका अपव्यय किया गया।

श्री उपाध्यक्ष—समय समाप्त।

***श्री मलिखानसिंह** (जिला मैनपुरी)—उपाध्यक्ष महोदय, आज हरिजनों के इस अनुदान पर जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने इस सदन में कई माननीय सदस्यों के भाषण सुने। हर तरफ के सदस्यों की ओर से प्रतिक्रिया की भावना के आधार पर यह कहा गया कि वह दल कुछ नहीं कर रहा है, वह दल कुछ नहीं कर रहा है और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जो सत्तारूढ़ सरकार है वह हरिजनों और पिछड़े वर्ग के नाम पर अपनी सीटें सुरक्षित करना चाहती है और विरोधी दल भी विरोध के नाम पर सीटें हथियाना चाहता है। वास्तव में हमें पिछड़े हुये समाज और हरिजनों की वास्तविक स्थिति देखनी है। हमको देखना है कि वास्तव में ये हरिजन कैसे हुये, ये पिछड़े कैसे हुये। जिस समय पिंडारियों का दमन था, उस समय लड़ाकू जाति जो अंग्रेजों को निकालना चाहती थी, अंग्रेजों ने उनका दमन कर के उन्हें जंगल-जंगल भटकने के लिये मजबूर किया। आज वे कंजड़ के रूप में रहते हैं, जिन्हे हम सेना-नायक और राजा भी कह सकते हैं। जहां तक भूमलियों का सवाल है, यह वह जाति थी जिसने यह प्रण किया था कि हम दिल्ली नहीं जावेंगे, चारपाई पर नहीं सोवेंगे जब तक हम इस सरकार को पलट नहीं देंगे। आज भूमलियों के रूप में यहां मौजूद हैं। ये हरिजन हरिजन हुये क्यों और बैकवर्ड बैकवर्ड हुए क्यों, इसमें एक ही राय है कि उनके पास जमींनें नहीं रहीं, उनके पास पैसा नहीं रहा और उनके पास शक्ति नहीं रही, जिससे वे जो अपने को समाज का ठेकेदार कहते हैं उनका मुक़ाबला कर सकें। मैं अपने समय में देखता चला आ रहा हूं कि इस सरकार में जो भी हरिजन डिपार्टमेंट का मिनिस्टर होगा वह ब्राह्मण होगा या कोई और होगा। हरिजनों की समस्या को समझने वाला वही व्यक्ति अधिक हो सकता है जो इस वर्ग से आवे। क्या इस सरकार के मंत्रिपरिषद् ने कभी यह सोचा कि हरिजन को या जो उसका स्पेशलाइज्ड है, उसे इस विभाग का मिनिस्टर बनाया जाय? सरकार चाहती है कि इस प्रदेश के हरिजन उसके गुलाम बन कर रहें।

हमारे यहां हरिजन कमेटियां हैं, लेकिन उनमें हमेशा वही व्यक्ति होंगे जो बड़े होंगे या पूंजीपति होंगे या सरकार के द्वारा नामीनेट होंगे। जहां तक कुवें था मकानों के अनुदानों का सवाल है, अनुदान वही राजनैतिक एजेंसी के द्वारा मिलते हैं और उनका लाभ पूंजीपति हरिजन ही उठा सकते हैं। गरीबों तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाता है? उसका लाभ वही उठा सकते हैं जो अपनी दोस्त-मंडली लखनऊ तक रखते हैं या इस सरकार को कायम किये हुये हैं। जो गरीब हैं या जो खेत पर काम करने वाले लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, तेली, धीमर, लोधी लोग हैं, क्या कभी सरकार ने उनकी ओर ध्यान दिया है? हमेशा बड़ी मछली छोटी मछली को खाती रही है इस सरकार के जमाने में। क्या सरकार ने कभी इस पर विचार किया? आज मैं देखता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मलिखानसिंह]

हूं कि जो अनुदान हैं वह उन्हीं लोगों के आधार पर बांटा जाता है जो सरकार में अपना आधिपत्य जमाये हुये हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हरिजनों की समस्या को राजनैतिक ईश्यू न बनाते हुये ग़रीबी के आधार पर गांव सभाओं में जो जमीन बचे वह हरिजनों को देनी चाहिये। ठेकेदारी प्रथा खत्म करके मजदूरों को लाइसेंस दिया जावे जिससे उनकी आर्थिक स्थिति ऊंची हो सके और बीच में जो खाता है उसे समाप्त करके धोबरों के लड़के आगे बढ़ सकें। जो अनुदान दिया जाता है उससे उन्हें सिर्फ वही सिखाया जाता है कि सूअर पालो, मुर्गी पालो, उसके सिवाय और कुछ मत करो। बड़े-बड़े आदमी सूअर पालने के नाम पर पैसा लेते हैं और पलवाते किससे हैं, उसी मेहतर से। इन अनुदानों का लाभ वास्तव में ग़रीबों को नहीं पहुंच पाता है।

जहां तक उनके सामाजिक उत्थान का सवाल है, मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि वह उन्हें उतनी महत्ता नहीं दे पाई है जितनी कि देनी चाहिये। हरिजन उत्थान का नाम लिया जाता है लेकिन जहां तक मिनिस्ट्री का सवाल है, हम देखते हैं कि उनका नाम लेकर अच्छी-अच्छी चाय पार्टियां होती हैं चाहे नुमायश में दी जावें या और कहीं दी जावें। वहां वही नेता जो कि एक चैन बनी हुई है आकर बैठ जाते हैं और साथ में चाय पी लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने मिनिस्टर ऐसे हैं जो गांवों में जाकर हरिजनों के यहां ठहरते हैं या हरिजनों के यहां जाकर पानी पीते हैं? चाहे वोट मांगने के लिये न जावें, खाली टूर पर जावें, लेकिन कितने हरिजनों के यहां ठहरते हैं? अगर वे उनके यहां जाकर ठहरें, उनके साथ मिले जुलें तो साइकालोजीकल असर इसका पूरे समाज पर पड़ेगा कि भाई, ये लोग राष्ट्र के कर्णधार उनके यहां आते हैं तो छोटे नेता अपने आप उनके यहां जाने लगेंगे। इससे समाज में उनकी मान्यता होगी। हमने देखा कि मिनिस्टर लोग वहीं जाकर टिकेंगे, जहां बड़े-बड़े मठाधीश रहते हैं या जो मिनिस्टरों को अच्छी दावत दे सकते हैं। ग़रीब हरिजनों की ओर उनकी निगाह भी नहीं जाती है। जो नेता लोग करेंगे वह ग्राम समाज करेगा। इसलिये इस सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह १२ साल में भी हरिजनों को नहीं उठा पाई है। जहां तक अपोजीशन का सवाल है, विरोधी केवल कह सकता है, उसे प्रैक्टीकल रूप देना सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिये यह कह कर सरकार नहीं छूट सकती कि वह करना चाहती है और हम लोग नहीं करने देते। हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर बनने के लिये एक हरिजन के लिये अवसर आया तो यहां से दिल्ली तक हिल उठी। कहा यह गया कि हरिजन चीफ मिनिस्टर होगा। वातावरण हुआ कि उनको नेता बना दिया और बाद में जिस तरह से बकरा चढ़ाया जाता है वैसे ही उन मिनिस्टर की हालत हुई, यह हम सबको मालूम है। तब हम लोग कैसे मान सकते हैं कि यह सरकार वास्तव में हरिजनों का उत्थान चाहती है? यह खाली ढकोसला करके हरिजनों के वोट लेना चाहती है। यह राजनैतिक स्टंट हरिजनों के नाम पर खेला जाय, यह उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

सार्वजनिकनिर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस अनुदान का संबंध है, इस पर प्रातःकाल से बहस हो रही है। माननीय उपमंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। इधर के बैठने वालों ने और उधर के बैठनेवालों ने, मान्यवर, एक सी बातें कही हैं और सब इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि जहां तक इस प्रदेश के हरिजनों का संबंध है, इस दिशा में जितनी तेजी से काम होना चाहिये था उतना नहीं हो पाया। मैं पूछना चाहता हूं उधर के माननीय सदस्यों से, चाहे वे कम्यूनिस्ट पार्टी के हों या जनसंघ के हों, कि उनके मैनीफेस्टो में, उनके प्रोग्राम में, उनकी नीतियों में, क्या कहीं एक भी शब्द पिछले १२, १५ साल में आया है कि किस प्रकार से वे हरिजनों का उद्धार करना चाहते हैं, क्या उनके पास प्रोग्राम है? कहीं एक शब्द भी है? केवल यह कहना कि १२ या १४ साल में इस सरकार ने कुछ नहीं किया, यह कहना कि यह सरकार हरिजनों के नाम पर अपना राजनैतिक उल्लू सीधा करना चाहती है, यह सत्यता नहीं है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि जहां तक हरिजनों के उद्धार का सवाल है, धन की कमी है । मैं इस बात को मानता हूं कि जहां तक धन का संबंध है वह कम है लेकिन क्या वास्तव में धन के द्वारा हरिजनों का उद्धार हो सकता है ? आप ध्यान दीजिये कि अगर हम हरिजनों को उनके उत्थान के लिये १० करोड़ रुपया देते हैं तो भी उसको अधिक महत्व नहीं देते । जहां तक धन की बात है आप १९४७ के बजट को देखिये और उसके बाद आज के बजट को हम देखें तो आपको मालूम होगा जमीन आसमान का फर्क उसमें पड़ गया है ।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रदेश में जो सड़कें बनती हैं, इस प्रदेश में जो अस्पताल बनते हैं, इस प्रदेश में जो कालेज बनते हैं तथा और तरीकों से प्लान में जो रुपया खर्च किया जा रहा है क्या उन चीजों से हरिजनों को वंचित रखा जाता है ? क्या वह उनके काम में नहीं आते ? आज द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो कुछ किया गया और तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो करने जा रहे हैं, बिजली का उत्पादन बढ़ेगा अथवा दूसरी चीजें होंगी क्या उनके बारे में हरिजनों को कोई अधिकार नहीं मिलने वाला है ? क्या उसमें वे फायदा उठाने वाले नहीं हैं ? इसलिये यह कह देना कि १४ सालों में कुछ नहीं हुआ है बल्कि १४ सालों में हम और पीछे गये हैं, किसी प्रकार की तरक्की नहीं हो पायी, यह बात गलत है ।

हमने वह समय देखा है, इसी प्रदेश में देखा है कि हरिजनों के लिये पानी पीने की व्यवस्था न थी, यदि उनकी औरतें बिछुए पहनकर निकलती थीं तो उनके पैर काट दिये जाते थे, उनकी बरातें चढ़ नहीं सकती थीं, वे शामियाने नहीं लगा सकते थे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या समाज में उसी प्रकार की विषमता आज है ? क्या इस तरह का वातावरण आज है ? धर्म और हरिजनों का नाम लेकर अनेक प्रकार की बातें कही जाती हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपके पास क्या कोई इस प्रकार का कार्यक्रम है ? केवल धर्म और पूंजीपतियों की दुहाई देकर और इस प्रकार से वातावरण को दूषित करके क्या हरिजनों की कोई सेवा की जा सकती है, या कोई सुधार किया जा सकता है ?

जहां तक सर्विसेज का संबंध है, मैं मानता हूं कि सर्विसेज में हरिजनों का जितना रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये, वह पूरा नहीं हुआ है । होना चाहिये । लेकिन जहां तक अछूतोद्धार का संबंध है सर्विसेज को पूरी तरह से मैं उसका आंकड़ा नहीं समझ सकता । नौकरी १०-२० को दी जा सकती है, १८ प्रतिशत दी जा सकती है । जहां तक इस सरकार का संबंध है टैक्नीकल नौकरियों को छोड़कर उसके द्वारा चारों तरफ इस बात की कोशिश की गयी है । लेकिन जहां तक देहातों का संबंध है, जहां तक और सब तरह की समस्याओं का संबंध है वह तो सरकार के अलावा भी हम लोग दूर कर सकते हैं। जो समाज में व्यवस्था या परम्परा चली आती है उसको दूर करने का प्रयत्न तो हम लोग कर सकते हैं। चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, जब तक हम लोग आर्थिक विषमता को मिटाने के लिये लड़ेंगे नहीं तब तक केवल सरकार को गालियां देकर उसको दूर नहीं किया जा सकता । चाहे उधर के बैठने वाले हों या इधर के बैठने वाले हों इसका रास्ता सब के लिये खुला है कि वह नीचे गिरे हुओं को उठायें । हम लोगों को उस विषमता के लिये लड़ना है ।

आज ब्राह्मण को ले लीजिये, उसमें १० जातियां मिलेंगी, क्षत्रिय को ले लीजिये उसमें पचासों जातियां मिलेंगी, इसी प्रकार से वैश्यों में भी बहुत सी जातियां हैं । इसलिये यह तो हमारे समाज का ही दोष है । इस प्रकार की समाज में अनेक परम्पराएं चली आती हैं। हमने अपने आपको गलत समझ कर इस प्रकार की चीजों में फेंक दिया है। और कुछ धर्म की ठेकेदारी के नाम पर कुछ ईश्वर के नाम पर कुछ लोगों को उसके अधिकारों से वंचित रखने का प्रयत्न किया गया है । तो सरकार को गालियां देने से काम नहीं बनेगा। आप मैदान में आइये और उन समस्याओं से लड़िये । क्या आप महसूस नहीं करते हैं कि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण से नफरत करता है और एक ठाकुर को ब्राह्मण अपने से नीचा समझता है । तो यह तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह की परम्परा चली जिसके चलानेवालों का यह उद्देश्य भी नहीं

[श्री धर्मसिंह]

था । उनका अभिप्राय इस तरह की रचना करने का नहीं था । मैं पूछता हूं कि क्या गालियां देकर या नफरत पैदा करके आप समाज को या मुल्क को बना सकते हैं ? क्या यहां यह कह कर कि हिन्दुओं के ग्रन्थों में यह लिखा हुआ है आप समाज को बदल सकते हैं ? जो समाज की नयी रचना चाहते हैं चाहे वह इधर बैठे हों या उधर, जो सोशलिज्म लाना चाहते हैं क्या वह यह भूल जाते हैं कि आज से ३० या ४० साल पहले जनसंघ के लोग तेल मलते थे और लंगोटी बांधे घूमते थे और कम्यूनिस्ट पार्टी का नामोनिशान नहीं था तब गांधी जी के नेतृत्व में कौन बढ़ा था ? आज कम्यूनिस्ट पार्टी कहती है कि वह तैयार हो रही है काम करने के लिये लेकिन उनका जब नामोनिशान नहीं था तब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गांधी जी के नेतृत्व में काम किया और यह भी तब जब कि उनको उनकी विरादरी से निकाल दिया गया था । तब कहां गये थे ये जनसंघी और कहां गये थे कम्यूनिस्ट पार्टी के लोग और कहां गये थे दूसरे लोग ? मैं मानता हूं कि हरिजनों की तरक्की होनी चाहिये लेकिन जो आज यहां सरकार पर दोष थोपते हैं उनके पास क्या प्रोग्राम है ? आज ८२ एम० एल० ए० हरिजन इधर हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि चार पांच पार्टी के लोग उधर बैठे हैं कितने नेता उपनेता आपने हरिजन बना रखे हैं ? कौन से पद आपने उनको दे रखे हैं ? लिहाजा वास्तविकता की तरफ देखना पड़ेगा और उन तमाम समस्याओं को सोचना पड़ेगा। केवल जिम्मेदारी सरकार पर थोप देने से ही काम नहीं होने वाला है ।

जहां तक सर्विसेज का सबंध है मैं मानता हूं कि हरिजनों को उसमें प्रोत्साहन मिलना चाहिये । सरकार प्रयत्नशील है और पूरे तरीके से हिदायतें हैं । जहां तक हो सकता है उसके लिये कोशिश की जाती है लेकिन जो हमारे समाज में मनोवृत्ति चली आती है क्या उसको दो चार दिनों में बदला जा सकता है ? हजारों वर्षों की परम्परायें, गंदगी, बदबू और नफरत क्या नफरत को और अधिक फैलाकर दूर किया जा सकता है ?

यह कहा गया कि कानून बनाना चाहिये । तो कानून तो बहुत से बने हुये हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि हरिजनों के संबंध में जो कानून बने हुये हैं चाहे इधर के बैठनेवाले हों या उधर के आप उनका पालन कराने की कितनी कोशिश करते हैं ? केवल कानून बना देने से समाज का सुधार नहीं होगा । कानून हैं और बन सकते हैं लेकिन अगर उनका पालन नहीं होता है तो फिर कानून बनाने से क्या लाभ होगा ?

एक माननीय सदस्य ने कहा कि जहां तक हरिजनों का संबंध है जो विद्यार्थी फेल हो जाते हैं उनकी भी फीस माफ होनी चाहिये । मान्यवर, मैं तो कम से कम इस सिद्धान्त को नहीं मानता। जब ८५ परसेन्ट हरिजन विद्यार्थी गरीब हैं और जब उनकी छात्रवृत्ति का सवाल आता है तो यह बात ठीक है कि सभी को छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकती । जो पास होते हैं और जो फेल हो जाते हैं उनको एक ही पैरिटी में रख दिया जाय, फेल होने वालों की भी फीस माफ कर दी जाय, तो कम्पटीशन की भावना की जो बात है वह नहीं आने पायेगी और जो ऐसे विद्यार्थी हैं उनके दिमाग में यह बात रहेगी कि हमें तो सहूलियत मिलती ही है ।

आज जब हमने डैमोक्रेटिक सैट अप कायम कर रखा है तो हमको थोड़ा-सा कम्पीटीशन की तरफ भी देखना पड़ेगा । आज अगर सर्विसेज में इनएफीशियेंसी आती है, स्टैंडर्ड लो होता है, उस कम्पीटीशन के द्वारा न आकर दूसरी तरह से आते हैं तो उसमें देश और समाज का भला नहीं होने वाला है । जो क्वालीफिकेशंन हैं, जो नियम और कायदे कानून हैं, थोड़ा बहुत उनका पालन करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड का खयाल रखना होगा, जिससे कि हमारे यहां जो पद्धति चली आती है उसमें कोई कमी न आने पावे ।

मान्यवर, एक बात कही गई कि १४ साल में किसी भी प्रकार की प्रगति चाहे आर्थिक पहलू हो, सामाजिक हो, शिक्षा की बात हो या कुएं की बात हो, नहीं हुई, कहीं कोई प्रगति नहीं हुई, और यह भी कहा गया कि यहां का समाज नीचे गया है ।

एक सदस्य—उधर वालों ने कहा है ।

श्री धर्मसिंह—खासतौर से उधर के बैठने वालों ने कहा । जब अंग्रेज यहां पर था और जब आजादी प्राप्त की गई थी तो जो लोग जेल में गये थे, बहुत आसानी से निर्णय कर सकते थे कि हम किसी भी प्रकार का सोशल डिसएबिलिटीज ऐक्ट नहीं बनाएंगे, किसी प्रकार की फैसीलिटीज नहीं देंगे । जहां तक ब्राह्मणों की बात है, उनमें भी गरीब लोग हैं, ठाकुरों में भी कुछ गरीब लोग हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि इन तबकों में कुछ लोग गरीब नहीं हैं । लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया, सोशल डिसएबिलिटीज ऐक्ट पास किया गया, पार्लियामेंट की ओर से कानून पास किया गया, संरक्षण दिया गया, एलाटमेंट किया गया । तो यह तमाम चीजें किस तरह से हो गईं ? कांग्रेस की ओर से हुई या किसी और की तरफ से हुईं ? जो सर्विसेज में रिप्रेजेन्टेशन है और जो सब जगह रिप्रेजेन्टेशन है उसको देखते हुए क्या यह कहा जा सकता है कि हरिजन १४ साल के दौरान में पीछे गया है ? यह बात नहीं है । हमें वास्तविकता को देखना होगा । मैं यह नहीं कहता कि सब समस्याएं हल हो गईं । मैं नहीं मानता कि और कार्य होने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन वह किसी एसेम्बली या पार्लियामेंट के द्वारा नहीं होगा । लोगों को अपनी अपनी नजर को और दिलों को साफ करना होगा । आज कानून के द्वारा, नफरत के द्वारा, गाली देकर, पुरानी पुस्तकों को कोस कर और जलाकर, एक नफरत की भावना पैदा करके सुधार नहीं किया जा सकता अगर हरिजन मांग करते हैं कि देहातों में पानी की व्यवस्था हो, बच्चों की शिक्षा का प्रबंध हो तो कोई पाकिस्तान की मांग नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम गाली दे दे कर कहें कि हिन्दुओं तुमने यह किया, तुम्हारी संस्कृति ऐसी थी, तहजीब ऐसी थी, तुम्हारी पुस्तकों में यह लिखा हुआ है, क्या उन बातों को सरकार प्रोत्साहन देती है ? इन तमाम बातों को सोचना पड़ेगा। हमको अपनी मनोवृत्ति को, नीति को बदलना पड़ेगा ।

कहा गया कि हरिजन विद्यार्थियों को जानकर फेल किया जाता है । मैं नहीं समझ सका क्या अभिप्राय था । क्या हरिजनों के लिये कोई खास किस्म के रोल नम्बर होते हैं जिससे पता चल जाता है और उनको फेल कर दिया जाता है ? रोल नम्बर तो सबके लिये एक ही तरह के होते हैं। फिर यह बात कैसे उठ सकती है, मेरी समझ में तो नहीं आता। आज प्रदेश में हरिजनों के लिये कार्य हुआ, इसके बारे में दो रायें नहीं हैं। लेकिन जो कुछ किया जाता है उसको भी साफ कर दिया जाय और कहा जाय कि कुछ नहीं हुआ क्या इससे हरिजनों का भला होने वाला है ? एक ऐसी परिस्थिति है, कुछ लोग इधर से चलें और कुछ लोग उधर से चलें, कांग्रेस की यही नीति है, जो बीच में एक तरह की दीवाल सी है उसको कम किया जाय और जो समाज में आर्थिक और समाजिक विषमतायें हैं, जो खाई हैं उसको पाटने की कोशिश करें ।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी के अनुदान का समर्थन करता हूं ।

*श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के समर्थन में आपकी आज्ञा से कुछ कहूंगा और साथ ही अपने सुझाव भी दूंगा । विरोधी दल के कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि हरिजनों की हालत में सुधार नहीं हुआ है, या कुछ कम हुआ है । कुछ कम वाली बात तो जरूर मानी जा सकती है, लेकिन जहां तक कुछ नहीं का सवाल है उसको नहीं माना जा सकता है । आजादी के बाद से राजनीतिक और आर्थिक दशा में तो चेन्ज देखने को मिलती है, इसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है, किन्तु सामाजिक अवस्था में हरिजनों के लिये जितना चेंज हुआ है, इस पर बहुत वाद विवाद हो सकता है । लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सोहनलाल धुसिया]

इतना तो मानना पड़ेगा कि इससे संतोष नहीं है और इसी संतोष को लाने के लिये, असंतोष को मिटाने के लिये, यहां हर साल वादविवाद होता है ।

इनकी असमानता दूर करने के लिये, जैसा कि और लोग भी कहते हैं रोजी लोगों को ज्यादातर या तो जमीन से मिलती है या बिजनेस से लेकिन हरिजनों के पास दोनों में से एक भी चीज नहीं है । अब रह गयी एक चीज, नौकरी या मजदूरी । मजदूरी भी ऐसी है कि गांवों में या शहरों में १२ महीने नहीं मिलती । रह गई सर्विस की बात इसका तो सही जवाब सरकार ही दे सकती है । लेकिन इतना मानना पड़ेगा कि इस हाउस में जितने भी मेम्बर्स बोलते हैं, उनकी नौकरी के लिये सरकार की तरफ से जो भी फीगर्स आते हैं उनसे जाहिर होता है कि नौकरी उनको जितनी मिलनी चाहिये उतनी नहीं मिली है । इस पर भी बहुत वादविवाद है कि क्यों नहीं मिली । सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छा जवाब आ जाता है । जिसको रामबाण की तरह से हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं कि सूटेबिल कैंडिटेट्स नहीं मिल रहे हैं । लेकिन इससे काम नहीं चलेगा । और अगर यही सरकार का जवाब है तो मैं यह समझता हूं कि जितने मेम्बर्स यहां आते हैं और सरकार बनती है, उसका भी कायम रहना जरूरी नहीं रहेगा । इसके लिये सरकार ने प्रयत्न जरूर किया है कि इनको सर्विसेज में अवसर दिया जाय क्योंकि सरकार जमीन दे नहीं सकती बिजनेस उनको दे नहीं सकती । इसके लिये कांग्रेस सरकार ने एक खास कोटा इनके लिये सर्विसेज में बांध दिया । लेकिन आज तक किसी भी प्राविन्स में वह पूरा नहीं हुआ ।

मैं अपने प्राविन्स की खास तरीके से बात करूंगा । इसके लिये हमें दुख है कि सरकार जितनी ही प्रयत्नशील है कि इनको नौकरियां बराबर मिल जायं, जितना रिजर्वेशन है उतना मिल जाय, सरकारी कर्मचारी उतने ही उदासीन हैं । दरअसल दुख होता है कि एक सरकारी कर्मचारी सरकार के आर्डर को न माने । यह बात ऐसी है जो समझ में नहीं आती । लेकिन होता रोज है, सरकार भी उनके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं ले सकती । ऐसी हालत में मैं चीफ मिनिस्टर साहब से यह प्रार्थना करूंगा कि कम से कम फीगर्स वे हर डिपार्टमेंट से मंगायें और जिन अफसरों के जरिये रेक्रूटमेंट होता है उनके खिलाफ अगर वे कुछ नहीं कर सकते तो एक्सप्लेनेशन जरूर काल करें । अगर इतना भी कर देंगे तो मैं समझता हूं कि हरिजनों के लिये आज सर्विसेज में जो डिफिकल्टीज हैं वे बहुत हद तक कम हो जायंगी ।

सरकार कहती है कि हमारे पास धन नहीं है और हरिजनों के पास भी धन नहीं है, लेकिन जन है । अगर धन जन से पैदा हो सकता है तो सरकार से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस जन को वह धन पैदा करने के लिये लगायें । उसके लिये सरकार के पास कुछ व्यवस्था होनी चाहिये ।

कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें दरअसल सोच कर शर्म आती है और कहते हुए भी शर्म मालूम होती है, लेकिन बगैर कहे रहा भी नहीं जाता । कहने के लिये तो हरिजन विभाग है, लेकिन हम लोग जब से इस असेम्बली में आये हैं १९५७ से, हमें अफसोस है यह कहते हुए कि इस विभाग में एक भी आफिस होल्डर ऐसा नहीं है जो हरिजन हो । माना कि डेमोक्रसी में कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है सरकार की लेकिन एक भी आदमी ऐसा कहने सुनने को ही होता जो हरिजनों के आंसू भी पोंछ सकता । क्या सरकार ने यह समझा है कि अगर हरिजन को रखेंगे तो वह ज्यादा बेईमानी करेगा ? मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । और विनम्रता से कहूंगा कि यह एक तरह से ग्रास नेगलिजेंस है और यह नेगलीजेन्स बहुत जल्द दूर कर देनी चाहिये । (लालबत्ती जलने पर) उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा टाइम और लूंगा । मुझे कुछ खास बातें हैं जो कह लेने दीजिये ।

सर्विस के लिये मैं एक सुझाव अपनी तरफ से यह दूंगा कि जिस तरह से हम लोगों के रिजर्वेशन के लिये कांस्टीट्यूशन में प्रावाजन किया गया है, उसी तरह से मैं अपने मुख्य मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह किसी तरह से भी हो हरिजनों को प्रोटेक्शन देने के लिये वाइवा का एग्जामिनेशन खत्म कर दें। रिटिन टेस्ट बरकरार रखें लेकिन वाइवा को खत्म कर दें और अगर ऐसा नहीं किया गया तो कभी भी हरिजनों का रिप्रेजेन्टेशन बढ़ नहीं सकता, घटता ही जायगा। जितने लड़के फेल होते हैं वे सब वाइवा में फेल होते हैं। आप उनकी मेडिकल फिटनेस देख लीजिये, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लें, रिटिन कम्प्टीशन देख लें और अगर वे उसमें क्वालिफाई करते हैं तो मेरी यह प्रार्थना होगी आपसे कि वाइवा को खत्म कर के आप उनका एप्वाइंटमेन्ट करदें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हरिजनों का भला नहीं होगा।

इंडस्ट्रीज के लिये मैं थोड़ी सी बात जरूर कहूंगा कि जितने बुद्धिमान लोगों ने इन लोगों को सलाह दी है वह ज्यादातर चमड़े, सुअर के बाल या सुअर के लिये देते हैं लेकिन मेरा विश्वास है कि इंडस्ट्रीज के लिये किसी भी आदमी को ठीक से रुपया नहीं मिलता है। जितना भी रुपया चमड़े वगैरह के लिये मिलता है, मुझे कहना तो नहीं चाहिये, लेकिन वह सब नान हिन्दूज को ही मिलता है और वे इन लोगों को एक्सप्लायट करते हैं। इसलिये मैं सरकार से चाहूंगा कि अगर वह हरिजनों की हालत सुधारना चाहती है तो कम से कम उन्हीं को रुपया दिया जाय वरना दूसरे लोग इनके नाम पर रुपया ले लेते हैं जिससे न तो हरिजनों का कल्याण होता है और सरकार का रुपया भी जाया हो जाता है।

इसके अलावा मैं एक बात यह और कहूंगा कि हरजिनों की प्राब्लेम को अगर केवल एक वर्ग की प्राब्लेम न समझ कर एक नेशनल प्राब्लम समझा जाय तो मैं समझता हूं कि इसको हल करने में ज्यादा आसानी होगी। इसके लिये हमें जो भी नये-नये तरीके अपनाने पड़ें वह अपनाने चाहिये? और इसके लिये मैं दो, तीन एग्जाम्पिल दूंगा कि हमारे यहां जब सती के रवाज को बन्द किया गया उसके खिलाफ डेमान्स्ट्रेशन्स हुये। इसके लिये लार्ड विलियम बैंटिक की रिपोर्ट है उसको कोई भी पढ़ सकता है। इसी तरह से जब बाल विवाह के विरुद्ध कानून बना उसके विरुद्ध भी बहुत हंगामा मचा था खासतौर से हिन्दुओं की तरफ से। इसके अलावा लेटेस्ट जो फैमिली प्लानिंग का स्लोगन चला है इसके खिलाफ भी कैम्पेन चल रहा है। तो जब भी हमारे यहां कोई सोशल रिफार्म होता है उसकी मुखालिफत की जाती है, खासतौर से कैपिटलिस्टों की तरफ से ताकि उनका शोषण कायम रहे। जब तक हरिजनों का सोशियो-एकोनामिक स्तर ऊंचा नहीं किया जायगा, तब तक इन लोगों का भला नहीं हो सकता और जबतक इन लोगों का भला नहीं होगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। सोशियो-एकोनामिक स्ट्रक्चर ऊंचा करने के लिये मैं एक ही प्वाइन्ट दूंगा और उसके बाद बैठ जाऊंगा क्योंकि शायद उपाध्यक्ष महोदय मुझे और ज्यादा टाइम नहीं देंगे। अब तक हम लोगों के यहां यह प्रथा है और मेरे ख्याल से यह कैपिटलिस्टिक तरीका है कि जिस जाति का आदमी होता है उसी जाति में वह अपने लड़के या लड़की की शादी करता है और यह महज इसलिये है कि उसका धन दूसरे के यहां न जाय। अगर सोशियो––एकोनामिक स्ट्रक्चर को ऊंचा उठाना है तो आप इस पैटर्न को खत्म कर दीजिये और यह कानून बनाइये कि जो आदमी इंटर–कास्ट मैरेज करेगा तभी वह लड़का अपने बाप की प्रापर्टी को इनहेरिट करेगा वरना नहीं। अगर आप यह कर देते हैं तो इससे केवल हरिजन का ही नहीं बल्कि सारे देश का कल्याण होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यावाद देता हूं कि आपने मुझे इतना टाइम दिया।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)––उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि जब आज अनुदान संख्या ४२ इस सदन में स्वीकृति के लिये उपस्थित की गई मैं उस समय मौजूद नहीं था। इससे भी बड़ा अफसोस यह है कि जब कटौती का प्रस्ताव उपस्थित किया गया तो उस समय भी मैं मौजूद नहीं था। फिर भी मैं आपकी आज्ञा से यह धृष्टता करता हूं कि इस समय जो प्रस्ता

[श्री त्रिलोकीसिंह]

सदन के विचाराधीन है उसके संबंध में कुछ निवेदन करूं। मुझे विशेष तौर पर यह अर्ज करना है कि यह समस्या केवल हरिजन या पिछड़े हुये लोगों की ही नहीं है। मुझे दुख है कि जब कभी हरिजन या पिछड़े वर्ग के लोगों का इस सदन में जिक्र आता है तो यह समझा जाता है कि देश के कुछ लोग हैं जिनके संबंध में यह चर्चा है। मैं अर्ज करना चाहता हूं जैसा कि महात्मा गांधी कहा करते थे कि अगर हिन्दुस्तान को हालत को देखना है तो गांवों में जाकर देखिये उसी तरह से यह भी सत्य है कि अगर भारत को हालत को देखना है तो उन लोगों को जो हरिजन हैं या पिछड़े वर्ग के कहलाते हैं, उनकी दशा देखिये ?

यह भी सर्वमान्य है कि हमारा देश संसार के देशों से पिछड़ा हुआ है। इसके अनेक कारण कहे जाते हैं। एक यह कि परदेशियों ने हम पर १०० साल से ज्यादा शासन किया और हमारी संस्कृति को मिटाया या हमारी राजनीति को गन्दा किया। लेकिन मान्यवर, इसकी तह में देख लें कि देश की पिछड़ी हुई हालत की जितनी जिम्मेदारी इस देश के रहने वालों की है उससे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी है। आज हमारा देश और समाज ऊंचा नहीं उठ सकता है यदि इन पिछड़े हुये लोगों की दशा को हम ठीक नहीं करते हैं।

मान्यवर, कोशिश की जा रही है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है "Justice, Social-Economic and Political" गौर करें जहां तक राजनीतिक अधिकारों का सवाल है वह तो बराबर सबको मिल गये क्योंकि सबको वोट देने का अधिकार है। लेकिन अगर आर्थिक दृष्टि से और समाजिक दृष्टि से देखा जाय तो इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है कि हरिजन तथा पिछड़े हुये लोग अभी ऐसी दशा में हैं जिनको समता का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। हमारे संविधान की धारा ४६ के अन्तर्गत इसके लिये साफ साफ लिखा गया है कि राज्य की तरफ से प्रयत्न किया जायगा ? वह प्रयत्न क्या है ? १५० करोड़ रुपये के बजट में से केवल २ करोड़ ६ लाख रुपया रखा गया है। गौर करें श्रीमन्, यह तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष है। माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि तीसरी योजना ४९७ करोड़ से बढ़ाकर ५०२ करोड़ की कर दी गई है। ४९७ करोड़ वाली योजना में केवल ११ करोड़ रुपया हरिजनों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों की भलाई के लिये रखा गया था। श्रीमन्, हम मानते हैं कि इनकी आबादी ७० परसेंट से ज्यादा है और फिर भी केवल ११ करोड़ रुपया ४९७ करोड़ की योजना में से रखा गया और अगर यह योजना ५०२ करोड़ की मान ली जाय तो यह रकम घटकर ७ या ८ करोड़ ही रह जाती है। संविधान की धारा ४६ को ध्यान में रख कर केवल ८ करोड़ रुपया ५०२ करोड़ की योजना में रखा गया और यदि संविधान के अनुच्छेद १९ को ध्यान में रखा जाय जिसके अन्तर्गत सबको समानता का अवसर प्राप्त हो तो इसमें संदेह नहीं है कि यह रकम बहुत ही कम है। ज्यादा शिकायत इसलिये और भी हो जाती है कि पिछले साल यह रकम २ करोड़ ५१ लाख थी। इस साल यह ४५ लाख की कमी क्यों की गयी मुझे नहीं मालूम कि माननीय मंत्री ने जब इस सदन में अनुदान को उपस्थित किया तब इस सिलसिले में कुछ कहा या नहीं। लेकिन अगर गौर किया जाय तो इनके पास कोई कारण नहीं कि जब अन्य विषयों में दूसरे विभागों में खर्चे को बढ़ाया जा सकता है तो हरिजन और पिछड़े वर्ग के लिये क्यों घटाया जाय ? मुझे केवल एक ही बात मालूम होती है कि दिखावे की बातें इस देश और मुख्यतः इस प्रदेश में विशेष रूप से होती हैं। उधर से एक माननीय सदस्य ने कहा कि इधर के बैठने वालों ने इन हरिजनों की भलाई के लिये क्या किया ? मैं उनकी सेवा में अर्ज करना चाहता हूं कि चाहे मान्यता हमारी कम हो लेकिन हमारा इरादा और हमारी नीयत उस तरफ के बैठने वालों ने इरादे और नीति से ऊंची है। सबूत के लिये मैं महज एक बात अर्ज करना चाहता हूं और मैं माननीय मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि जब वह जवाब दें तो इस बात का जिक्र करें कि क्या हरिजनों के लिये जितने स्थान सुरक्षित हैं उनके अलावा किसी जनरल सीट से कांग्रेस की तरफ से कोई हरिजन चुन कर आया है ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को यह गौरव प्राप्त है कि १९५२ के चुनाव में भी जब प्रजा-

सोशलिस्ट पार्टी नहीं थी, के० एम०पी०पी० थी, तब भी और १९५७ के चुनाव में भी जितने स्थान हरिजनों के लिये सुरक्षित थे उनके अलावा जनरल स्थान से भी हरिजनों को खड़ा किया और कम से कम एक माननीय सदस्य इधर बैठे हुए हैं जो एक अनुसूचित जाति के होते हुए एक ब्राह्मण को हरा कर आये हैं । कहना बहुत आसान है । जो चाहे कहें या सोचे लेकिन हमारा यह विश्वास है कि सर्विसेज में उनके लिये जो स्थान सुरक्षित किये जायंगे उनकी भी पूर्ति यह सरकार नहीं कर पायेगी । यह हो सकता है कि पढे लिखे न मिले हों लेकिन एक माननीय सदस्य ने जैसा कहा चपरासी तो मिल सकते थे। फोर्थ क्लास गवर्नमेंन्ट सर्वेंट्स में उनका प्रतिशत क्यों नहीं पूरा किया गया ? इस मामले में विशेष ध्यान देना होगा वरना भारत पिछड़ा ही रहेगा । जब तक इस पार्टी की सरकार रहेगी पिछड़ा ही रहेगा ।

मैं चाहूंगा कि मेरे बाद जो माननीय सदस्य उस तरफ से बोलें वह इस बात को ध्यान में रखते हुये मेरी इस बात का खंडन करें कि ५ सौ करोड़ के प्लान में महज ८ करोड़ रुपया हरिजनों और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिये क्यों रखा गया है ? मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज क्या किसी को मालूम है कि हरिजन विद्यार्थियों की संख्या उत्तर प्रदेश के डिग्री कालेज से लेकर प्राइमरी स्कूल तक कितनी है ? महज १ लाख ४० हजार। क्या कोई इस बात से इन्कार कर सकता है कि ६ वर्ष से लेकर १८ वर्ष तक जो स्कूल गोइंग एज है उसमें हरिजनों की संख्या महज ३५ लाख है उसमें से केवल १ लाख ४० हजार विद्यार्थी स्कूल जाते हैं। बाकी साढ़े ३३ लाख लड़कों की शिक्षा के लिये केवल १ करोड़ ११ लाख रुपया नये प्लान में रखा गया। क्या इस रफ्तार से हम उनको उस स्तर की तरफ ले जा सकेंगे जो आर्थिक समता और सामाजिक न्याय का लक्ष्य है ? अगर इनको इस प्रदेश के अन्य रहने वालों के बराबर लाना है तो इस अनुदान को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा । बजट के आंकड़ों को देखिये तो हरिजनों के और बैकवर्ड क्लासेज के उत्थान के लिये, आर्थिक विकास के लिये महज १८ लाख रुपया रखा गया है । १८ लाख रुपया अगर साढ़े तीन करोड़ की आबादी में बांटा जाय तो पैसों का हिसाब आयेगा ।

इनकी कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिये महज ५ लाख रुपये की रकम रखी गयी है । एक माननीय सदस्य ने कहा कि जमीन तो दी नहीं जा सकती उद्योग दिया जाय। लेकिन मैं उनकी सेवा में बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि वह बजट के पन्ने उलट कर देखें । महज ढाई लाख रुपये की रकम उद्योगों के विकास के लिये हरिजनों के लिये इस बजट में और प्लान में रखी गयी है । जितना बड़ा लक्ष्य होता है उसके लिये उतने ही साधन उपलब्ध करने चाहिये । अगर हम इस बात के लिये वाकई इच्छुक हैं और चाहते हैं और यकीनन चाहते हैं कि इनको भी उसी स्तर पर लाया जाय जिस स्तर पर कि आज दूसरे समाज के व्यक्ति हैं जो कि हरिजन और पिछड़े हुए वर्ग के नहीं हैं, अगर उस स्तर पर उनको लाना चाहते हैं तो २ करोड़ ५ लाख रुपये की रकम से यह काम नहीं हो सकता न ८ करोड़ रुपये से जो तृतीय पंचवर्षीय योजना में रखे गए हैं उससे काम हो सकता हैं ।

मान्यवर, मैं विशेष तौर पर आपके द्वारा इस आदरणीय सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हरिजनों की तीन समस्यायें मुख्य हैं । एक समस्या है आवास की, रहने के मकान की, दूसरी समस्या उन्हें पीने के लिये शुद्ध जल मिले और तीसरी समस्या है कि उनको उद्योग धंधों में लगाया जाय । यदि इन तीनों समस्याओं पर विचार किया जाय और यह देखा जाय कि शुद्ध पानी भी किसी को पीने के लिए न मिले तो मान्यवर, यह किसी भी देश और समाज के लिये कलंक है। पानी जो पंच तत्वों में से एक है जिनसे यह शरीर बना है वह भी न मिले। और इसके लिये रकम कितनी रखी गई है? कितने कुएं बनाये जायें ? मैं अर्ज करता हूं कि इसमें कोई पार्टीबन्दी का सवाल नहीं है इसमें एक प्रदेश का सवाल नहीं है यह सारे देश का सवाल है यह केवल हरिजनों या पिछड़े हुए लोगों की समस्या नहीं है । १ करोड़ ११ लाख रुपए केवल हरिजन विद्यार्थियों की फीस माफी और किताबों के रूप में देकर इस प्रदेश की दशा को, इस पिछड़ेपन को नहीं दूर किया जा सकता है ।

[श्री त्रिलोकीसिंह]

और मान्यवर, पिछड़े वर्ग का जिक्र है। मैंने बहुत उलटने पलटने की कोशिश की, चश्मा तो मैं लगाता ही हूं पढ़ते समय और एक भाई से पूछा कि जरा देखो, तो मालूम हुआ कि ९ लाख ९० हजार रुपये की रकम है और तादाद पौने तीन करोड़। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जरा सोचें और विचारें कि कब तक यह इसी तरह पिछड़े हुए बने रहेंगे। दस साल के लिए रिजर्वेशन रखा गया था। उसे बढ़ाना पड़ा। क्यों बढ़ाना पड़ा? मंसूबा था, लक्ष्य था, उम्मीद थी इतनी कोशिश होगी कि दस साल में जो भाई आज अनुसूचित जाति के हैं उनके लिये सुरक्षा की आवश्यकता नहीं रह जायगी लेकिन बढ़ाना इसीलिये पड़ा कि दस साल गुजर जाने के बाद भी वह पिछड़े बने रहे।

जब कभी उधर से बात कही जायगी तो यह पूछा जायगा कि क्या कोई इनकार कर सकता है कि कृषि का उत्पादन नहीं हुआ? क्या कोई इनकार कर सकता है कि कुएं नहीं बने? क्या कोई इनकार कर सकता है कि शिक्षा में कोई तरक्की नहीं हुई? लेकिन यह इनकार और इकरार की बात नहीं है। यह बात है जरूरत की। यह बात है उस मियार की, उस मंसूबे की, उस लक्ष्य की जो कि सामने रखा गया था। उस तक पहुंचने में कितनी कमी रह गई, उसकी बात है। यों तो जो भी रहता है कोई भी जमाना ले लीजिए चाहे मुगलों का जमाना ले लीजिये चाहे पठानों का, चाहे राजपूतों का जमाना, चाहे अंग्रेजों का जमाना ले लीजिये कुछ न कुछ तरक्की तो हमेशा हुई है। यह तो संसार की गति है, यह संसार का चक्र है, यह इन्सानी फितरत है कि इन्सान बिना आगे बढ़े हुए रह नहीं सकता है मुमकिन है एक, दो आदमी कभी पीछे हटाने की कोशिश करें लेकिन सामूहिक रूप से उसने हमेशा तरक्की की है। हमेशा उसने सड़कों का निर्माण किया है, हमेशा नहरें बनाई हैं, हमेशा विद्यालय, स्कूल, अस्पताल, उद्योग धंधे आदि खोलने और बढ़ाने की कोशिश उसने की है। सवाल तो यह है कि यह प्रजातंत्र का युग है। वह प्रजा जिसका बहुमत है, मान्यवर, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि प्रजातंत्र का उसूल है कि बहुमत का राज्य। यह क्या है? क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि, मैं भी सवाल करता हूं कि मेजारिटी आज भी ऐसी है इस प्रदेश में जिसको कि दो वक्त भर पेट खाना नहीं मिलता है और क्या यह ऐसे व्यक्तियों का राज है? ऐसा राजा है जो कि भूखा रहे? वह राजा है जिसको कि पहनने को अच्छे कपड़े न मिले? वह राजा है जो बेरोजगार रहे? अगर इस विडम्बना को कहीं देखना है तो वह भारत है और भारत में उत्तर प्रदेश सिरमौर है। सबसे ज्यादा इस मामले में भी यही है। मैं अर्ज करना चाहता हूं और मेरे सौभाग्य से माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां उपस्थित हैं कि इस प्रश्न पर आप विचार करें गौर करें और इन हरिजनों और पिछड़े हुए लोगों की दशा को अगर वाकई सुधारना है, और मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि चाहते वह भी हैं, तो इस कार्य के लिये उन्हें प्राथमिकता देनी पड़ेगी? जो काम ज्यादा जरूरी हैं उनको पहिले करना चाहिये। मैंने मान्यवर, बजट के आम विवाद में कहा था कि अधिक स्कूल खोलने से यह अच्छा है कि आज जो स्कूल हैं उनकी दशा को सुधारा जाय। संख्या की तरफ बढ़ने से यह अच्छा है कि इस लक्ष्य को सरकार अपने सामने रखे। यदि केवल संख्या वह चाहती है तो उसको सफलता प्राप्त नहीं होगी। यह जरूरी है कि इन समस्याओं को सामने रखकर जो अधिक से अधिक साधन हैं उनको हरिजन, पिछड़े हुये लोगों के भलाई के लिये सरकार इस्तेमाल करे।

नौकरी की बात की मैं कोई शिकायत नहीं करना चाहता लेकिन मैं इतना जरूर अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे देश में आज भी सबसे इज्जतदार काम है सरकारी नौकरी करना। मुगलों के जमाने में और अंग्रेजों के जमाने में भी जब ब्यूरोक्रेसी थी और आज भी कोई इन्कार नहीं कर सकता कि विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी का जो विद्यार्थी है उसका सबसे पहला काम यही होता है कि वह किसी न किसी प्रकार से सरकारी नौकरी पा जाय। भारत में और उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी महज आर्थिक उन्नति का साधन नहीं है बल्कि उससे समाज में एक इज्जत

होती है। समाज में आदमी ऊंचा उठता है। अगर वह धारणा आज ऊंची जाति कहलाने वाले बालकों में है जो यूनिवर्सिटी में प्रथम श्रेणी प्राप्त करके सरकारी नौकरी में दाखिल होने की चेष्टा करते हैं तो कोई शिकायत नहीं हो सकती अगर पिछड़े हुये वर्ग और हरिजनों के बालकों का और नौजवानों का दूसरे व्यवसाय के मुकाबले में नौकरी की तरफ ज्यादा रुझान हो। जहां तक मुझे मालूम है हमारे देश के अलावा संसार में केवल एक देश है जर्मनी जहां पर सिविल सर्वेंट की बड़ी इज्जत है और बाकी दूसरे देशों में सरकारी नौकरी को गौण स्थान दिया जाता है। हमारे यहां भी यह था कि "उत्तम खेती मध्यम बान निकृष्ट चाकरी भीख निदान।" कुछ समय पहले हमारे यहां भी नौकरी को निकृष्ट पेशा समझा जाता था लेकिन आज वह सब से अच्छा पेशा समझा जाता है। पिछड़े हुये लोगों की दशा को सुधारना है तो यह कोशिश होनी चाहिये कि उनकी शिक्षा का यथोचित प्रबन्ध किया जाय।

मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि इस कोशिश में सफलता कैसे हो सकती है। एक लड़का जो ऐसे घर में रहता है जिसके अन्दर उसका बैल भी बन्धा हुआ है, कपड़े भी एक तरफ ढेर के रूप में पड़े हुये हैं, एक कोने में रोटी पकती है, हवा के घुसने की गुंजायश नहीं है, कोई रोशनदान नहीं है जहां से हवा आ सके, ऐसे लड़के को चाहे वह हायर सेकेन्डरी पास हो जाये किन्तु वह उस लड़के के मुकाबले में जो अपने घर में साफ सुथरे तरीके से रहता है, साफ कपड़े पहनता है और दोनों समय खाने के लिये दो रोटी पा जाता है, ठहर नहीं सकता है। सरकार को यह करना है कि जो हरिजन बालक आज प्राइमरी पाठशाला में पढ़ते हैं और उन बालकों में जो पढ़ने लिखने में तेज हैं ऐसे १०,१० बालक हर एक जिले से प्रतिवर्ष चयन किए जांय तो ५०० बालक ऐसे मिलेंगे जो आगे बढ़ सकते हैं। १० वर्ष के बाद ये लड़के ५ हजार हो जांयगे। प्राइमरी शिक्षा से लेकर यूनिवर्सिटी शिक्षा तक अगर इन बालकों को सरकारी खर्च पर शिक्षा दी जाय, उनके लिये भवन का इन्तजाम हो और शिक्षा का प्रबन्ध हो, उनके पास अच्छे कपड़े हों तो देखेंगे कि ५, १० साल के अन्दर कम से कम २।।, ३ हजार सिविल सर्वेन्ट हमारे पास ऐसे हो जायेंगे जो देश और प्रदेश का काम अच्छी तरह से चला सकेंगे। यदि ५०० हर साल का औसत ही रखा जाय तो आगे चलकर बहुत बड़ी संख्या में ये लोग हो सकते हैं जो देश की उन्नति में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

हमारे प्रदेश में आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको आज किसी मात्रा में भी बराबरी नहीं प्राप्त है। वह कैसे प्राप्त हो यह प्रश्न है। यह सही है कि सैकड़ों वर्ष का रोग और हजारों वर्ष का पाप एकदम धोया नहीं जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ यह भी उतना ही सत्य है कि सैकड़ों वर्ष का पाप तभी धोया जा सकता है जब उसको धोने के लिये सही तौर पर साबुन, सही तौर पर पानी और सही तौर पर आग और सही जरिये अख्तियार किये जायं। मुझे अफसोस है इस बात के कहने में कि पिछले १० साल में जो प्रगति की गयी है वह शोभनीय नहीं है केवल इसी से मेरी बात की पुष्टि हो जाती है कि क्या कारण है कि डिप्टी कलेक्टर न सही, लेकिन क्लर्कों में भी हरिजनों के लिये अनुपात के हिसाब से जो स्थान सुरक्षित है उतनी मात्रा में वे नहीं हो पाये हैं? जब तक वह दशा नहीं पैदा की जायगी, वह असबाब नहीं पैदा किये जायेंगे कि जिनसे वे बराबरी की तरफ चल सकें तब तक जो थोड़ी बहुत कोशिश चल रही है उससे थोड़ा लाभ ही होगा।

मैं यह बात महज हरिजनों की दृष्टि से ही नहीं कह रहा हूं, महज पिछड़े हुए लोगों की दृष्टि से ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं यह बात समाज की दृष्टि से कह रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आज मुख्य मंत्री जी, उनका मंत्रिमंडल और उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य इस बात पर सोचें कि क्या कारण है कि पिछले दस वर्ष में यह सरकार क्या पीछे हटी है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। इस देश में जो स्थान दस साल पहले उत्तर प्रदेश का था वह आज नहीं है। इसका कारण यह है कि हमारे प्रदेश का बहुमत ऐसा है कि जो उठ नहीं पा रहा है। उसको उठाने की जरूरत है, उसको उभारने की जरूरत है और वह उठेगा, वह उभरेगा और वह अपने

[श्री त्रिलोकीसिंह]

को पहचानेगा और देश के निर्माण में हमसे ज्यादा वह सहयोग देगा। मुझे मुख्य मंत्री जी और आप माफ करें, आज इस प्रदेश में बाबू दल इस तरह से छाया हुआ है कि जिधर जाइये जिधर देखिये उधर ही यह दिखायी दे रहा है। मेहतरों की यूनियन में देखिये या किसानों की, बाबू ही उसका प्रेसीडेन्ट होगा और बाबू ही उसका सेक्रेटरी। बाबुओं की यूनियन है तो उसमें भी बाबू ही उसका प्रेसीडेन्ट है और बाबू ही सेक्रेटरी। एक प्रकार से इसे बाबूडम कहा जा सकता है जो प्रदेश को छाये हुए है यह प्रदेश को तरक्की नहीं करने देता। आज पहाड़ों में हरिजनों को शिल्पकार कहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने वहां अब निवास ग्रहण कर लिया है। (लालबत्ती होने पर) मैं अब एक सैकन्ड में खत्म करता हूं आपको अधिक कष्ट नहीं दूंगा। पहाड़ों में मेहनतकश हैं और प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी हैं। उनको उभरने का मौका नहीं मिलता इसलिये हर जगह बाबू जी अपना दखल देते हैं और उन्होंने अपना लक्ष्य सामने रख कर इन शिल्पकारों को भी बर्बाद करने की चेष्टा की है। मैं चाहता हूं कि वे इस खतरे से बचें और माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस खतरे से बचाने के लिये वह सब से ज्यादा प्रयत्न कर सकते हैं और जो सफलता इस प्रदेश में आज उन्हें प्राप्त होगी किसी दूसरे को नहीं प्राप्त हो सकती है।

*श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। जो अनुदान माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन के सम्मुख पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

माननीय विरोधी दल के नेता ने जो भाषण दिया उसमें बहुत सी बातें उन्होंने कहीं, जिसका नतीजा ऐसा मालूम होता है कि कांग्रेस सरकार ने हरिजनों के लिये कोई बात नहीं की, कुछ नहीं किया और उसका इसके लिये कोई प्रोग्राम नहीं है। उसने बजट में इतना रुपया भी नहीं रखा है कि जिससे हरिजन भाइयों का और पिछड़ी हुई जातियों का उत्थान हो सके। मैं समझता हूं कि हमारे विरोधी दल के नेता को शायद कुछ भ्रम है। उन्होंने यह बतलाया कि हमारी आबादी तो इतनी है, लेकिन रुपया जो रखा गया है शिक्षा आदि के लिये वह उसके मुकाबले में बहुत कम है। इस सिलसिले में पहली बात तो हमें यह सोचनी होगी कि इस समय जो भी हमारी पंचवर्षीय योजनायें चल रही हैं और उसके अन्तर्गत जो भी प्रगति के कार्य हो रहे हैं क्या उसका फायदा हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोग नहीं उठा रहे हैं, क्या वे उससे वंचित हैं? क्या वे सभी सवर्ण जाति के लोगों के लिये हैं? अगर ऐसी बात नहीं है, तो क्या यह सही नहीं है कि उन सब का लाभ हरिजन और पिछड़े वर्ग के भाई उठा रहे हैं। अगर कोई रोजगार खुलता है या फैक्ट्री खुलती है, तो क्या उसका फायदा वे लोग जो हरिजन हैं या बैकवर्ड क्लास के हैं नहीं उठाते हैं? अगर कोई सड़क बनती है तो क्या वे उस पर नहीं चलते हैं? अगर कोई अस्पताल खुलता है, तो क्या वे उससे फायदा नहीं उठाते हैं? अगर कोई स्कूल खुलता है तो क्या वे उससे फायदा नहीं उठाते हैं? कौन सी ऐसी चीज है जो देश में हो रही है और उससे वे लोग फायदा नहीं उठा रहे हैं? उन सब का फायदा उनको पहुंचता है। फिर भी हमारे विरोधी दल के नेता यह कहते हैं कि हमारी तो इतनी करोड़ की आबादी है और उसमें से इतना ही रुपया उनके लिये रखा गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जितने करोड़ की आबादी उनकी है, क्या उनमें सभी विद्यार्थी हैं? कुछ उनमें विद्यार्थी हैं और उनके लिये ही रुपया रखा गया है। यह जो रुपया रखा गया है वह तो उनको केवल सप्लीमेंट करने के लिये है। यह इसलिये नहीं है कि जितनी भी हरिजन भाइयों की समस्यायें हैं वे सब इससे दूर की जायेंगी। चूंकि हमारे प्रदेश की एक विशेष परिस्थिति है, अतः उसको सप्लीमेंट करने के लिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक प्रथक विभाग खोला गया है और उसके लिये अलग से कुछ रुपया रखते हैं। इसके द्वारा हम उनकी जरूरतों की कुछ पूर्ति करते हैं।

हम इस बात को मानते हैं कि प्रदेश में या हमारे देश में पिछड़े हुए और हरिजन वर्ग के लोगों को संख्या बहुत काफी है और कोई भी देश या प्रदेश तब तक सबल, उन्नतिशील नहीं समझा जा सकता जब तक कि वहां पर इन लोगों को संख्या काफी रहेगी और उनका विकास नहीं होगा। आज जो समस्या है उसको हमें इस दृष्टि से भी देखना है कि वह समस्या बहुत दिनों से चली आ रही है और वह समाज के लिये सैकड़ों वर्षों का एक कोढ़ है। इसको एक दिन में नहीं धोया जा सकता है। इसको हम सब जानते हैं। उसके लिये हमने ठोस कदम उठाये हैं और बहुत सी बातों को किया है। स्वराज्य मिलने से पूर्व जो कदम कांग्रेस दल ने उठाया और जो कार्य किया उसका जिक्र तो माननीय सदस्य कर चुके हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जब स्वराज्य हुआ, और हमारा संविधान बना तो उसमें भी हमने जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको समान अधिकार दिये और इस बात पर जोर दिया कि जो भी सुविधायें हों वह सभी को बराबर हों, उनमें समानता हो। पहले जो हमारे हरिजन भाइयों को यह मनोवृत्ति थी कि वे तो केवल खिदमत करने के लिये हैं, क्या आज उनमें बदलाव नहीं हुआ है? दूसरा वर्ग यह समझता था कि हम इनसे खिदमत लेने के अधिकारी हैं, क्या सोसाइटी में क्रान्ति नहीं आयी, बदली नहीं? मैं समझता हूं कि आज हमारी जितनी पिछड़ी हुई जातियां हैं, हमारे हरिजन भाई हैं वह इस बात को समझते हैं कि हमारा अधिकार एक समान है, हम हर एक चीज के अधिकारी हैं, जैसे कि दूसरा उसको पा सकता है, हम भी उससे फायदा उठा सकते हैं। वह आज समझते हैं कि चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक या आर्थिक क्षेत्र हो, उसमें वह बराबरी का हक रखते हैं, और अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। तो यह समझना कि कुछ भी नहीं किया है, ठीक नहीं है।

लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन जरूर करूंगा कि जब हमारा लक्ष्य समाजवादी समाज को स्थापित करने का है तो हमारी भूमि सुधार की व्यवस्था में एक चीज यह रखी गयी थी कि भूमिहीन जितने हमारे खेतिहर हैं गांव में, जो कोई भी जमीन खाली हो तो वह उनको मिलनी चाहिये। लेकिन हम देखते हैं कि ग्राम समाज कमेटियां इस नियम का पालन नहीं कर रही हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी के पास सामान्य प्रशासन है और यह विभाग भी है जिसका आज अनुदान पेश किया गया है, तो उनकी ओर से विभागीय अधिकारियों को यह हिदायत होनी चाहिये कि हमारे जितने कमिश्नर्स हैं, जिलाधीश और कलेक्टर हैं उनकी कार्य-कुशलता इस बात पर निर्भर होगी कि वह देखें कि ग्राम समाज कमेटियों ने भूमिहीनों को भूमि दी है या नहीं।

इसी तरीके से सीलिंग जो इस वक्त लागू होने जा रही है, उसमें जो जमीन दूसरों को दी जाय या कोई सोसाइटी बनायी जाय, उसमें भूमिहीन, हरिजन और पिछड़ी जाति के लोग जरूर हों।

*श्री छत्रपति अम्बेश—उपाध्यक्ष महोदय, जहां हरिजनों के नाम पर रिजर्वेशन हुआ, वहां उसके पूरा होने की नौबत कभी आयेगी, यह बात दूसरी है, इससे पहले रिजर्वेशन के नाम से जो जहर तथा कथित सवर्ण और हरिजनों में फैलाया गया है, वह एक भयानक बीमारी हो गयी है। अगर स्कूलों में या किसी साथी के साथ बैठे हुए हैं जहां हरिजन और नान–हरिजन मौजूद हैं तो सबसे पहला प्रश्न नान–हरिजन के सामने यह रखा जायगा कि आज जो कुछ भी है वह हरिजनों को मिलता चला जा रहा है। मैं अपनी बीती एक बात कहूं। मेरे एक साथी आगरे के एम०एल० ए० हैं, ८—१० रोज हुए चर्चा चल रही थी तो उन्होंने कहा कि जाओ भी, हरिजन हो इसी से एम० एल० ए० बन गये, नहीं तो न जाने किस कोने में पड़े रहते। यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री छत्रपति अम्बेश]

तो हमारी रोजमर्रा की बात है, जिसे हम रोज अनुभव कर रहे हैं। और एक दूसरा जहर जो फैलाया जाता है, वह यह है जो हमारे सवर्ण भाई हमारे आपस के बीच में फैला रहे हैं, जो कि आइंदा हमारे प्रदेश के लिये, उनके लिये और देश के लिये भी बड़ा दुखदायी होगा, हमसे कहा जाता है कि तुम भंगी हो, यह चमार है, यह जाटव है, वह पासी है, जब तुम में ही भेद-भाव है। तुम कैसे अधिकार की मांग करते हो? मैं समझता हूं कि इस भावना से यह जरूर है कि थोड़ी देर के लिये दूसरी जाति वालों को, पासी को, चमार को, जाटव को खुश कर लेते हों, लेकिन उस सच्चाई को भूल जाते हैं कि इस प्रकार का द्वेष फैलाने से आजतक न उनका कल्याण हुआ और न देश का कल्याण हुआ। जहां तक आर्थिक प्रश्न की बात है, इससे कल्याण हो सकता है, परन्तु मैं आपको बताऊं कि हरिजनों के हाथ में जो कारोबार थे, जो एक्सक्लूसिवली उनके कारोबार समझे जाते थे वे आज दुर्भाग्य से सवर्ण भाइयों के हाथ में चले गये हैं। और हरिजनों को कोई दूसरे व्यापार दिये भी नहीं गये। आज जिलों में अगर राशन की दूकान देने की बात होती है या कोयले की दूकान देने की बात होती है तो यह नारा लगाया जाता है कि आपको अनुभव नहीं है। बात ठीक है कि हरिजनों को पुराना अनुभव नहीं है क्योंकि उनको हमेशा से इन अधिकारों से वंचित रखा गया। तो एक तरफ उनके जो व्यापार थे उनको भी ले लिया गया और दूसरे व्यापार उनको दिये नहीं जाते इसलिये कि हमारा कोई तजुर्बा नहीं है। श्रीमन्, ठेकेदारी का कार्य कुछ वर्ष पहले अछूत लोग ही किया करते थे लेकिन वह काम भी आज उनसे हटता जा रहा है।

विभाग की ओर से जो मदद मिलती है, उदाहरण के लिये आगरे में कार्टेज इन्डस्ट्रीज के नाम से लोन दिया गया, जूते का काम करने वालों को ५०० रुपया लोन दिया गया तो एक चाक वाले को दो हजार रुपया दे दिया गया। आगरा वह जगह है, जहां पर जूते की इन्डस्ट्री है, लेदर की इन्डस्ट्री है, वहां से बाटा कम्पनी को भी जूते सप्लाई होते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर ग्रान्ट या लोन देते समय भी इस तरह की पक्षपात की भावना बरती जायगी तो किस प्रकार से प्रगति हो सकेगी।

जहां तक शिक्षा की बात है, इसमें शक नहीं कि इस सरकार ने नान-टेक्निकल इन्स्टीट्यूशन्स में शिक्षार्थियों को काफी मदद दी है, जिससे हरिजन विद्यार्थियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। लेकिन अगर टेक्निकल स्कूल जैसे रुड़की इंजीनियरिंग या एम० बी० बी० एस० के लिये भी उसी अनुपात से उनको वहां लिया जाय तो वास्तव में बड़ा कल्याण हो सकता है क्योंकि टेक्निकल के नाम पर आज हमारे विद्यार्थियों को नौकरी नहीं दी जाती है। एक बात और कहना चाहता हूं कि इस शिक्षा के नाम से जो रुपया है उसका बुरी तरह से दुरुपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिये मैं ईश्वर शरण आश्रम की बात कहता हूं। पिछली बार जब मैं इलाहाबाद गया तो मुझे बताया गया कि गवर्नमेंट लाखों की तादाद में वहां रुपया देती है। उसको साढ़े ६ लाख रुपया सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मिला है और यह सरकार २७ हजार रुपया हर साल देती है। मुझे यह भी पता चला है कि नान-रेकरिंग के तौर पर ८० हजार रुपया उस संस्था को यह सरकार और देने जा रही है। अगर उस संस्था को आप देखें, तो आपको पता चलेगा कि वह एक व्यापारिक संस्था है जिसने रुपया कमाने का एक साधन बना रखा है। आश्रम टाइप शिक्षा के नाम पर वह कुछ छात्र जरूर रख लेते हैं। लेकिन अगर आप उनकी दशा को देखें तो आपको घृणा होगी, ग्लानि और दुख होगा। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस बात पर विचार करेंगे और ८० हजार रुपया जो दिया जा रहा है वह दिया जाय या न दिया जाय, इसको भी सोचेंगे।

एक दूसरी संस्था हरिजन सेवक संघ है। आगरे में उसके प्रोग्रामों को देखने का मुझे मौका मिलता है। उसमें साल में एक बार चाय का आयोजन जरूर हो जाता है और एक आध बार सभा भी कर ली जाती है क्योंकि रुपया किसी न किसी तरह से खर्च करना होता है। फरवरी तक अगर रुपया खर्च न हुआ तो मार्च में रुपया खर्च करने के लिये कोई उपाय निकाले

जाते हैं। मैं नहीं समझता कि इन संस्थाओं को जो रुपया दिया जाता है, उसका वे संस्थायें ठीक प्रकार से उपयोग करती भी हैं या नहीं, इस चीज को हरिजन विभाग देखता भी है या नहीं। हरिजन विभाग को देखना चाहिये कि यह रुपया उस ढंग से खर्च हो जिससे हरिजनों को वास्तव में लाभ हो सके।

जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने बताया, आवास का प्रश्न एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज जो लोग हरिजन या शिड्यूल्ड कास्ट के कहलाते हैं, वे हजारों वर्षों से पिछड़े हुए हैं और आज भी उनके मकान नालों के किनारे दिखायी देते हैं। मैं शिकायत के तौर पर नहीं कहता लेकिन शरणार्थी जिनको आप पुरुषार्थी कहते हैं, उनके लिये आपने यू० पी० में ही नहीं सारे भारत में अनेकानेक कालोनीज बनायीं। परन्तु मुझे खेद है कि आपके बीच में ही जो वर्ग हजारों वर्ष से पिछड़ा हुआ था उसका आपने कोई खयाल नहीं किया। यू० पी० में जिसमें ५२ जिले हैं, उसमें कोई भी शहर या जिला ऐसा नहीं है जहां उनके लिये कोई एक कालोनी भी बनायी गयी हो। इसके विपरीत मैं तो देखता हूं कि इम्प्रूवमेंट के नाम पर हरिजनों की जमीन ली जाती है। कल ही मुझे पता लगा कि कानपुर में नवाबगंज में इम्प्रूवमेंट के नाम पर हरिजनों की जमीन ली गयी है। यही चीज आगरे में भी होती है और यही अनेक जगहों पर होती है। एक तरफ तो आप उनके आवास का प्रबन्ध नहीं करते दूसरी ओर आप अगर वह अच्छे स्थानों पर बसा भी हुआ है तो उसको उससे छीन लेते हैं, इम्प्रूवमेंट के नाम पर, स्लम क्लीयरेंस के नाम पर। स्लम्स और भी बहुत से स्थानों पर हैं, उनको आप ठीक क्यों नहीं करते?

माननीय नेता विरोधी दल ने ठीक ही कहा, हरिजनों को सर्विसेज में लाने से हमारा मतलब केवल यही नहीं है कि उनकी आर्थिक हालत सुधरे बल्कि उससे उनकी सामाजिक स्थिति बदलती है, उनका रहन-सहन बदलता है, जिसका समाज के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव होता है। यदि आप उनकी संख्या १८ प्रतिशत सर्विसेज में कर देते हैं तो वास्तव में उनका बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है।

पुलिस की नौकरी एक ऐसी नौकरी है जिसको अछूत नौकरी कह सकते हैं। उसमें हमारा १८ प्रतिशत का अनुपात आसानी से किया जा सकता है। मेरा ऐसा विश्वास है कि यदि सिपाहियों में ही उनको स्थान दिया जाय तो वह समय दूर नहीं है जब कि उनमें बराबर की भावना आयेगी और वे अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठा सकेंगे।

अन्त में एक बात और मैं कह देना चाहता हूं वह यह कि जब हमने राजनैतिक दृष्टि से कई पुस्तकों को, जो देश के लिये घातक थीं, जब्त कर लिया तो फिर क्या कारण है कि दूसरे प्रकार की पुस्तकें जब्त नहीं की जा सकतीं। गतवर्ष एक माननीय सदस्य ने यहां पर एक पुस्तक को फाड़ा था, मैं उस विचारधारा का तो नहीं हूं, परन्तु एक बात जरूर चाहूंगा, माननीय सदस्यों से और विशेष रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा, कि ऐसी पुस्तकें हैं जिनका धर्म के आधार पर दुरुपयोग किया जाता है, जैसे मनुस्मृति और रामायण, जिनमें यह लिखा हुआ है—

"स्त्री शूद्रनाधीयाताम्"

"ढोल गंवार शूद्र पशु नारी।"

इसके अलावा शंबुक की कथा। इस तरह की बहुत सी पुस्तकें हैं जिनमें यहां तक लिखा है कि अगर कोई शूद्र वेद वाक्य सुन ले तो उसके कान में सीसा डाल दिया जाय। तो फिर कोई कारण समझ में नहीं आता कि इस प्रकार के ग्रन्थों को अथवा उनके ऐसे अंशों को क्यों न हटाया जाय। जब तक ऐसी पुस्तकों में ऐसी बातें रहेंगी तब तक हरिजनों का उद्धार हो सकना संभव नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस अनुदान पर बहस हो रही है वह निश्चय ही बहुत महत्वपूर्ण अनुदान है। यही कारण है कि इस अनुदान

[श्री राजनारायण]

पर बोलने के लिये और अपनी सम्मति प्रकट करने के लिये ही कानपुर से दाम बांधो आवश्यक सम्मेलन छोड़ कर मैं यहां आया हूं। श्रीमन्, अभी तक इस सदन में जितने भाषण सुनने को मिले उनको सुनने के बाद मैं इस आधार पर पहुंच रहा हूं कि जो बुनियादी रोग है, जो इस समस्या का सच्चा समाधान है उस बुनियादी रोग को अभी तक समझा ही नहीं गया है। हरिजन अनुदान में लाख, दो लाख रुपया घट जाय या लाख, दो लाख रुपया बढ़ जाय, आज केवल यही प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न आज की सामाजिक विषमता को मिटाने से सम्बन्धित है। हजारों वर्षों का पुराना प्रश्न है। कम से कम भारतवर्ष में ५ हजार वर्षों से समाज ऐसे वर्गों में बंटा हुआ है जिसमें कुछ लोग तो यह मान लिये गये हैं कि यह हमारी सेवा करने के लिये हैं, यह धन पैदा करने के लिये हैं और अन्य लोग केवल खाने के लिये हैं। वह लोग जो समाज में सेवा करने के लिये माने गये, कमाने के लिये माने गये उनको आज हरिजन और पिछड़ी जातियों के नाम से सम्बोधित किया जाता है और जो अपना कर्तव्य केवल खाना और दूसरों की कमाई का शोषण करना मानते हैं वे आज द्विज के नाम से माने जाते हैं। मैं आज अपने उन दोस्तों से कहना चाहता हूं जो आज हरिजनोद्धार की बहुत चर्चा किया करते हैं कि जब तक मनुष्य, मनुष्य में बराबरी का संदेश घर घर में और गांव गांव में नहीं पहुंचेगा तब तक उपनिषद् का वह श्लोक "समान प्रसवा जातिह" अपना मूर्ति मान स्वरूप नहीं ग्रहण करेगा, तब तक सही माने में इस समस्या का समाधान नहीं होगा। 'समान प्रसवा जातिह" हर जन-जन के हृदय में, हर इन्सान के हृदय में यह मंत्र हमेशा के लिये नहीं आयेगा जिसका अर्थ यह है कि जो एक समाज पैदा हो वह एक जाति का है, तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता। मनुष्य-मनुष्य को पैदा करता है चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे वह चमार हो, चाहे वह क्षत्रिय हो, चाहे वह अहीर हो और चाहे कुरमी हो, एक स्त्री और एक पुरुष अगर इनका सम्भोग होगा और गर्भ रहेगा तो इन्सान पैदा होगा घोड़ा, हाथी या बन्दर नहीं पैदा होगा और इसीलिये मनुष्य एक जाति है। मैं आज जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अन्तर्गत कितने लोग इस सिद्धांत को पूर्णतया मानते हैं? कहने के लिये लम्बी चौड़ी बातें की जाती हैं और माननीय गुप्ता जी भी आ गये वे अवश्य आज लम्बी चौड़ी बातें हांकने में अपने बराबर किसी को नहीं रखते, कल कानपुर में लम्बी चौड़ी हांक आये कि हम लोग मजदूरों के लिये वही कानून बनाते हैं जो मिल मालिकों के लिये। जो सरकार मिल मालिकों और मजदूरों को एक स्तर पर रखेगी तो वह देश को नष्ट करेगी देश का उद्धार नहीं करेगी। तो वह आ गये हैं वह भी सुनें।

मैं कहना चाहता हूं कि हमारे वह माननीय सदस्य जरा सुन लें जो अपने को हरिजन कहते हैं। इस मुल्क ने गौतम बुद्ध को पैदा किया और इसी मुल्क ने गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को समाप्त भी कर दिया। वाराणसी में लाखों रुपया खर्च करके गौतम बुद्ध की २५सौवीं वर्ष जयन्ती मनाई गयी। चले जाइये देवरिया और कसिया में। जो गौतम बुद्ध की मूर्ति वहां रखी गई है वहां लोग क्या करने जाते हैं। पूजा करने जाते हैं लेकिन वहां राम जय जय और हनुमान जय-जय का नारा लगाते हैं और यहां आकर सदन में गौतम बुद्ध की बातें करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि गौतम बुद्ध ने जो 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का संदेश दिया था उसका प्रचार करने के लिये यह कांग्रेस सरकार क्या कर रही है? आज तक कोई प्रयत्न नहीं हुआ। यही वह गौतम बुद्ध हैं जिन्होंने अपने सन्देश में वर्णों का, ऊंच-नीच का भेद भाव नहीं आने दिया और जब उनके शिष्य ने उनसे पूछा कि तमाम मनुष्य तो एक हैं लेकिन हम तो चातुवर्ण्य के सिद्धान्त को मानते हैं तो बुद्ध जी ने उनसे कहा था कि नहीं यह गलत है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई हो, एक स्त्री और एक पुरुष अगर आप इनका सम्भोग करेंगे और बच्चा उनके रजवीर्य के संगम से पैदा होगा तो इंसान पैदा होगा। कोई भेद भाव नहीं है। तो मैं कहता हूं कि यही एक पार्टी है-सोशलिस्ट पार्टी-जो इस बात को मानती है कि समानता इंसान-इंसान के अन्दर होनी चाहिये।

(इस समय ४ बजकर २ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

अभी एक जाति प्रथा विनाशक संघ का सम्मेलन पटना में हुआ था और उसमें माननीय जय प्रकाश नारायण जी से लेकर अन्य दूसरे सभी लोग ने इस सम्मेलन में भाग लिया। अब इस सम्मेलन को जो लोग आयोजित करते हैं वे लोगों में इस धारा को प्रवाहित करते हैं कि मनुष्य में न कोई छोटा है और न कोई बड़ा है, जिसने यह सिखाया है कि द्विजों को बड़प्पन का भाव और हरिजनों को अपने में से हीन भाव को निकालना होगा तब जाकर सम समाज बनेगा। इस वातावरण को प्रसारित करने वाले जो लोग हैं वही लोग हरिजनोद्धार कर पायेंगे और जो लोग धुप्पल करने वाले हैं, हरिजनों के नाम पर वे हरिजनों का उद्धार नहीं कर पायेंगे। अब मैं जरा आंकड़ों में जाना चाहता हूं। सभी जानते हैं कि हम अल्प मत में हैं। सन् १९५२ से एक–एक कानून को देखा जाय। जमीन्दारी उन्मूलन कानून का संशोधन आया तो सोशलिस्ट पार्टी की ओर से संशोधन पेश किया गया कि जमीन जो ऊसर, परती, बंजर, तराई भावर की है वह पहले हरिजनों को दी जाय, खेतिहर मजदूरों और भूमिहीनों को दी जाय, हमारे संशोधन में लिखा हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसे ठुकरा दिया। मैं जानना चाहता हूं कि यह संशोधन हरिजनों के लिये हितकारी था या अहितकारी था? और आज दम्भ के साथ कांग्रेस पार्टी के लोग हरिजनों के उत्थान की बात करते हैं।

पंचायतराज का विधेयक आया, हमने संशोधन रखा कि जो लोग छुआछूत का भाव मानें उनके लिएप्रतिबन्ध किया जाय कि वे चुनाव में भाग न लेने पावें, कमेटी में न बैठने पावें, सदर न बनने पावें। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने बहुमत से उसे ठुकरा दिया और वह कहते हैं कि हम हरिजनों का उत्थान कर रहे हैं और तुम पतन कर रहे हो।

श्रीमन्, आप साक्षी हैं। वाराणसी के विश्वनाथ मन्दिर के बारे में हमने बार-बार चेतावनी दी थी कि विश्वनाथ ब्राह्मणनाथ नहीं हैं, विश्वनाथ हैं और हरिजन भी विश्व में हैं, अगर वह वहाँ जाकर पूजा करना चाहता है तो उसको अधिकार होना चाहिये। सरकार ने कहा कि हम नहीं कर पायेंगे, तो हमें जेल जाना पड़ा, हरिजनों को साथ लेकर विश्वनाथ मन्दिर में प्रवेश करना पड़ा और यहां पर कानून बनवाना पड़ा कि हरिजनों को मन्दिर में प्रवेश का अधिकार है। यद्यपि कानून केंद्र का था लेकिन डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी कहते थे कि वह कानून यह अधिकार नहीं देता, केवल रोकने वालों को दंडित करता है, मगर हम अब यह अधिकार देते हैं। तो आज ट्रेजरी बैंचेज वाले किस मुंह से कहते हैं कि हम बड़ प्रगतिशील हैं और तुम बड़े विनाशकारी हो?

चित्रकूट में जो रामायण मेला लग रहा है उस सम्बन्ध में भी कुछ बातें हुईं। सही मानों में वह मेला लग रहा है और उसके लगाने वालों में मैं भी हूं। मगर किस लिये? इसको जरा समझ लीजिये। आप किताब का एक पन्ना फाड़ दें तो आप पन्ना फाड़ कर वह धारा नहीं बहा सकते। आज दुनिया के विभिन्न मुल्कों में राम के विभिन्न रूप प्रचलित हैं, उन सब का अध्ययन किया जाय और समस्या का समाधान निकाला जाय। जो तुलसीकृत रामायण है वही राम की पूर्ण चर्चा नहीं है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न रूप से राम को चित्रित किया गया है। इन तमाम चीजों को देखा जाय तो मालूम हो जायगा कि तुलसीदास की रामायण पूर्ण नहीं है बल्कि अपूर्ण है, कुछ कपोलकल्पित भी है। हम यह भी कहते हैं कि मोती को चुनो और कूड़े को हटाओ। रामायण में मोती भी हैं और कूड़ा भी है। 'बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई।' यह चौपाई भी उसमें है। हम चाहते हैं कि सब उसको हृदयंगम करें और जो विषमता हो उसे दूर करें। इसी तरह से 'जाति पाति पूछै नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई' यह भी चौपाई है। ईश्वर के यहां सब बराबर हैं। अगर आप गीता को पढ़ें तो उसमें भी है 'विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी, शुनि चेव श्वापाकेच पंडिता समदर्शिनः।' विद्या विनय से सम्पन्न ब्राह्मण हो, गऊ हो, हाथी हो, कुत्ता हो, चांडाल हो, सबमें बराबर दर्शन करो। आज यह श्लोक इस बात के लिये प्रेरणा देता है कि न ब्राह्मण बड़ा है और न हरिजन छोटा है।

[श्री राजनारायण]

हमने इसी सदन में कहा कि आज जो कांग्रेस के मन्त्रिगण हैं वह क्यों नहीं ऐसा करते कि उनके घर की लड़कियों की शादी हरिजनों से हो। हम तैयार हैं। अगर हमारे लड़की हो तो हम तयार ह कि हरिजन के साथ शादी हो और बार-बार कहते हैं.....

एक सदस्य---लड़की है?

श्री राजनारायण---नहीं है। लेकिन अगर हो तो मेरे मन में एक सेकिंड के लिये भी यह झिझक नहीं हो सकती कि हरिजन छोटा है इसलिये वहां शादी नहीं करनी चाहिये। श्रीमन्, केवल इस शब्द के कहने से हमसे जो एक बड़े भाई थे वह डंडा लेकर उठ गये थे, कहते थे कि जब तुम्हारे मुंह से निकल गया तो समझो हो गया, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगा। यह हम सब भोग चुके हैं, उस पर भी कहते हैं वे साथी जो सत्ताधारी पार्टी के साथ हैं उनको तो कुछ शर्म खानी चाहिये।

मैं यह कहना चाहता हूं मूल रूप में, कि आज हमको हवा बहानी है, वह ज्योति प्रदान करनी है जिसमें जाति-पांति के बन्धन टूटें? यह बन्धन तोड़ने के लिये हम प्रयत्नशील और सतत प्रयत्नशील हैं। इसलिये भी देखेंगे कि पार्टियों का संगठन हमारा कैसा है। सदर कौन है आल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी का? भील नेता। सेक्रेटरी धनिक लाल मंडल यादव। है किसी दूसरी पार्टी में? हमारे प्रदेश की पार्लियामेंटरी कमेटी को देखा जाय। माननीय रामसेवक यादव उसके अध्यक्ष और माननीय रामस्वरूप वर्मा जी सेक्रेटरी। सारी पार्टी में हरिजनों और पिछड़ी जातियों का बहुमत है, औरत, मुसलमान सबका प्रतिनिधित्व है.....

श्री अध्यक्ष---पार्टी का प्रोपेगेंडा न कीजिये।

श्री राजनारायण---बहुत हल्ला किया था लोगों ने इसलिये मैं कह रहा हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, चूंकि आपकी अनुपस्थिति में चर्चा चल गई थी। माननीय त्रिलोकीसिंह जी की पार्टी ने १९५२ के चुनाव में हरिजन को खड़ा किया था। हमने १९५७ के चुनाव में क्या मुगलसराय से उम्मीदवार नहीं खड़ा किया?

माननीय सम्पूर्णानन्द जी की चिट्ठी हमारे पास है, जब हरिजन मन्दिर प्रवेश की चर्चा चली थी तो उस पत्र में उन्होंने तीन बातें लिखीं। भारतीय नागरिक, उत्तर प्रदेश में प्रशासक और काशी के नागरिक होने के नाते जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आती है उसका निर्वाह करूंगा। हमने कहा कि भारतीय नागरिक और काशी के नागरिक में क्या विभेद है? दोनों एक ही हैं। अन्त में यहां तक कहा कि हरिजन मन्दिर प्रवेश के नाते हिन्दू धर्म की पद्धति को तोड़ना है, मैं इसको नहीं मानूंगा।

भारतीय संविधान की बात हो रही है। क्या हम नहीं जानते कि काशी में नदेशर की कोठी में ब्राह्मण के पैर धोये गये भारत के राष्ट्रपति द्वारा? यह लोग, मेरा मतलब कांग्रेस से है, हरिजनों का उत्थान करना चाहते हैं? ४५ लाख रुपया कम कर दिया और उत्थान की बात कर रहे हैं?

अगर सरकार वास्तव में चाहती है हरिजन कल्याण करना, अगर प्रोपेगेन्डा नहीं करना चाहती, प्रोपेगेंडा करने में माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी बहुत माहिर हैं, माननीय मुख्य मन्त्री के रूप में उनके पास आज शक्ति है, सत्ता है, तो मैं सुझाव के रूप में कुछ बातें कहना चाहता हूं। जो सरकार ने नौकरियों के लिये सुरक्षा की है १८ प्रतिशत की, इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जब तक हरिजन उम्मीदवार न मिले तब तक वह जगहें न भरी जायं, खाली रखी जायं। जो नियुक्ति अधिकारी हैं वे प्रतिवर्ष एक नक्शा बनायें कि इतनी जगहें हमको भरनी थीं और इतने प्रार्थना-पत्र आये और इतने लोगों को लिया, और

लोगों को न लेने का क्या कारण है, इन सब कारणों की जांच करने के लिये एक हाई लेविल कमेटी बनाई जाय जो देखे कि नियुक्ति प्राधिकारी सही माने में इस काम को कर रहा है कि नहीं ।

इसके अतिरिक्त मैं यह चाहता हूं कि जो हरिजनों के लिये सुरक्षित सीटें हैं अगर उपयुक्त हरिजन न मिले तो बैकवर्ड क्लासेज के लोग लिये जायें। ऐसा न हो कि उन जगहों पर सरकारी कर्मचारियों के रिश्तेदार रख लिये जायें। यह सरकार प्रतिबन्ध लगाये। इस के बाद तो सुरक्षा है, एक गारन्टी कुछ लोगों को सीट की दी जाती है जिस पर मैं प्रतिबन्ध लगाना चाहता हूं और अगर यह प्रतिबन्ध लग जाये तो हरिजनों को सीट निश्चित रूप में मिल जायगी। वह प्रतिबन्ध यह है कि इतने प्रतिशत से ज्यादा द्विजों के लड़के नौकरियों में नहीं लिये जायेंगे। अगर ऐसा हो गया तो अपने आप हरिजनों की सुरक्षा हो जाती है। उसी के साथ-साथ श्रीमन, मैं यह चाहता हूं, जैसा कि माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने कहा कि आज हरिजनों के पास घर की कमी है, पीने के पानी की कमी है, अन्न की कमी है, तो इसका दोषी कौन है ? इसका पाप हमारे ऊपर है, इसका पाप माननीय चन्द्रभानु गुप्त के ऊपर है, इस समाज पर है जिसने समाज के ८५ फीसदी लोगों को पिछड़ा बना कर रखा है। इस लिये उसके उत्थान के लिये जितनी भी रकम की जरूरत हो उसको लेकर खर्च किया जाना चाहिये। मगर एक बात उनके लिये मैं चाहता हूं कि जो उनके लिये जगह नौकरी म ह वे लिखित परीक्षा में तो पास हो जाते हैं मगर जब साक्षात्कार के लिये जाते हैं तो कहीं कुर्ता का यह मुड़ा है, कहीं वह मुड़ा है, वे कुछ हीन भाव ग्रस्त सा हो जाते हैं और इसलिये इन्टरव्यू में वे फेल कर दिये जाते हैं और उसके नम्बरों को जोड़ कर वे नहीं लिये जाते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो हरिजन लिखित टेस्ट में पास हों उनको इन्टरव्यू के लिये नहीं जाना चाहिये और उनको मनोनीत कर देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—समय समाप्त।

***श्री अब्दुल लतीफ नोमानी** (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, आज बजट का जो हिस्सा पेश है, उस पर चन्द लफ्जों में मैं अपने खयालात को जाहिर करना चाहता हूं और मैंने अपने खयालात का इजहार इस सिलसिले में इसलिये जरूरी समझा कि मैं दो लिहाज से बैकवर्ड हूं। एक तो मैं मोमिन अन्सार बिरादरी का आदमी हूं और दूसरे मुसलमान हूं। यह दो हैसियतें मेरी बैकवर्ड और पिछड़े होने की हैं। लिहाजा जरूरी समझा मैंने कि इस सिलसिले में मैं अपने खयालात बहुत मुख्तसर लफ्जों में सदन के सामने रखूं।

श्रीमन्, हमारे देश में बैकवर्ड और हरिजनों का जो मसला है काश वह इन लफ्जों के साथ सदन में न आता कि यह हरिजन कल्याण का मसला है या बैकवर्ड क्लासेज के सुधार का मसला है। यह तो पूरे समाज के सुधार का मसला है। इसलिये कि सन ५१ की मर्दुमशुमारी के लिहाज से हमारे सूबे में ५४ फीसदी पिछड़े वर्ग के लोग हैं और तकरीबन २५ फीसदी हरिजन वर्ग के लोग हैं। इसलिये मिलजुल कर लगभग ८० फीसदी आदमी हो जाते हैं इन दोनों वर्गों के। तो पूरा समाज ही पिछड़ा हुआ है और जब हम इनकी तरक्की के मसले को सोचते हैं तो असल में पूरे समाज की तरक्की और उन्नति की बात सोचते हैं। इसलिये जरूरी है कि पूरी तवज्जह के साथ इस मसले पर विचार किया जाय।

मैं सरकार को, कांग्रेस को और अपने देश के नेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं, दिली मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस देश को जो हजारहा हजार बरस से वर्णों वर्णों में बंटा हुआ था, ऊंच नीच के भेदभाव में पड़ा हुआ था, एक रास्ता दिखाया जिससे हरिजनों और पिछड़े लोगों को तरक्की की बात एक कौमी मसला बन गया। इसको इस लिहाज से न देखना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अब्दुल लतीफ नोमानी]

चाहिये कि गवर्नमेन्ट ने पिछड़े वर्ग या हरिजनों के सुधार के लिये रकम कितनी रखी है। देखना तो यह था कि उसने एक ऐसा रास्ता खोला जो सचमुच एक इंकलाबी रास्ता है। इस मुल्क में कोई सोच सकता था कि हरिजन उद्धार का काम हो सकता है अगर गांधी जी न पैदा हुये होते? इस मुल्क में कोई सोच सकता था कि ऊंच-नीच का भेदभाव मिट जायगा अगर कांग्रेस ने इस प्रोग्राम को न अपनाया होता? इस लिहाज से जो लोग इस बात की ताईद करते हैं वे सब मुबारकबाद और बधाई के पात्र हैं।

एक बात मैं सिर्फ गुजारिश करना चाहता हूं। यह सही है जैसा कि नेता विरोधी दल ने फरमाया कि इस शोबे में जो रकम रखी गयी है वह बहुत थोड़ी है। एक बात मुझे भी इस सिलसिले में उनकी ताईद में कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि पिछड़ा वर्ग जिसकी जन संख्या मैंने बतायी। ५४ फी सदी है, उसके तालिबइल्मों के लिये, उसके पढ़ने वालों के लिये गुजिश्ता साल तक ११ लाख रुपये की रकम रखी गई थी, जिसको घटा कर इस साल ९ लाख कर दिया गया है। मुझे रकम की कमोबेशी से वास्ता नहीं है लेकिन इतना जरूर गुजारिश करना चाहता हूं कि इस कमी को देखकर हमारे सूबे के हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोगों में एक तरह का असन्तोष फैल रहा है। जिले के बैकवर्ड क्लास की तन्जीमों से खतूत आ रहे ह। इससे हम कहने के लिये मजबूर हैं कि दो लाख की रकम कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है लेकिन उसको घटाने से ५४ फीसदी लोगों में असन्तोष फैल रहा है और हो सकता है कि उस से विरोधी लोग फायदा उठाने की कोशिश करें। इसलिये गुजारिश करूंगा कि अगर यह बढ़ाई जा सके तो जरूर बढ़ाई जाय।

एक बात और अर्ज करनी है और वह यह है कि बहुत से भाइयों ने सरकारी नौकरियों में हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों की बात का जिक्र किया। मैं भी इसके बारे में दो अल्फाज कहना चाहता हूं। हमारे मुल्क में जैसा कि विरोधी दल के नेता ने कहा कि सरकारी नौकरियों में रहने वाले आदमियों का रुतबा समाज में ऊंचा हो जाता है और वह बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है। जिले में कलेक्टर, डिप्टी कलक्टर, और एस० पी० बगैरह दौरे में जाते हैं तो बड़े से बड़े आदमी झुककर उनको सलाम करते हैं। करना चाहिये या नहीं, यह मैं नहीं जानता लेकिन ऐसा होता है कि झुककर लोग सलाम करते हैं। यह बहुत ऊंचा स्थान है हमारे समाज में। जब तक हरिजनों के अनुपात के लिहाज से उनको सरकारी नौकरियां नहीं दी जाती हैं, तबतक मैं समझता हूं कि समाज के कल्याण करने में आप अपने को कामयाबी में शुमार नहीं कर सकते हैं। इस सिलसिले में मुझे गुजारिश करना है कि सरकारी नौकरियों में लोग पब्लिक सर्विस कमीशन से आते हैं और यह बात साफ जाहिर है कि उसमें बड़े ईमानदार लोग होते हैं और बड़ी निष्पक्षता से वह काम करते हैं, परन्तु हरिजनों को कुछ असन्तोष है। अगर उसमें हरिजनों की और पिछड़े वर्ग के लोगों की नुमायन्दगी हो जाय और उनके लोग भी उसमें आ जायें तो बड़ा इत्मीनान और एतमाद पैदा हो जायगा और बड़ी अच्छी बात होगी। मुझे इतना ही गुजारिश करना था।

श्री विश्रामराय--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कटौती के प्रस्ताव पर करीब २०-२२ आदमियों ने वादविवाद में भाग लिया और उसमें कुछ भाई ऐसे थे जिन्होंने मन्त्री जी के अनुदान का हार्दिक समर्थन किया और घुमाफिरा कर कटौती के प्रस्ताव का भी समर्थन किया। आखिरी वक्ता माननीय अब्दुल लतीफ नोमानी ने कहा कि रुपये पैसे की कमी का कोई सवाल नहीं है लेकिन घुमा-फिरा कर यह कह दिया कि बजट में रकम की कमी है। अब घुमाफिरा कर कहने से क्या फायदा है। साफ कहना चाहिये कि और रकम मिलनी चाहिये। आगे उन्होंने यह भी कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के आदमी बड़े ईमानदार हैं तो फिर उनके रिप्रेजेन्टेशन की क्या जरूरत है। उन्हें साफ कहना चाहिये था कि उनके काम से असं-

न्तोष है नहीं तो फिर इनके रिप्रेजेन्टेशन की बात कहना बेकार है। जब हरिजनों का अनुदान होता है तो यह परिपाटी रही है और "वसुधैव कुटुम्बकम्" की बात कही जाती है। हिन्दुस्तान में जितने लोग आते हैं सब सरेंडर कर जाते हैं और फिर बड़ा मुकाबला करना पड़ता है। बैकवर्ड क्लासेज कमीशन ने भी यह बात तसलीम की है। यह समस्या राष्ट्रीय समस्या है और इसलिये दत्तचित हो कर इसका मुकाबला करना चाहिये।

एक भाई ने कहा कि शरणार्थियों के लिये इतने मकान बन गये, लेकिन जो हजारों वर्ष से शरणार्थी हैं, उनके लिये सरकार बड़े पैमाने पर कार्य क्यों नहीं करती? मैं उनसे सहमत हूं। सरकार को एक बड़ा कदम उठाना चाहिये और खासकर दुर्बल लोगों को उठाना है तो काफी रकम रखनी होगी और कौन चीज पहले हो उसके लिये ज्यादा ध्यान देना होगा। थोड़े से वजीफे बांटने और कुछ ऐसे ही काम करने से काम नहीं चलता।

एक बात कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने कही कि जो कुछ विकास में होता है, क्या सड़कों पर हरिजन नहीं चलते, बैकवर्ड नहीं चलते? क्या वे ट्यूबवेल से पानी नहीं लेते हैं? लेकिन क्या अस्पतालों से फायदा वे नहीं उठाते हैं? इन गरीबों का अधिकांश भाग देहातों में रहता है। अधिकांश हरिजनों के पास खेत भी नहीं हैं। जिसके पास खेत नहीं हैं, वह क्या करेगा ट्यूबवेल का? क्या वह ट्यूबवेल की बिजली से अपने को सेंकेगा? असली चीज यह है कि साधन हों, तब उसका लाभ उठाया जाय। इसलिये उनको पहले जमीन दी जाय, काम धन्धा दिया जाय, असली चीज यह है। बहुत से सदस्यों ने कुटीर उद्योगों को और उद्योग धन्धों को बढ़ाने के लिये कहा। बड़ा अच्छा सजेशन है।

जहां तक नौकरियों का सवाल है, माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि नौकरी बड़ी निकृष्ट चीज है। निकृष्ट थी लेकिन आज ये नौकरियां पोलिटिकल इनफ्लुएन्स का काम करती हैं। इससे उनके हाथ में राजनीतिक सत्ता आती है। ऐसी मेंटेलिटी के अफसर ह कि वह हरिजन और पिछड़े लोगों के साथ न्याय नहीं करते। इस लिये गोविन्द सहाय जी कहा करते हैं कि सर्विसेज का आउटलुक बदलना चाहिये। जब तक आउटलुक नहीं बदलेगा तब तक न्याय भी नहीं हो सकता। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री चद्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े ध्यान से वे आलोचनायें जो इस अनुदान के संबंध में माननीय सदस्यों ने इस सदन में प्रस्तुत की, सुनीं। जो आलोचनाएं प्रस्तुत की गयीं उनमें से कुछ अवश्य ऐसी हैं जो अपनी जगह पर सत्य हैं और स्वाभाविक भी हैं क्योंकि जिस वर्ग के लोग सदियों से अपने अधिकारों से वंचित रहे हों, और जिन्हें समाज से वह मानवीय बर्ताव न प्रदान किये गये हों, तो उनके लिये स्वाभाविक है कि वे अपना रोष प्रगट करें उन परिस्थितियों के प्रति जिनकी तहत में स्वत: वे या उनके घर वाले या उनके पड़ोसी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यह बात निर्विवाद है कि समाज में हरिजन भाइयों के प्रति वह बर्ताव नहीं बरता गया जो कि उनके प्रति बरतना चाहिए था। परन्तु यह फूट तो सदियों से हमारे बीच में फैलती रही और विदेशी शासन काल में उसने और भी जोर पकड़ लिया और उन पद-दलित समाज के अंगों को उभारने और उठाने का मौका प्रदान नहीं किया।

जहां तक उन सदस्यों का संबंध है जिन्होंने कमियों और कमजोरियों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया, मैं ऐसा मानता हूं कि उन्होंने एक वास्तविक स्थिति को जिसे वे अपनी नजर से देखते हैं, रखने का प्रयास किया। उनकी बहुत सी मांगों से मुझे पूरी सहानुभूति है और उस सहानुभूति के अन्तर्गत ही यह अनुदान जो मैंने आज सदन के समक्ष प्रस्तुत कराया है, वह उसी दिशा में हमें ले जाने वाला है जिधर माननीय सदस्यगण हरिजन लोगों को ले जाने की आकांक्षा रखते हैं। यह सही है कि उसका कदम उतना तेज न हो जितना तेज कदम वह रखना चाहते हैं लेकिन आज उस कदम के संबध में यदि यह कहा जाय कि सरकार उधर चलना नहीं चाहती है, उसकी ख्वाहिश नहीं है, सही नहीं है। इतने लम्बे चौड़े बजट में बहुत कम

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

धनराशि उन कार्यों के सम्पादन के लिये रख रहे हैं जिन कार्यों की पूर्ति उन्हें इस समाज के पिछड़े अंग को उठाने के लिये रखनी चाहिये। मुझे दुख इस बात का होता है जब इस प्रश्न को और इसके हल को एक राजनैतिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की जाती है ।

माननीय विरोधीदल के नेता ने और समाजवादी दल के नेता ने उसको एक राजनीति का रूप दे दिया और उसको उस राजनीति के चश्मे से देखने की कोशिश की । उन्होंने यह दावा प्रस्तुत करने की चेष्टा की कि वे और उनके दल हरिजन भाइयों के उत्थान के लिये प्रयत्नशील हैं और वे उनको ऊंचा स्थान देना चाहते हैं । यह दल और इसके प्रतिनिधिगण अपना ध्यान उस तरफ नहीं देते हैं । आखिर यह कौन नहीं जानता कि कांग्रेस संगठन ने हरिजन साथियों के और हरिजन भाइयों के उत्थान के लिये क्रान्तिकारी कार्य किये हैं बिना उस साधनों को उपयोग में लाये हुये जो साधन इस प्रकार के क्रान्तिकारी कार्य करने के लिये कभी-कभी देश में ज्यादा आवश्यकीय हुये हैं ? यहां हमने और इस दल ने इस देश के समाज में नई चेतना पैदा करके वह विचारधारा समाज में पैदा की जिस विचारधारा के तहत में एक भारी परिवर्तन लोगों के विचारों में, लोगों के सोचने में पैदा हुआ । उस विचारधारा में परिवर्तन किसी एक जबरदस्त कानून बनाने के द्वारा नहीं हुआ बल्कि उन भाइयों के प्रयास के द्वारा हुआ जो उस दल के महान् नेता गान्धी जी ने उनके अन्दर पैदा किया । आखिर यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि ३०, ४० वर्ष से कांग्रेस दल ही देश के सार्वजनिक जीवन में सबसे बड़ा दल रहा है और इसी दल को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त रहा है और उसी दल ने कांस्टीट्यूएन्ट असेम्बली के द्वारा अपनी नीतियों की घोषणा जहां तक हरिजनों के उत्थान और उन्नति की थी, की थी। तभी हरिजनों को बराबरी का हक प्रत्येक राजनैतिक क्षेत्र में प्रदान कराने के लिये कानून बनाये गये । क्या वह नई विचार धारा उस कांग्रेस दल के द्वारा नहीं चलाई गई जिसका नेतृत्व देश के अन्दर गांधी जी ने किया था ? क्या वह विचारधारा उन दलों के द्वारा पैदा की गई जो आज और दलों से अगुवा बनने की चेष्टा करते हैं और इस बात को साबित करना चाहते हैं कि वे ही सच्चे माने में हरिजनों के हित की रक्षा करने वाले हैं ? यह बात आज हम सबको तोलना है और आंकना और जांचना है कि क्या इसमें सत्यता है, क्या इसमें सार्थकता है और यदि नहीं है तो एक ऐसी बात कि जो सत्य से परे हो, उसे सदन में रखने की आवश्यकता नहीं ।

आज यह कहना कि हमने एक जनरल सीट से एक हरिजन को खड़ा कर दिया, कहां तक ठीक है । मैं जानना चाहता हूं कि आम चुनाव होते हैं, उप चुनाव होते हैं, हरिजनों की बहुत सी जगहें खाली होती हैं, आपके दल और दल के प्रतिनिधियों ने उनके लिये कितनी बार हरिजन प्रतिनिधियों को खड़ा करने की कोशिश की है ? जिस तर्क को वह इस्तेमाल करते हैं उसी का इस्तेमाल कर मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आम चुनाव और उप चुनावों में उन्होंने कितनी जगहों से हरिजन सदस्यों को खड़ा किया ? कहा जायगा कि खड़ा इसलिये नहीं किया कि उनके पास साधन नहीं थे, और अगर ऐसा है तो सवर्ण लोगों के लिये उनके पास साधन कहां से आ जाते हैं ? माननीय त्रिलोकी सिंह जी चुनाव में अपने सवर्ण साथियों को खड़ा करते हैं तो हरिजनों को क्यों नहीं खड़ा कर सकते ? क्यों नहीं माननीय राजनारायण जी उप चुनाव में और आम चुनाव में अपने हरिजन भाइयों को खड़ा करते हैं ? यदि कोई संस्था पूरी मात्रा में उन्हें अधिकार देने की चेष्टा करती है और उन्हें विजय दिलाना चाहती है तो वह कांग्रेस ही है, अन्य नहीं ।

उन्होंने कहा कि हमारे एक भाई हैं जो जनरल सीट से चुने गये हैं । आखिर उनका भी एक दल है, उनकी भी एक पार्टी है, उसकी एग्जीक्यूटिव है और उसमें विभिन्न स्थानों पर आफिस बियरर्स हैं । मैं जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे आफिस बियरर्स हैं हरिजन जिनको उन्होंने जगहें दे रखी हैं ? मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इस तरह के तर्क हमें आगे नहीं ले जाते हैं । यदि आज कांग्रेस ने इन हरिजनों को और उनके नेताओं को और उनमें कार्य करने वालों को जगह-जगह पर, ऊंचे स्थान पर बिठाने का प्रयास किया है तो क्या यह इस बात का द्योतक नहीं है कि यही देश में एक संस्था है जिसने हरिजनों का उत्थान करने का

प्रयास किया है, जिसने हरिजनों को ऊंचे स्थान पर बिठाया है ? यह कांग्रेस का दल और उसके नेतागण हैं कि जिन्होंने जीवनपर्यन्त हरिजनों के उत्थान में समय दिया, जीवन दिया और उस सिलसिले में भारी यातनायें भी सहीं । मैं इस दावे को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं । साथ ही यह दावा भी कांग्रेस की तरफ से या सरकार की तरफ से करने को तैयार नहीं हूं कि हरिजन भाइयों की सेवा में जो भी कार्य करने थे वह सब हमने कर लिये हैं । जब से कांग्रेस के दल ने यह कार्यभार अपने कंधों पर लिया, उत्तरोत्तर हमने इस कार्य में भारी प्रयास किया है । जिस विभाग में २५--३० लाख रुपये व्यय होता था, अब १७ करोड़ रुपया पांच साल में व्यय होने के लिये निर्णय लिया गया है और योजनाओं में इतनी-इतनी रकम रखी गयी है और यह वे रकमें हैं कि जो केवल हरिजन भाइयों के लिये व्यय होने वाली हैं ।

सुल्तानपुर के एक प्रतिनिधि ने उस बात का जिक्र किया जिसका जिक्र करना आवश्यक था । त्रिलोकी सिंह जी ने एक तर्क दिया था कि ५०० करोड़ का तो बजट है और उसमें केवल ८ करोड़ रुपया उनके लिये रखा गया है । वास्तव में उनके लिये १७ करोड़ रखा गया है, लेकिन उन्होंने ८ करोड़ ही कहा । केवल यह ८ करोड़--वास्तव में १७ करोड़--ही हरिजनों के उत्थान के लिये व्यय हो रहा हो ऐसी बात नहीं है । यह जो योजना है यह तो सारे देश के उत्थान के लिये है, सारे देश के लिये बनायी जा रही है, यदि उद्योग धंधे पनपाये जा रहे हैं, बिजली बनायी जा रही है, नहरें खोली जा रही हैं, ट्यूब वेल बनाये जा रहे हैं, तो क्या उनसे सारे प्रदेश का स्तर ऊंचा न होगा ? और जब सारे प्रदेश का स्तर उससे ऊंचा होने वाला है तो जो पिछड़े हुए हरिजन भाई हैं, क्या उनको उसका फायदा नहीं होगा ?

आज जिन लैंडलेस लेबरर्स के पास जमीन नहीं है, आज वह अपनी रोजी कैसे कमाते हैं? वह कुछ रोजगार तो पाते ही हैं, कहीं नौकरी जाकर करते हैं, कहीं सड़क बनाते हैं, कहीं इमारत बनाते हैं, कहीं कारखाने में जाकर काम करते हैं, तो ज्यों-ज्यों कारखाने अधिक बढ़ते जाते हैं, ज्यों-ज्यों सड़कों का निर्माण अधिक होता जाता है, ज्यों-ज्यों अधिक मकान बनते जाते हैं त्यों-त्यों उनको और रोजगार में लगाया जाता है । और यह बात भी छिपी नहीं रहनी चाहिए कि अपने प्रदेश में जितनी संख्या बढ़ती जा रही है उतनी ज्यादा लैंड उनमें बराबर-बराबर बांटने के लिए नहीं है और यदि हम बराबर-बराबर बांट भी दें तो क्या उससे प्रत्येक को जितनी आवश्यकता है अपनी आवश्यकता के अनुसार उस खेती से वह पैदावार उतनी कर सकेगा ? यदि लोगों के पास अनएकोनामिक लैंड है तो सारी खेती इस तरह से अनएकोनामिक हो जायगी और अनएकोनामिक चीज को कोई क्या बहुत जमाने तक चलाता रह सकता है ?

फिर प्राथमिकता की बात उठाई गई कि प्राथमिकता इस कार्य को देनी चाहिए थी । मैं मानता हूं कि बहुत से इसमें कार्य ऐसे हैं जिनको प्राथमिकता देनी चाहिये लेकिन आज प्राथमिकता तो अधिक उद्योगधंधों को लगाने के लिए होनी चाहिये जिससे कि अधिक लोगों को रोजगार मिल सके और इस तरह रोजगार पाने का हमारे सवर्ण भाइयों को और हरिजन भाइयों को, सबको मौका हो । आज जब उद्योगधंधे किसी क्षेत्र में विकसित होते हैं तब क्या उस दिशा में कार्य करने की ओर हम आगे बढ़ते नहीं हैं और द्वितीय पंच वर्षीय योजना में क्या हमने अधिक ध्यान बिजली की पैदावार की तरफ नहीं दिया है, अधिक ध्यान छोटे-छोटे घरेलू उद्योग धंधों की तरफ नहीं दिया है ? आज घरेलू उद्योग धंधों को पनपाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और उसके क्षेत्र को व्यापक बनाने की आवश्यकता है, लेकिन यह सभी बातें साधनों के ऊपर आश्रित हैं । जितने साधन उपलब्ध हुए हैं उनकी बुनियाद पर देखें तो हमने प्रदेश की जनता का ध्यान उद्योगधंधों की तरफ आमन्त्रित करने की काफी चेष्टा की है । हमने प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान इधर खींचा है कि वह आज उस दिशा में चलने की चेष्टा करे जिससे वह रोजगार पा सके । रोजगार पाने के बाद वह अपनी आमदनी बढ़ा सकता है और उससे अपने जीवन के स्तर को भी ऊंचा उठा सकता है । तभी तो हमने उद्योगधंधों को चलाने के

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

सिलसिले में आज उन नियमों में भी परिवर्तन कर दिया है जो नियम कि कुछ इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाये हुए थे कि जिनके पास साधन नहीं थे, मकान नहीं थे, वह यदि कोई कर्ज लेना चाहते थे उद्योगधंधों के लिए तो अब तक ऐसा था कि जब तक वह अपने मकान को मार्गेज न करें तब तक कर्जा नहीं ले सकते थे, लेकिन अब तो हमने ऐसी भी योजना बना ली है कि जिससे वह व्यक्ति जो दो हजार तक रकम उधार मांगेगा, वह अपने पर्सनल बांड पर उधार पा सकेगा और दो पर्सनल व्यक्तियों की सीक्योरिटी पर पा सकेगा तथा ५०० की रकम तो रिस्क लेकर भी देने की योजना बनायी है । यह इसीलिए तो किया है कि जिसको कर्ज की जरूरत है उद्योगधंधों में लगाने के लिए उसको कर्जा मिल सके और वह जिस उद्योग धंधे को खोलना चाहता है उसे खोल सके । फिर यह जो पालीटेकनिक्स और शिक्षा की संस्थायें, टेक्निकल शिक्षण केन्द्र आदि चलाये जा रहे हैं और जो नये स्थापित किये जा रहे हैं, इस अनुदान के अन्तर्गत भी और उद्योग धंधों के अनुदान के अन्तर्गत भी, जो हम यह चला रहे हैं वह भी तो हम इसी उद्देश्य से चला रहे हैं और उससे भी तो हम लोगों को इसी दिशा में ले जा रहे हैं। कितने हमने पालिटेकनिक्स जगह जगह पर बनाये हैं, कितने ही ट्रेनिंग सेंटर्स बनाये हैं जिससे पिछड़े हुए लोगों को उद्योग धंधों में लगाने की चेष्टा हम कर रहे हैं ।

मैं आज उस मनोवृत्ति का समर्थक नहीं हूं, जो मनोवृत्ति बाबू बनाने की तरफ हमें ले जाने की चेष्टा करती है । आज तो आवश्यकता है लोगों को अधिक से अधिक रोजगार में लगाने की और प्रदेश की आमदनी बढ़ाने की । यह बाबू बनाकर तो आमदनी नहीं बढ़ायी जा सकती है । आमदनी तो रोजगार से ही बढ़ सकती है । आज तो रोजगार में उनको लगाने की आवश्यकता है । और उसके लिए ऐसी शिक्षा लोगों को देनी है जिससे जो रोजगार उनके यहां सदियों से चला आता था उसको चलाने की क्षमता उनमें पैदा हो । कौन नहीं जानता कि बहुत से ऐसे रोजगार हैं जिनमें हरिजन भाई विशेषज्ञ हैं । जो रोजगार सदियों से उनके घरों में चला आता है, यदि उसको चलाने के लिए आधुनिक ढंग की शिक्षा उनको प्रदान कर दी जाय, आधुनिक तरीकों का प्रयोग उन्हें बता दिया जाय तो उससे क्या उन्हें अधिक रोजगार नहीं मिलेगा ? उससे क्या उनकी आमदनी नहीं बढ़ेगी ? और उससे क्या उनके घर को सुधारने और उनके भरण पोषण की समस्या को अधिक मात्रा में हल करने में आसानी नहीं होगी ? मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा दृष्टिकोण उस तरफ है जहां चल कर हम अधिक संख्या में लोगों को रोजगार दे सकें । पिछले दिन सामान्य प्रशासन से संबंधित अनुदान पर बहस का उत्तर देते हुये मैंने निवेदन किया था कि अभी तक हम क्लास वन की सर्विसेज में एक भी हरिजन भाई को नहीं ले पाये हैं । आपको मालूम है कि अभी हमको १०–१२ वर्षों का ही समय उनकी प्रगति करने का मिल सका है । अगर आप उनको एक इंजीनियर बनाना चाहते हैं, अगर आप उनको डाक्टर बनाना चाहते हैं, यदि आप उनमें किसी अनुसंधान या सर्वेक्षण करने की क्षमता लाना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए उनको १०–१५ साल पढ़ने के लिये चाहिये ? कोई फूंक मारते ही वह डाक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकते । उसके लिये काफी समय चाहिये ।

माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने प्राथमिकता की बात कही, मैं यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हमारे प्रदेश में स्टील का कारखाना खुलता है, यदि सीमेंट की फैक्टरी खुलती है, या हम कोयले का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या उससे उन लोगों को उनमें नौकरियां नहीं मिलेंगी, क्या उनको उससे लाभ नहीं होगा ? क्या उनको उनमें नौकरी दिलाने की नयी व्यवस्था नहीं हो जायेगी ?

हमने कभी यह नहीं कहा कि प्रदेश की जितनी भी समस्यायें थीं उन सबको हमने हल कर लिया है, उनको सुलझा लिया है । हम तो बराबर यही कहते रहे हैं, और आज भी कह रहे हैं कि हम उस दिशा में चल रहे हैं जहां चल कर कुछ वर्षों के बाद हम ऐसी व्यवस्था ला सकेंगे जब कि जो पिछड़े हुये लोग हैं उनमें समानता आयेगी और उनको अपने स्तर पर ला

सकेंगे। इसके लिये यह आवश्यकता है कि उनको हम शान्ति के वातावरण में चलाने की चेष्टा करें। यदि हम अमानुल्ला की तरह कार्य करें, यदि हम हर बात के लिये कानून बना कर चलें, यदि हम यह आदेश निकाल दें कि कोई अपने नाम के आगे उपजाति आदि को नहीं लिखेगा, कोई किसी दूसरे के साथ शादी नहीं करेगा, तो वह एक ऐसी चीज होगी कि उसके द्वारा वे आदेश कागज पर तो जरूर चल जायेंगे लेकिन हम समाज को अपना साथी नहीं बना पायेंगे और जब हम समाज को अपना साथी नहीं बना पायेंगे तो जिस ओर हम चलने की चेष्टा करेंगे, जिस कार्य को हम करना चाहेंगे उसमें सफल नहीं होंगे। उससे समाज में असंतोष होगा और उससे ऐसा वातावरण पैदा होगा जिसमें हम संतुलन नहीं ला सकेंगे। मैं तो आज समाज में संतुलन लाने की चेष्टा करता हूं।

मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो समाज में सदैव से ही हरिजन और गैर हरिजन शब्द को ही पसन्द नहीं करता क्योंकि जब हम समाजवादी व्यवस्था को लाना चाहते हैं तो इस भेद को दूर करना ही होगा और उनको समान स्तर पर लाना होगा। मेरा नम्र निवेदन यह है कि आज हमें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। यदि हमें उनकी कुछ सेवा करनी है, यदि उन्हें उस स्थान पर बिठाना है जहां उन्हें बैठना चाहिये, तो उसके लिये उनमें शिक्षा का प्रसार करना चाहिये और उनको वे अवसर मिलने चाहिये जिन अवसरों से वे लाभ उठा सकें और अपने को उद्योग धंधों की तरफ ले जा सकने में समर्थ हो सकें। हमारी जो राधा कृष्णन कमेटी, बैठी थी और जो इस बात की जांच करने के लिये बिठाई गयी थी कि वे क्या कारण हैं जिनके कारण यह लोग विभिन्न नौकरियों में नहीं आ पाते, उस कमेटी ने बहुत से सुझाव दिये हैं, वे मुनासिब सुझाव हैं, और ऐसे सुझाव हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है और उनको कार्यान्वित किया जायेगा। उन सुझावों को कार्यान्वित करके उन बातों को हम उन हरिजन भाइयों के बीच में पहुंचा सकेंगे जिनके द्वारा वे अधिक संख्या में विभिन्न संस्थाओं में सम्मिलित हो सकेंगे, उनको शिक्षा प्राप्त करा सकेंगे। यद्यपि आज उनमें बहुत से एम० एल० ए० हैं, बहुत से हरिजन भाई शिक्षा पा रहे हैं, मगर वे बहुत जानकारियों से अभी अपरिचित हैं। वह जानकारी उनके लिए करायी नहीं गयी है और जब उन्हें कम्पीटीशन करना पड़ता है जो पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत में होता है तो बहुतों को उस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला है। तभी हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ऐसे होस्टल्स बनाये जायेंगे जहां हरिजन और गैर हरिजन विद्यार्थी समान रूप में रह सकें और उनके अध्यापक-गण और जो उन्हें शिक्षा प्रदान करते हैं वह अधिक ध्यान उनकी शिक्षा के लिए दें।

अभी इलाहाबाद में १०-१५ दिन हुए, मैं गया था। वहां ऊंची क्लासेज के लिए, जिनके विद्यार्थी ऊंची सर्विसेज के कम्पीटीशन में बैठेंगे उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए और व्यवस्था करने के लिये एक होस्टल खास तौर से हरिजनों के लिए कई लाख की धनराशि का बनाया जा रहा है। उससे अध्यापक को अवसर रहेगा कि बड़े-बड़े कालेजों की भांति पर्याप्त समय विद्यार्थियों के उत्थान के लिये और प्रशिक्षण के लिये दे सकें और वह अधिक से अधिक संख्या में उच्च परीक्षाओं में बैठ सकें। पब्लिक सर्विस कमीशन तो किन्हीं खास विधियों और परम्पराओं के अनुसार ही काम कर सकता है और नौकरी के लिए सिफारिश करता है। वह तो किन्हीं बुनियादी उसूलों के अनुसार, योग्यता के अनुसार, कार्य-क्षमता पर ही सिफारिश करता है। आवश्यकता इस बात की है कि उनकी शिक्षा की नयी व्यवस्था की जाय जिससे वह उन प्रतियोगिताओं में हिस्से ले सकें और उन स्थानों पर पहुंच सकें जहां पहुंचने की वह अभिलाषा और आकांक्षा रखते हैं। उनके विभिन्न आंकड़े १९४७ से १९५३ और १९५३ से १९५९ तक कितनी हमने प्रगति की है, वह हमने दिये हैं। यद्यपि वह प्रगति वहां तक नहीं पहुंचती है जहां तक हम उनको ले जाना चाहते हैं, लेकिन ज्यों-ज्यों हमारे प्रदेश का स्तर ऊंचा होता जायगा, आमदनी बढ़ती जायगी, वे भी उस स्तर को प्राप्त कर सकेंगे।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

तृतीय पंचवर्षीय योजना की तरफ अगर हम ध्यान दें तो क्या वह इस बात का द्योतक नहीं है कि हम हरिजन और बाल्मीकि भाइयों की दिक्कतों को दूर करने की चेष्टा कर रहे हैं ? अभी मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया था तो उन्होंने बताया था और मैं उन मोटी बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं कि वे बातें हमें किस दिशा में ले जा रही है। तृतीय-पंचवर्षीय योजना में लेबरर्स कोआपरेटिव के लिए सौ और फारेस्ट में सौ कोआपरेटिव बनाने का विचार है, ५ लाख का धन व्यय हो रहा है। कोई बड़ी धनराशि नहीं है, लेकिन उस दिशा में जब कार्य करने लगेंगे तो पिछड़े हुए लोगों की अवस्था में सुधार प्रारंभ हो जायगा । इसी तरह से स्वीपर्स हाउसिंग स्कीम में हम जानते हैं कि जिस तरह से बाल्मीकि भाई शहरों में रहते हैं, गंदी बस्तियों में रहते हैं ५० लाख की एक योजना उनके नये मकान बनाने और बस्ती बनाने की है और वे मकान सस्ते बेसिस पर बनेंगे । ढाई सौ वे देंगे और साढ़े सात सौ रुपया जो मकान बनाने वाली सोसाइटी या जो भी बनायेंगे यह धन-राशि उनको दी जायगी और इस तरह से उनके मकानों की व्यवस्था की तरफ ध्यान दिया जा रहा है ।

इसी तरह से इंडस्ट्रियल एस्टेट्स यद्यपि १० ही बनेंगे, लेकिन वे उन उद्योग धंधों की तरफ ले जाने में शक्ति प्रदान करेंगे और १–१ एस्टेट में १४–१४ यूनिट्स होंगे। १–१ यूनिट में १०–१०, १२–१२, १४–१४ आदमी काम करेंगे। तो वह जो कार्य करेंगे और जो उद्योग धंधों में अपने को लगायेंगे उससे दूसरों पर असर डालेंगे और इस तरह से असर डालकर अन्य लोगों का ध्यान भी उद्योग धंधों की तरफ आमंत्रित करेंगे। आज सभी नौकरी चाहते है। कोई भी सरकार सारे व्यक्तियों को नौकरी नहीं दे सकती। बाबूगीरी की नौकरी जिसकी चर्चा माननीय नेता विरोधी दल ने की, मैं समझता हूं कि उससे न तो समाज का भला होने वाला है और न प्र ेश का भला होने वाला है क्योंकि प्रदेश को अधिक आमदनी की आवश्यकता है और अधिक आमदनी उद्योग धंधों से ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार से आज बहुत से ऐसे क्लासेज हैं जो घमते फिर रहे हैं, उनके बच्चों की लिखाई पढ़ाई का कोई प्रबन्ध नहीं है। उनके बच्चों की पढ़ाई के लिये घूमते फिरते स्कूलों की व्यवस्था की जा रही है जिसके लिये १० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

आज बहुत से स्वीपर्स को अपना मकान बनाने के लिये साइट नहीं मिल पाती है। इसके लिये उन्हें सब्सीडी दी जायगी और साइट मोहैया करके उनको मकान बनाने के लिये सहायता प्रदान की जायगी। इससे वह धीरे-धीरे अपने मकान बनाते जायंगे और गन्दी बस्तियों में जिस तकलीफ में रहते थे उससे अपने को अलहदा कर सकेंगे । इसी प्रकार से मैंने हास्टल्स की चर्चा की कि तृतीय योजना में ५०० होस्टल्स का आयोजन है। तीन लाख रुपया इस कार्य केलिये इस साल रखा गया है और पूरी योजना के लिये ५० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ताकि उन हास्टेल्स में सेकेन्डरी स्कूल्स और जूनियर हाई स्कूल्स के विद्यार्थी रह सकें। उन को टेक्निकल ट्रेनिंग के लिये भी प्रदेश में तीन संस्थाये बनी हुई हैं जैसे बख्शी का तालाब में पोस्ट ग्रैजुएट आटोमोबाइल ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। बहुत से ऐसे हरिजन विद्यार्थी हैं जिन्हें टेक्निकल लाइन्स में रुचि होती है लेकिन कम्पटीशन में न आने के कारण उनका दाखिला नहीं हो पाता है । इसी उद्देश्य से यह पोस्ट ग्रैजुएट आटोमोबाइल ट्रेनिंग के लिये अगले बजट में १३ लाख रुपया व्यय होने वाला है। इससे यह साबित होता है कि हम हरिजनों के लड़कों को उद्योग धंधों में, टेक्निकल एजूकेशन में और प्राविधिक शिक्षा में ले जाने की व्यवस्था कर रहे हैं ।

इसी प्रकार से हम करीब २५ एग्रीकल्चरल कालोनीज की हरिजन साथियों के लिये प्रदेश के विभिन्न स्थानों में व्यवस्था कर रहे हैं। इस पर भी १० लाख रुपया व्यय होगा।

आपने म्युनिसिपैलिटीज में बाल्मीकियों के वर्ग की कन्डीशन्स देखी होंगी, वह अपने सर पर गन्दी टोकरी ले जाते हैं। आज उनसे इस कार्य को हटाने के लिये जगह जगह पर म्युनिसि-

पैलिटीज को गाड़ियां देने की व्यवस्था की जा रही है ताकि शहरों के विभिन्न स्थानों से मल मूत्र को बन्द डिब्बों में रख कर उन गाड़ियों के द्वारा अन्य स्थानों पर ले जाया जा सके। इस कार्य के लिये भी ५० लाख रुपया व्यय होने वाला है। यद्यपि यह कोई भारी रकम तो नहीं है, हमारे जो साधन हैं उन्हीं की बुनियाद पर है लेकिन इससे यह ज्ञात होता है कि हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं जिस दिशा में कार्य करने के लिये माननीय सदस्य हमारा ध्यान आमंत्रित करते हैं।

मैंने अभी आप से निवेदन किया कि समाज के इस पिछड़े वर्ग को उठाने के लिये सभी को प्रयत्नशील होना है और आज इस दिशा में समाज में भारी परिवर्तन हो रहा है। गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस दल था जिसमें हम सभी हैं कहते थे कि छुआछूत नहीं मानना चाहिये लेकिन इस दल में पहले कुछ एम० एल एज० ऐसे थे जो छुआछूत मानते थे, एक साथ खाना नहीं खाते थे लेकिन आज विचारों में भारी परिवर्तन हुआ है। आज वह परिवर्तन ऐसा हो गया है कि अब यह विचार नहीं है कि हरिजनों में जो अव्यवस्था है वह बनी रहे और वह गिरे हुए रहें। उन्हें उठने के लिये पूरा मौका दे रहें हैं। अभी सारे स्थानों पर वह व्यवस्था नहीं हो पाई है और वह उठ भी नहीं पाये हैं। लेकिन हमारा कदम अवश्य ऐसा है कि जो थोड़े समय के अन्दर हमारे बीच में उस व्यवस्था को ला देगा जब सही मानों में हम कह सकेंगे कि हमने गणतंत्रीय परम्परा कायम की है।

श्री अध्यक्ष---अगर जरूरत हो तो मैं कुछ समय बढ़ा दूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---नहीं, मैं अभी खत्म किये देता हूं।

पब्लिक सर्विस कमीशन के विषय में कहा गया कि वहां कोई हरिजन सदस्य नहीं रखा जाता है। मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि उसमें कभी इस विचारधारा से कार्य नहीं किया जाता है कि अमुक वर्ग का व्यक्ति रखा जाय। हमारे कानून में है कि आधे व्यक्ति तो ऐसे होने चाहियें जिनका सरकारी नौकरी में कम से कम १० साल का तजुर्बा हो और आधे समाज के और प्रतिनिधियों में से रखे जाते हैं। कोई आज बार नहीं है कि वहां हरिजन न रखा जाय। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जब कोई समय आवेगा और लोग रिटायर होंगे और हरिजन भाइयों के प्रतिनिधि वहां रखने का जब विषय उठेगा तो यह विषय सहानुभूतिपूर्वक देखा जायगा और चेष्टा की जायगी कि हरिजन भाइयों के प्रतिनिधियों को भी पब्लिक सर्विस कमीशन में जगह दी जाय। मैं ऐसा मानता हूं कि आज उन लोगों को जो तकलीफ में रहे हैं उनके बीच में विश्वास की भावना पैदा करना है और वह तभी हो सकेगी जब हम उत्तरोत्तर उन्हें वे सुभीते देते जावें जिनसे वे आज तक वंचित रहे हैं।

यद्यपि यह विषय पर्सनल है और मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी यदि किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर बैठाना चाहती है तो वह इस विचारधारा से समस्या हल नहीं करती है कि वह हरिजन है या अमुक वर्ग का है। यदि यह दल किसी हरिजन साथी को किसी पद पर रखना चाहता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। वह प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री और मंत्री हो सकता है और यह दल सदा से हर एक को, खासकर पिछड़े वर्गों के लोगों को पूरा मौका देता रहा है और उत्तरोत्तर इस कार्य में अपने को लगाता रहेगा जो कार्य हमारे सुपुर्द उस महापुरुष ने किया है जो आज हमारे बीच में नहीं है, एक परन्तु जिसने हरिजनों को उत्थान के रास्ते पर लगाया और भारी सेवा करके मानवीय जगत में एक चमत्कार हमारे सामने रखा, हम सब मिलकर इस कार्य को पूरा कर सकेंगे यदि उन अभिलाषाओं को सामने रखें जिनके लिये जीवन पर्यन्त उसने कार्य किया। मैं इस दल की ओर से बिश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह दल अपने उस कर्त्तव्य को अभी तक भला नहीं है।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

इन शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस अनुदान को अपनी स्वीकृति प्रदान करे।

श्री अध्यक्ष—मैं ५, ७ मिनट सदन का समय बढ़ाये देता हूं जब तक कि इस अनुदान के ऊपर मत न ले लिया जाय।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। विभागीय नीति तथा योजनायें जनहित में नहीं हैं, यह स्पष्ट करना तथा समुचित नीति-बिन्दुओं का उल्लेख करना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर १,८९,१८,८०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं और फिर २४ तारीख को ११ बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, २४ अप्रैल, १९६१ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२२ अप्रैल, १९६१

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ६८ एल० ए०—१९६१—८४५।